1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार

दिनांक 28 फरवरी, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 27, श्री गिरधारी लाल भार्गव··

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करना चाह रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : Sir, it is very important question. यह तो बड़ा महत्व-पूर्ण प्रश्न है, हुकूम।

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति का प्रश्न है। इसका आज ही उत्तर दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता इस प्रश्न को नहीं रखना चाहते। मैंने असहमति प्रकट की है और व्यवस्था दी है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार है कि हम लोग इस प्रश्न की ओर आपका ध्यान दिलावें···

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, एक बार प्रश्न हाउस में आने के बाद वह हाउस की प्रापर्टी बन जाता है। यह प्रश्न अब हाउस की प्रापर्टी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

झामरकोटड़ा खदान से निकलने वाला रॉक फास्फेट

28. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झामरकोटड़ा खदान से निकलने वाले रॉक फास्फेट से अधिक धन पानी की कमी के कारण राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) क्या पानी की इस कमी की पूर्ति के लिये जयसमन्द से पानी लाने की योजना बनाई गई थी ? क्या उसका सर्वे कराया गया था ?

(3) क्या पानी की इस कमी को देवास योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण को पूरा करके, कम धन व्यय करके (जयसमन्द की तुलना में) दूर किया जा सकता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इसकी पूर्ण जानकारी कर लेगी ?

खनिज मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) यह सही नहीं है। झामरकोटड़ा खदान से अभी उच्च श्रेणी का रॉक फास्फेट निकाला जा रहा है तथा इस खदान के लिये अभी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार को पानी की कमी के कारण कोई हानि नहीं हो रही है।

(2) हां। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पानी लाने के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सिचाई विभाग द्वारा पानी लाने हेतु एक प्राथमिक अनुमानित योजना बनाई गई थी किन्तु औपचारिक सर्वे अभी नहीं कराया गया है।

(3) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सिंचाई विभाग ने झामरकोटड़ा के बेनिफिसियेशन प्रोजेक्ट हेतु निम्न स्रोतों से पानी का प्रारम्भिक अध्ययन किया है :--

1. जयसमन्द झील
2. टी. डी.–II बांध
3. दया बांध
4. माला का गुड़ा बांध
5. देवास योजना

उपरोक्त स्रोतों में से माला का गुड़ा बांध से पानी लेने की योजना अपेक्षाकृत कम खर्चीली पायी गयी है और तदनुसार सिंचाई विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो रॉक फास्फेट प्रति वर्ष कच्चे माल के रूप में कितना बेचते हैं ? किस भाव से बेचते हैं, और कौन इसे खरीदता है ? दूसरे यदि इसको पक्के माल के रूप में परिवर्तित किया जाय तो क्या इसकी अधिक कीमत प्राप्त हो सकती है ? क्या वहां पर खाद का कारखाना इसलिए नहीं लगाते कि पानी का अभाव है ? जैसा कि आपके उत्तर से स्पष्ट है ? तीसरे, देवास योजना का सर्वेक्षण पहले हो चुका है और उसमें 4 करोड़ 18 लाख का खर्चा बताया गया है। इसकी स्थापना से पानी पर होने वाला खर्चा कितना अनुमानित है ? चौथे, जयसमन्द झील महत्वपूर्ण सिंचाई के लिये है। क्या आप सिंचाई का पानी उदयपुर में लिफ्ट ईरिगेशन के द्वारा कारखानों को देंगे और दूसरी तरफ किसान सिंचाई से वंचित रहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : रिप्लाई आने दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न का उत्तर आने दीजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले विधायक

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय के प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि अभी झामर कोटड़ा से जो रॉक फास्फेट मिल रहा है वह शुद्ध है और उसको सीधे ही खाद बनाने के काम में लिया जा सकता है। इसके बाद जो अगली योजना बनी है जिसमें बेनिफिसियेशन प्लाण्ट लगाया जायेगा उसका व्यय 70 करोड़ के करीब हो जायेगा। उसके लिये पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी प्राप्ति के लिए खर्चा झामर कोटड़ा को ही करना पड़ेगा, एस. एस. एम. एम. को। इसलिये जहां जहां पानी उपलब्ध हो सकता है उसकी जांच कराई गई। मैं उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जयसमन्द झील, झामर कोटड़ा से करीब 45 कि.मी. दूर है और देवास करीब 50 कि. मी. दूर है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, जयसमन्द का पानी सिंचाई के लिए है इसलिए वहां से पानी नहीं लिया जा रहा है और देवास से भी नहीं लिया जा रहा है। देवास से हमको उदयपुर सागर से पानी लाना पड़ेगा। माला का गुड़ा बांध झामर कोटड़ा से करीब 11, साढ़े ग्यारह किलो मीटर दूर है, झामर कोटड़ा के बेनिफिसियेशन प्लाण्ट के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी इसलिए उसको ऊंचा करने की योजना, माला का गुडा योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

देवास योजना का उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने प्रश्न रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि देवास योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण और तीसरा चरण तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बन्द कर दिया था। इस विषय पर मेरी माननीय सिंचाई मंत्री जी से बात हुई थी। उदयपुर में पानी की आवश्यकता को देखते हुए देवास योजना को लिए जाने की आवश्यकता को मानते हुए माननीय सिंचाई मंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं। यह मामला उनके विचाराधीन है।

श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूँ, क्या यह सत्य है कि देवास योजना के प्रथम चरण में 1 करोड़ 10 लाख रुपये लग चुके हैं? जब यह 1 करोड़ 10 लाख रुपये लग चुके हैं तो द्वितीय और तृतीय चरण क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया? अगर उसको प्रारम्भ करने की कोई योजना हो तो बताने की कृपा करें। 1 करोड़ 10 लाख रुपया पूरा हो चुका है इसको देखते हुए झामर कोटड़ा में उस पानी का उपयोग करेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री **कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, देवास योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण के 1972 के अनुमान हैं, दूसरे और तीसरे चरण का अनुमान जो उस समय था वह अब बहुत अधिक बढ़ चुका है। इस विषय में हमारा सिंचाई विभाग वापस नई योजनाएं बना रहा है। चुंकि सिंचाई विभाग से मेरा सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसलिए पूरा विवरण तो बताने में असमर्थ हूं लेकिन इतना कह सकता हूं दूसरे और तीसरे चरण की योजनाएं पुनः ली जायेंगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। प्रति वर्ष किस भाव में कितना कच्चा माल बेचते हैं? खाद का कारखाना यहां पर इसलिए लगाया जाय क्योंकि रॉ मैटीरियल हमारे यहां से दूसरी जगहों पर जाता है। वहां पर खाद बनता है और फिर आता है। फिर उसका वितरण होता है तो खाद का कारखाना राजस्थान में ही क्यों नहीं लगाया जाता है?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि झामर कोटड़ा की माइन्स का शुद्ध लाभ प्रति टन कितना है?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। 16 करोड़ का शुद्ध लाभ सालाना हमको होता है, ऐसी मुझे जानकारी है। उसकी पूर्ण विस्तार से जानकारी मैं नहीं लाया हूं क्योंकि यह प्रश्न के स्कोप में नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (2) का उत्तर उन्होंने दिया है––

"इस योजना का औपचारिक सर्वे नहीं कराया गया है" तो इसका क्या कारण है? सर्वे क्यों नहीं कराया गया है?"

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने निवेदन किया है कि 5 स्थानों का अध्ययन किया गया है– जयसमन्द झील, टी डी II बान्ध, दया बांध, माला का गुड़ा बांध और देवास योजना। देवास योजना और अन्य चार स्थानों से पानी का सर्वे कराया गया है। सबसे नजदीक माला का गुड़ा है इसलिए उसको लिया गया है।

श्री कौशल किशोर जैन : क्या यह सत्य है कि झामर कोटडा के 9 खण्डों में से केवल 5 खण्डों पर ही खनन् कार्य हो रहा है और उससे 16 करोड़ की आय राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? क्या आगे 9 ही खण्डों पर खनन् कार्य शुरू करने पर विचार करेंगे ताकि बाकी के आदिवासियों को काम मिले और सरकार की रेवेन्यू बढ़े?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि यह योजना कितने समय में पूर्ण हो जायगी? आप कब तक इस योजना को पूर्ण करेंगे? कितने समय में इन दोनों चरणों को पूरा करेंगे?

श्री मूलचन्द डागा : यह परिशोधन यंत्र है.....

श्री कैलाश मेघवाल : मकराना से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेनिफिसियेशन प्लाण्ट के पहले एक सेमी-इन्डस्ट्रियल प्लान्ट हम लगा रहे हैं। यह सेमी इन्डस्ट्रियल प्लान्ट 1980 तक काम करने लगेगा। उसकी लागत है 2 करोड़ रुपया। इसके आधार पर जो परिणाम सामने आयेंगे उसके अनुसार परिशोधन यन्त्र लगायेंगे। वह करीब 70 करोड़ की योजना है। सेमी-इन्डस्ट्रियल प्लान्ट के जो निष्कर्ष सामने आयेंगे उसके आधार पर योजना बनायेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र भाव से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सोना धूल के भाव चला जा रहा है। धूल के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भाव वेच कर भी हम 16 करोड़ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर खाद का कारखाना वहां पर लग गया तो हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। केवल पानी के बिना ही उसको नहीं लेना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि भविष्य में उसकी योजना बना कर इसको हाथ में लेना चाहिए चाहे वह कितनी ही महंगी पड़े।

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव के रूप में मंत्री महोदय के सामने है। इस बारे में गम्भीरता पूर्वक सरकार को विचार करना चाहिए। यदि रॉक फास्फेट का बेनिफिसियेशन प्लान्ट लगेगा तो हमारी आमदनी तिगुनी हो जायगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : विचार विमर्श इनको अपने आपसे करना चाहिए क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख रुपया पहले ही लग चुका है। श्रीमन् की राय है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेरी राय लेमैन की है, वह एक्सपर्ट की नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्री महोदय की राय तो एक्सपर्ट ओपीनियन पर आई है।

श्री अध्यक्ष : वह एक्सपर्ट ओपीनियन ले लेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस पर सिचाई विभाग की राय जानने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने अपनी अक्षमता प्रकट की है। रॉक फा... के बारे में प्रति वर्ष राज्यपाल महो- ...भाषण में जिक्र आता रहता है ... वह गायब है। माननीय ... में कन्फ्यूज्ड हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को आप स्थगित करें। इसका माननीय मुख्य मंत्रीजी मुकम्मिल उत्तर दें ताकि करोड़ों रुपयों की हानि जो हमको हो रही है वह न होकर लाभ हो सके। इसके बारे में विचार किया जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा और है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि 1980 तक...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट हो चुका है।

श्री कौशल किशोर जैन : मेवाड़ (उदयपुर) आदिवासी बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिस समय यह प्रोजेक्ट लिया गया उस समय कितने आदिवासियों को काम देने की योजना थी? परिशोधन यन्त्र लगने के बाद 1980 में कितने आदिवासियों को इस संस्थान में काम पर लगायेंगे? यह बताने की आप कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है...

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। दो करोड़ रुपया और लगायेंगे और रॉक फास्फेट का कारखाना चलायेंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर वित्त मंत्रीजी अपने विचार

6

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

प्रकट करें। फिर से विस्तृत तरीके से इस पर विचार किया जाय। इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्रीजी और खनिज मंत्री जी तीनों ही मिलकर इसका मुकम्मिल जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विचार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान उठायें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बड़ी सरकार ने 200 करोड़ का सोना 100 करोड़ में बरबाद कर दिया। पत्थर के सोने और काले सोने की बात करते हैं कि वह बरबाद कर दिया है। हमारा जो पीला सोना संग्रहीत था उसको 90 करोड में बेच दिया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह।

नव पदोन्नत कर्मचारी की उसी स्थान पर पदोन्नति

29. **श्रीमती सुमित्रासिंह** (झुंझुनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में नव पदोन्नत कर्मचारियों की उसी स्थान पर पदोन्नति नहीं की जाती ? क्या यह एक विभागीय नियम एवं सरकारी नीति है ? यदि हां, तो जनता सरकार के कार्यभार सम्भालने के बाद अकेले जयपुर शहर में इस नीति के विपरीत विभागीय नियम की कितनी बार किन-किन के लिए अवहेलना की गई तथा क्यों ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय मेरा एक विनम्र सुझाव था कि माननीय मंत्रीजी इस सम्बन्ध में बतायें...

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली): सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में पद रिक्त होने की स्थिति में पदोन्नति उसी स्थान पर कर दी जाती है लेकिन शहरी क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि साधारणतया पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी दूसरे स्थान पर भेजे जावें। जहां तक जयपुर नगर का प्रश्न है जनता सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से अब तक मोटे तौर पर इस नीति की ही पालना की गई है।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह दुबारा जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह भागे जा रहे हैं।

श्री महबूब अली : सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के पद रिक्त हो की स्थिति में पदोन्नति उसी स्थान पर कर दी जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि साधारणतया पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी दूसरे स्थान पर भेजे जावें। जहां तक जयपुर नगर का प्रश्न है जनता सरकार के कार्यभार सम्भालने के बाद से अब तक मोटे तौर पर इस नीति की ही पालना की गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, 'मोटे तौर पर' का क्या मतलब है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : मुझे पूछने दें।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : मोटी अकल वालों की समझ में नहीं आयेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, मेरे को पहले प्रश्न पूछने दें।

अध्यक्ष महोदय, जो अध्यापक और अध्यापिकाएं शाखाओं में जाते हैं और लाठी चलाने का अभ्यास करते हैं और करवाते है, उनको प्रमोशन देकर जयपुर शहर में ही रखा गया है। बाकी के लोगों को अन्यत्र भेज दिया गया है।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है।

श्री महबूब अली : ऐसी स्थिति नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरुषों के नाम तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन कुछ महिलाओं के नाम मेरे पास हैं, जिनमें शैल बाला छाबड़ा, उषा पारीक, पुष्पा रामचन्दानी, अन्नपूर्णा मेहरा, कामिनी सामन्तानी और सावित्री शर्मा हैं। इनका अपनी मनमर्जी से एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन बार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया गया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह तो सिद्धान्त का सवाल है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के नाम लिये हैं। मेरा निवेदन है कि महिलाएं शाखाओं में नहीं जाती हैं। आप को गलतफहमी हो गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जवाब आने दें। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों मस्ती में आ रहे है?

श्री कौशलकिशोर जैन : मस्ती नहीं आप पर दया आ रही है।

श्री भंवरलाल ऐरन : शाखाओं में महिलाएं नहीं जाती है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह कौन होते हैं उत्तर के समय में बीच में बोलने वाले?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : हम आपका ज्ञान वर्धन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : विरोधी दल में बैठे हुए सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं आने देते है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : ववेश्चन सदन की सम्पत्ति है।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : मुझे भी पूरा एतराज है। मेरे यहां भी तीन अध्यापकों के स्थानान्तरण हुए हैं। आज यह प्रश्न आया है तो मैं सोचता हूं कि शायद यही कारण है जिसके कारण यह हुआ है।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आप चाहें तो उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप कम्पेल कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। आप इनको उत्तर के लिए बाध्य करें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : इसका जवाब मन्त्री महोदय दें। यह गलती मन्त्री महोदय की है। मन्त्री महोदय को जवाब देना चाहिए। महबूब साहब इसका जवाब नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता का स्पेसिफिक प्रश्न है। आप आपस में उलझ कर एक्सप्लेनेशन क्यों देते हैं और वाद विवाद क्यों करते हैं ? प्रश्नोत्तर काल का मतलब यह है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछे और सरकारी उत्तर उसको मिले, अगर सरकार चाहे तो।

श्री मूलचन्द डागा : क्यों ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। देना चाहेंगे अथवा नहीं ?

(व्यवधान)

सरकारी उत्तर मिलता है या नहीं ? मिलता है तो उसका प्रतीक्षा करिये। फिर जो प्रश्न करना है करिये। पहले उत्तर की प्रतीक्षा करें। उत्तर देने के पहले ही आप उस पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उनको प्रश्न पूछने का अधिकार है लेकिन आर. एस. एस. का नाम लेकर प्रश्न पूछा है।

(व्यवधान)

यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

श्री नूरा (मसूदा) : कोई आपत्तिजनक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : राजस्थान का शिक्षा विभाग आर. एस. एस. के पास गिरवी रख दिया गया है।

(व्यवधान)

यह कभी सहन नहीं किया जा सकता है। शिक्षा विभाग आर. एस. एस. के पास गिरवी नही रखने दिया जाएगा। शिक्षा नीति के नाम पर आर. एस. एस. के लोगों की पोस्टिंग की गई हैं। राजस्थान के 26 जिलों में यही स्थिति है। जनता सरकार में यही स्थिति है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से समय बरबाद होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप प्रश्न के साथ आर. एस. एस. का नाम लें यह उचित नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो लाठी मत चलायें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आर. एस. एस. के कार्यक्रम जेल में बहुत देखे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नूरा : जनहित की आड़ लेकर आर. एस. एस. के लोगों को बढ़ावा देने के लिए यह किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : यहां ईमानदार मन्त्री बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूंडी : एक साल में जिस प्रकार का राजस्थान में वातावरण बनाया गया है, वह वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं···

(व्यवधान)

आर. एस. एस. बीच में कहां से आ गया ? माननीय सदस्या महिलाओं के नाम ले रही हैं। महिलाएं आर. एस. एस. में नहीं जाती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यू. पी. सरकार ने शाखायें बन्द कर दी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दाल में जरूर कुछ काला है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें कृपया।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिन आर. एस. एस. के ऊपर ही बहस रख ली जाय जिससे सब सदस्यों को सन्तुष्टि हो जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अनुशासन भी कोई चीज होती है। आपके इस सम्बन्ध में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर सुनने की इच्छा नहीं है तो मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आर. एस. एस. का नाम आते ही इनको परेशानी क्या हो जाती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर: आर. एस. एस. का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, आर. एस. एस. का नाम लेने से इनको परेशानी क्या हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : परेशानी हमें नहीं, परेशानी आपको है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दोनों पक्षों के लिए यह सेन्सटिव इश्यू है। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्या ने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था, अगर उसका उत्तर आप शांत होकर सुनते हैं तो मैं मंत्री महोदय को संकेत कर चुका हूं कि उचित समझते हैं तो स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर दें। अगर सरकार उत्तर नहीं देती है तो सरकार एक्सपोज होती है। उत्तर देती है तो उस पर सार्थक चर्चा हो सकती है। इस सदन को सार्थक रूपेण चर्चा करने की क्षमता आप ही प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सहयोग दें। मगर आप दोनों तरफ से दस-दस सदस्य व्यवधान करें तो क्या कोई सुन सकता है? अगर आप इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझते हैं तो माननीय मंत्री महोदय को सुनिये, नहीं तो मैं आगे जाने को तैयार हूं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वनस्थली विद्यापीठ, जहां से माननीय सदस्या भी पढ़कर आई हैं···

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हम मंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं, दूसरे को नहीं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम इनको नहीं सुनना चाहते, अध्यक्ष महोदय, ये आपकी रूलिंग को तोड़ रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या उस विद्यापीठ को इसलिए बरबाद करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां आर. एस. एस. को प्रवेश नहीं करने दिया गया?

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही स्पष्ट और स्पेसिफिक सवाल है। मैंने नाम बताये थे और यह पूछा था कि क्या यह सही है···

(व्यवधान)

आप जवाब दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : जवाब मोटे तौर पर दे रहे हैं या छोटे तौर पर?

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : दोनों ही तौर पर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मोटा या छोटा जो भी जवाब है, उसको आप सुनिये तो सही।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने नाम दिए हैं, और यह कहा है कि वे आर. एस. एस. की शाखाओं में जाती हैं, लाठी चलाती हैं, और व्यायाम कराती हैं इसलिए उनका स्थानान्तरण जयपुर में किया गया, यह असत्य व निराधार है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रमोशन करके··

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है, आप उसको गलत इण्टरप्रेट कर रहे हैं। मैंने पूछा है कि क्या यह सही है कि जो लोग आर. एस. एस. से सम्बन्धित हैं····

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह प्रश्न नहीं किया था ? माननीय सदस्या झूठ बोल रही हैं।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : आपको कहने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के लिये बहुत खतरनाक बात है।

(व्यवधान)

चिड़ावा में बाहर से दरवाजे बन्द कर दिये, एक एक दरवाजे को खोला गया और सोये हुए लड़कों को पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, चोरी और बदमाशी करने वालों को···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री अब्दुल अजीज।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसका मतलब आर. एस. एस. के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता ? इसमें इनको कौन सी परेशानी हो गई ?

(व्यवधान)

इनको चिढ़ क्या है ? मैं पूछता हूं ये आर. एस. एस. के नाम से चौंकते क्यों हैं ? दिक्कत क्या हो गई ? हमने कोई गालियां नहीं निकाला हैं। तमाशा क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री अब्दुल अजीज।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आर.एस.एस. का नाम लेना यदि जुर्म है तो हम नहीं लेंगे।

एक सदस्य ने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपको जो कहना था वह कह दिया। इधर वालों को भी जो कहना था कह दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्री का जवाब क्यों नहीं आया ?

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैं चैलेंज के साथ कहता हूं····

श्री मूलचन्द डागा : If the Minister is not in a position to reply, the question should be adjourned.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इनसे शिक्षा मंत्रालय वापस ले लिया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या 30

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अब्दुल अजीज।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अगर मंत्री जी सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं तो इसको पोस्टपोन किया जाय। अगर देना चाहें तो दें।

श्री अध्यक्ष : क्या इस तरह से सदन में प्रश्नोत्तर काल होगा ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये नहीं चलने देते। इनको आर.एस.एस. के नाम से चिढ़ लगती है। हम आपको सहयोग देंगे। लेकिन आर.एस.एस. का नाम लेते ही ये बोलने नहीं दें, यह बात सहन नहीं की जाएगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जवाब शिक्षा मंत्री द्वारा न दिया जाकर राज्य मंत्री से दिलवाया जा रहा है। यह टालने की बात है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री खड़े होकर उत्तर देते हैं तो आप सुनते नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने आपके आदेश का पालन किया। इनको आर. एस. एस. के नाम से क्या तकलीफ होती है ? इनकी बीमारी ढूंढो आप या तो आप कह दें कि आर. एस. एस. का नाम यहां कोई नहीं लेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मुझे सहयोग दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो दे रहे हैं लेकिन इनको तो रोको। इनको बीमारी क्या है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सदस्य, इस बीमारी को कहां-कहां रोकेंगे ? शिक्षा के क्षेत्र में रोकेंगे या न्याय के क्षेत्र में रोकेंगे ? यह राज ही ऐसा है इसमें उनका प्रतिनिधित्व है....

(व्यवधान)

जब सरकार के सदस्य ही आर. एस. एस. के मैम्बर्स हैं तो न्याय का क्षेत्र प्रदूषित होगा, शिक्षा का क्षेत्र प्रदूषित होगा। यदि चिंता सदस्यों के मन में है तो चिंता खुल कर आने दीजिये ताकि प्रदूषण जो आया है वह साफ हो जाय और स्वच्छ वातावरण बने।

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे आर.एस. एस. को बेन किया, यहां भी बेन कर देना चाहिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चूरू के अन्दर....

श्री रघुनाथ विश्नोई : शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग को कन्ट्रोल करता है...

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के प्रशासन में आर.एस.एस. की बीमारी फैल गई है, यह छूत की बीमारी है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चूरू में 15 राज्य कर्मचारियों को इसलिये सस्पेंड किया गया क्योंकि शिक्षा अधिकारी ने आर्डर में लिखा है कि सनाढ्य ग्रुप के कहने से 15 कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहा हूं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 31। श्री अब्दुल अजीज।

मकराना का फुटबाल ग्राउण्ड

31. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिलाधीश नागौर ने राज्य सरकार से 10,000 रु. की राशि मकराना में फुटबाल ग्राउण्ड हेतु दिये जाने की मांग की थी ? यदि हां, तो कब तक यह राशि उपलब्ध करा दी जाएगी ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली): जी नहीं।

श्री गुल मोहम्मद : यह प्रश्न नीति से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं तो सहयोग दीजिए। अगर एक पक्ष शांत होता है तो दूसरा पक्ष शांत हो सकता है। नहीं तो आपकी मर्जी है, जो जैसा चाहे बोले।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम एक बात पूछना चाहते हैं, सदन के नेता मौजूद हैं, वह चुपचाप सारी स्थिति को देख रहे हैं, उनकी मन्शा क्या है ? क्या कोई आर. एस. एस. के बारे में बोल नहीं सकता ? या तो कह दिया जाए कि राजस्थान असेम्बली में आर. एस. एस. का नाम कोई नहीं ले सकता।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, यह नहीं होगा कभी भी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : हमारे नियमों में है कि किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप लगाया जाये तो नियम 273 के अन्दर लगाया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। हमारा महान् देश है, आजाद देश है और सब को फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन है। आप चाहे जो बोल सकते हैं कौन रोक सकता है ? It is a free country.

श्री श्योपतसिंह मकासर : The mind of R.S.S. is not free.

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए कृपया।

श्री मदनसिंह दांता : आप तो कल यह कहोगे कि हिन्दुओं का माइन्ड साफ करेंगे, मुसलमानों का माइन्ड साफ करेंगे, पारसियों का करेंगे। नहीं कर सकते। अगर हिम्मत हो तो यू. पी. की तरह इस पर बेन लगा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शिक्षा मंत्री जी का जवाब आना चाहिए। जवाब नहीं आयेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां यह हो कि आर. एस. एस. के लोग जवाब नहीं आने दें तो यह हम स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या 31 का जवाब दे चुका हूं 'जी नहीं'।

कई माननीय सदस्य : नहीं, पहले वाले प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन तैयार है तो मैं आगे बढ़ूं। अगर सदन ही तैयार नहीं है और सदन की इच्छा नहीं है तो मैं भी आराम से बैठा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय मौजूद हैं, सारे मामले को सुन रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं। उनकी क्या मंशा है? क्या उनकी मंशा यह है कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चले? अगर वह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले तो मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न में इन्टरवीन करें।

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मंत्री जी की मंशा यह है कि मंत्री बोल रहे हैं उनको आप सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रश्न पर काफी चर्चा चली। माननीय सदस्या का एक प्रश्न यह आया, कुछ महिलाओं के नाम बता कर इन्होंने कहा कि वह संघ की शाखाओं में जाती हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा प्रश्न रिपीट करने की इजाजत दी जाये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपको प्रश्न पूछने की इजाजत हो सकती है लेकिन विघ्न डालने की नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा प्रश्न रिपीट करने की इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह सही है कि जो अध्यापक और अध्यापिकायें आर. एस. एस. से संबंधित हैं और शाखाओं में जाती हैं उनकी पदोन्नति करके भी जयपुर शहर में उसी स्थान पर अथवा दूसरे स्कूल में रखा गया है? माननीय राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया, जी नहीं। तो मैंने प्रश्न किया कि शैलबाला छाबड़ा, ऊषा पारीक, पुष्पा रामचंदानी, अन्नपूर्णा मेहरा, कामिनी सामन्तानी, सावित्री शर्मा का ट्रान्सफर उनकी मर्जी से एक ही सत्र में बार-बार इधर से उधर क्यों किया गया है?, कृपया कारण बता दें।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक तो यह अनुमति चाहता हूं कि उत्तर देते समय यदि विपक्ष

(श्री भंवरलाल शर्मा) :
के लोग व्यवधान डालें तब भी मैं जवाब देता रहूं। यह तरीका हो सकता है ? किसी सदस्य ने कहा था कि हमें बोलने का अधिकार है। आपके बोलने के अधिकार सुरक्षित हैं लेकिन मेरा भी अधिकार सुरक्षित है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दीजिए जवाब।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले मेरा जवाब पूरा सुन लें, हो सकता है आपके गले उतरे। अगर नहीं उतरे तो फिर कोई बात पूछनी है तो दुबारा पूछ लें। आपके पास कुछ नहीं है पूछने को तो व्यवधान मत डालिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री भंवर लाल शर्मा : सुनेंगे तब दूंगा न।

माननीय सदस्यों ने दो बातों को चैलेंज किया है। एक तो श्री रामकृष्ण दास जी ने कहा कि चूरू में 15 अध्यापकों को सस्पेण्ड किया गया.....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि मुझे पूरा बोल लेने दीजिए।

श्री बुलाराम (रायसिंह नगर) : क्या, मंत्री जी, आपने भांग खा रखी है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह शब्द एक्सपन्ज कीजिए।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के शब्द का माननीय सदस्य ने प्रयोग किया है वह गरिमा को गिराने वाला है इसलिए उनको क्षमा याचना के लिए कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय सदस्य को इस बात के लिए मजबूर करें कि वह अपने शब्द वापस लेकर क्षमा याचना करें। इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना कि माननीय मंत्री महोदय ने भांग खा रखी है इस सदन का और आपका अपमान करना है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, ये शब्द आपत्तिजनक हैं। इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय और आदेश दिया जाय माननीय सदस्य को कि वे इसके लिये माफी मांगे।

(व्यवधान)

आप चिन्ता मत करिये।

श्री मूलचन्द डागा : आपको दुखी नहीं होना चाहिये, कल आपकी हार हो गई तो।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्या ने कुछ महिला अध्यापिकाओं के नाम लिये और यह बताया कि उनकी पदोन्नति पर स्थानान्तरण इसलिये नहीं किया गया कि वे आर. एस. एस. ..

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान)

महिलाओं को आर. एस. एस. की शाखा में लकड़ी चलाने..

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : तो उनके हाथ कटवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो भी इस समय पांच-सात नाम ले लिये, मैं स्वयं उनकी जानकारी करूंगा एक बात।

माननीय श्योपत सिंह का कहना है कि आर.एस.एस. का नाम लेते हैं तो उधर के लोगों में जोश आ जाता है। मैं कहता हूं आर. एस. एस. की कितनी हा आलोचना करें, आलोचना करते रहें और करें। लोकतन्त्र है, आप मेरी आलोचना करें और मैं आपकी आलोचना करूं तो इसमें, मैं समझता हूं, कोई आपत्ति नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि आर.एस.एस. के प्रश्न को लेकर एक राजनैतिक प्रश्न बनाने की चेष्टा न करें··

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आर. एस. एस. वालों को समझाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लोकतन्त्र में आर. एस. एस. की आलोचना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतन्त्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी की आलोचना करती है। लेकिन किसी न किसी नाम से बार बार आप उसी प्रश्न को उछालते रहें तो यह उचित नहीं है··

(व्यवधान)

माननीय श्योपत सिंह जी सुनें। आपने ही कहा था कि यह तो वही फौज है जिसने देश में इमर्जेन्सी में बहुत बड़ा काम किया··

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : उनको सुनना चाहिये, उनको उछलना नहीं चाहिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप तो बजरंग लालजी का उत्तर दे दीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बजरंगलालजी आपके सीनियर मैम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहता हूं ये हमारे सीनियर मैम्बर हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इमर्जेंसी के दिनों में आर. एस. एस. पर बेन लगाया लोकतंत्र का गला घोटने के लिये···

(व्यवधान)

श्री नूरा : जनता पार्टी के राज में लगाया है यू. पी. की सरकार ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस पर बेन लगाया है ?

श्री मदनसिंह दांता : वहां भी एक आर. एस. एस. की जाति है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनका गुण्डा एक्ट में चालान करें। लॉ एण्ड ऑर्डर खराब करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो लोकतंत्र का गला घोटने के लिए संस्थाओं पर बेन लगाने के आदी हैं। लेकिन हम नहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो लोग गुण्डों जैसी कार्यवाही करेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान में कितने लोगों की हत्याएं करवाई है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह साम्प्रदायिक संगठन है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : गुण्डा कार्यवाही करने के आरोप में आज आपके विद्याचरण शुक्ल और संजय गांधी जेल में पड़े हैं। गुण्डा गर्दी की सजा हो चुकी है उनको।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा आपको स्वीकार है ?

कई माननीय सदस्य : जी।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्नकाल समाप्त करने के पक्ष में हों वे हां कहें और जो प्रश्न काल समाप्त करने के पक्ष में नहीं हों वे ना कहें।

(स्वीकृत)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाईमाधोपुर जिले की सिचाई योजनाएं

30. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर जिले में पांचना सिगटोली आदि कई छोटी तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो सिंचित क्षेत्र, अनुमानित लागत व पूर्ण करने का समय सहित पूरा ब्यौरा अलग अलग योजनाओं का सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया है :

(1) मध्यम सिंचाई योजना:—

1. पांचना।

(2) लघु सिंचाई योजनाएं:—

1. देवपुरा
2. बांधवा
3. झंडा

इन कार्यों के विषय में वांछनीय सूचना संलग्न तालिका में उपलब्ध है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई, खेतसिंह राठोड़, अब्दुल अजीज, अब्दुल हादी, नूरा, गंगाराम चौधरी, राम रघुनाथ चौधरी, जयकृष्ण शर्मा, मूलचन्द डागा, शिव चरण सिंह, परसराम मदेरणा, प्रद्युम्न सिंह, राम करण सिंह, रामदेव सिंह, श्रीमती मदन कौर, सर्व श्री परसराम मोरदिया, सुखलाल सेंणचा, वृद्धि चन्द जैन, माधवसिंह दीवान, राम नारायण डूंडी, रामसिंह विश्नोई व जेठमल बरबड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय में अराजकता का वातावरण होने से विश्वविद्यालय के बन्द होने की घटना के विषय में,

2. श्री राम कृष्ण दास गुप्ता व श्री शंकर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा के पर्चे आउट हो जाने के विषय में,

3. श्री राम नारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा स्कूलों में छात्र असन्तोष एवं रोष के कारण प्रदेश में गंभीर स्थिति पैदा हो जाने के विषय में,

4. श्री दुलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 18 दिसम्बर को चिड़ावा कालेज के छात्रों पर कुछ लोगों द्वारा घातक हमला किये जाने की घटना के विषय में।

5. श्री शीशराम ओला, सदस्य, विधान सभा की ओर जिला झूंझूनूं में बिजली के कनेक्शन काटे जाने से काश्तकारों की फसल को नुकसान होने के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिये याचिका

श्री मदनसिंह दाता : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जनतन्त्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट ने एक ऐसी रिट को मंजूर किया है जिसमें 200 एम. एल. एज. को नोटिस आने वाला है। उसमें हमें भ्रष्ट बताया है। आज तक जो बजट बनाये हैं उनके लिये बताया गया है कि भ्रष्ट लोगों ने बजट पास किया है, अपनी तरक्का के लिये कान्स्टीट्यूशन के अगेन्स्ट। अध्यक्ष महोदय, यहां हम अदालत की किसी प्रकार की बात करने की भी हिम्मत नहीं करते हैं और उधर राजस्थान के हाई कोर्ट के जजेज ने इस प्रकार की एक रिट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हम सबको भ्रष्ट बताया गया है। पूरा विवरण दिया है अखबार में। कल तक नोटिस आने वाला है। क्या हमने पार्लियामेंट और विधान सभाओं के बजट पास किये हैं तो अपनी पे के लिये किये हैं? जजेज ने उसको स्वीकार कर लिया। वहां के एडवोकेट्स ने तीन दिन की बहस होने के बाद यह एलान किया है। आज पार्लियामेंट और असेम्बली के ऐसे बजट, जो पास करते हैं, की सुनवाई कर सकते है वे लोग। नोटिसेज सर्व हुए हैं

(श्री मदनसिंह दांता)
इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सभी माननीय सदस्य विचार करें कि क्या पालियामेंट या विधान सभा के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी करने का कोई भी कोर्ट को अधिकार है ? अगर आप इससे सहमत हों तो आप उनको नोटिस दें। ऐसी ही टिप्पणियां राज्य कर्मचारियों के लिए भी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह एक बहुत बड़ा गम्भीर प्रश्न है । अखबार में जो घटना बताई गई है वह यह है कि उच्च न्यायालय जयपुर पीठ को एक रिट प्रस्तुत की गई है जिसमें उच्च न्यायालय से राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को अकर्मण्य व मदान्ध घोषित करने की प्रार्थना की गई है। अगर इस प्रकार की हमारे सदन, जो सुप्रीम है, की गरिमा के लिए उच्च न्यायालय बातें कहें.....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य यह तो सोचें कि यह किस सन्दर्भ में कहा है। केवल एक अखबार को लेकर इस तरह से कहना कहां तक उचित है ? हमको बहुत संजीदगी के साथ में कार्य करना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस मामले में कहा है। आप कोई भी सवाल रखें, चाहे वह हाई कोर्ट के बारे में हो, चाहे हमारे सदन के बारे में हो, उसका कुछ आधार होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए ताकि हम बोल सकें। गवर्नमेंट को क्या पता कि हाई कोर्ट में क्या हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : क्या किसी एम. एल.ए. का कोई आधार नहीं होता ?

(व्यवधान)

मैं बहस नहीं करना चाहता · · ·

श्री श्योपतसिंह मकासर : किस केस में उन्होंने यह अपना वर्डिक्ट दिया है, किस केस में कहा है ? यह सारी की सारी बातें अगर रखी जायें तो · · · ·

श्री मदनसिंह दांता : मैंने तो यह बहुत गम्भीर सूचना दी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सूचना से क्या पेट भर जाएगा ? सूचना पर कोई बहस नहीं होती।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने कहा है कि मैं सुन कर आया हूं, नोटिस इश्यू हो गए हैं।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : हम कह रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं ? माननीय सदस्यों का कहना क्या गलत है ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम कहते हैं कि ऐसे मुद्दे पर बाकायदा बहस होनी चाहिए।

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य, कोर्ट में स्वयं सुन कर आए हैं। कोर्ट का आपत्तिजनक वर्डिक्ट है · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाचार पत्र में जो समाचार निकला है उसको मैंने नहीं देखा है। मैं उसको देखकर उस पर विचार करूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। अलवर में हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर हमला किया गया है। उनकी पिटाई की गई है बहुत बुरी तरह से। पिटाई भी उस थानेदार ने की है जो शराबी था, भ्रष्ट था। उसके खिलाफ हमारे कार्यकर्त्ताओं ने शिकायत की, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी वह जैसा कि अभी . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले विश्वविद्यालय के बारे में बोल लीजिए।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मेरा कल एक स्थगन प्रस्ताव था लेकिन केवल एक ही स्थगन प्रस्ताव पर कल बहस होकर सदन स्थगित हो गया। उसके बारे में मुझे कुछ कहने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में मिल कर बात करिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मुझे आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन करना है। आपने स्थगन प्रस्तावों पर जो व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हम किन्हीं इम्पार्टेंट इश्यूज पर, प्राब्लम्स पर, समस्याओं पर स्थगन प्रस्ताव देते हैं। उन स्थगन प्रस्ताव पर आपके द्वारा व्यवस्था दिलवाई जाती है। इसमें उनको इस प्रकार से ट्विस्ट कर दिया जाता है कि जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सारा अर्थ ही भिन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर चिड़ावा की घटना के बारे में, वहां के छात्रों के असंतोष के बारे में स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री दुलाराम ने दिया . . .

श्री अध्यक्ष : आपने भी दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने भी दिया है। मेरी जहां तक जानकारी है उसमें "आर. एस.एस. के लोगों के द्वारा" हमने लिखा है। "आर.एस.एस." शब्द की जगह एकदम से "कुछ लोगों के" कर देने से सारा महत्व ही समाप्त हो गया। उसकी कोई इम्पार्टेन्स नहीं रही। मान्यवर, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं और न मुझे आप पर आरोप लगाने का अधिकार है। मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं कि आज, मान्यवर, मुख्य मंत्री के पास जावें या मंत्री के पास जावें या किसी सरकारी अधिकारी के पास जावें, यदि कोई आर. एस. एस. का नाम ले लेता है तो चाहे कोई आई. ए. एस. अधिकारी हो, आई. पी. एस. हो या आर. ए. एस. अधिकारी हो वे ऐसे उछल कर कूद पड़ते हैं कि मानो उन पर आर. एस. एस. हावी हो रहा हो। हावी होने की कोशिश कर रहा हो। आर. एस. एस. का नाम क्यों लेते हो? यह क्यों कहते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा? आज, मान्यवर, यह सब जानते हैं कि आर. एस. एस. कोई सोशल आर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि आर. एस. एस. एक पालिटिकल आर्गेनाइजेशन है। मुख्य मंत्रीजी ने अभी श्योपतसिंहजी को यह कह कर शान्त कर दिया कि यह वही आर. एस. एस. है जिसने जब इमर्जेन्सी लगी थी हमारे पर तब मदद की थी। तो मैं, मान्यवर, श्योपतसिंहजी

(श्री रामनारायण चौधरी)
ग्रौर दूसरे माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ग्रार. एस. एस. वही है जिसकी एक्टीविटीज को प्रोत्साहन नहीं देने के ऊपर यू. पी. के चीफ मिनिस्टर रामनरेश यादव को जाना पड़ा। फिर लोगों में कांशसनेस पैदा हुई। उसी ग्रार. एस. एस. को मात देन के लिए दिल्ली में भी मामला चल रहा है ग्रौर यही राजस्थान में भी होने वाला है। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं ग्रौर ग्रापसे प्रोटेक्शन चाहता हूं कि हम जो स्थगन प्रस्ताव दें, मान्यवर, उसके ग्रर्थ का ग्रनर्थ नहीं होना चाहिए, समझने में कोई एम्बीग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ग्राप इस प्रकार की व्यवस्था करा दें तो ग्रच्छा होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो कुछ लिखा हुग्रा है वह पर्टीकूलर सेक्ट ग्रौर प्राब्लम के बारे में है।

श्री ग्रध्यक्ष : सरकार के पास में भेजा है उत्तर देने के लिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शब्दों को ही चेन्ज कर दिया है।

श्री ग्रध्यक्ष : उस पर विचार करूंगा। सरकार से उत्तर दिलवाने की ग्रावश्यकता महसूस हुई तो उत्तर दिलवाने की भी व्यवस्था करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी के लड़कों के झगड़े को लेकर ग्रव्यवस्था के कारण यूनिवर्सिटी बन्द होने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। इसके साथ साथ गृह मंत्री जी का भी ध्यान ग्राकर्षित करूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दिन स्थगन प्रस्ताव

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ग्रध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री सुरेश कुमार : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मंगलवार दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 को एक ग्रध्यक्षीय निर्णय इस प्रकार का दिया गया है कि साधारणतया बजट सत्र के दिनों में जब कि सदस्यों को विभिन्न मुद्दों को उठाने के ग्रनेक ग्रवसर प्राप्त होते हैं, बजट की बहस के ग्रन्दर मुद्दे उठाये जा सकते हैं या राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान मामले उठाए जा सकते हैं तब स्थगन प्रस्तावों के जरिए प्रश्न उठाने की ग्रनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह ग्रनुमति दे दी गई है। ग्रापका कोई पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर नहीं है। It is no point of order.

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय की ग्रनुमति से मुद्दे उठा सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार : श्रीमान, ग्रध्यक्ष पद से दिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय ग्रौर ग्रलग है। 25-2-69 को ग्रध्यक्षीय पीठ से निर्णय दिया गया कि स्थगन प्रस्तावों से सम्बन्धित विषयों पर राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण

(श्री सुरेश कुमार)
पर चर्चा के दौरान अथवा बजट व अनुदानों की मांगों पर बहस के समय यदि विचार व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध हो तो स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह स्पष्ट रूप से दिया गया है जिसे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दें और अपना निर्णय देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैं रूल 17 सब रूल (3) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"(3) The discussion on the address shall be interrupted in the course of a sitting by an adjournment motion under rule 55."

यह बिल्कुल साफ है। एडजोर्नमेंट मोशन देने का रूल 55 के अन्दर हमारा अधिकार है उसको ये छीनना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार : अधिकार नहीं छीनना चाहता, अध्यक्षीय आसन से दिये गये निर्णय की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

हमको अध्यक्षीय आसन से दिए गए निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। माननीय डागा साहब, आप माने हुए पार्लियामेन्टेरियन हैं। आप इन निर्णयों को बाय पास नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की अवहेलना नहीं कर सकते।

श्री मूलचन्द डागा : आप रूल 17 को पढ़ लीजिए।

(व्यवधान)

रूल 17 का सब क्लाज (3) साफ कहता है।

श्री सुरेश कुमार : यह अध्यक्षीय निर्णय है, श्रीमन्।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, जब कोई महत्वपूर्ण सूचना सदन के सामने आती है तो माननीय सदस्य उसको रखने से नहीं रोक सकते। एडजोर्नमेन्ट मोशन के जरिए ही सदन में हम अपनी बात को कह सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जो रूलिंग कोट की गई है वह यहां पर लागू नहीं होती।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, जो तर्क माननीय सदस्य दे रहे हैं वह नहीं माना जाए...

श्री मूलचन्द डागा : चैप्टर पांच है उसके अन्दर रूल 17 है। चैप्टर 5 यह बताता है Governor's address and messages to the House.

इसका रूल 17 है। रूल 17 में सब रूल (3) यह है what other business can be taken at the Governor's address.

"The discussion on the address shall be interrupted in the course of a sitting by an adjournment motion under rule 55."

हमने, श्रीमान्, अपना एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है। उसको नोटिस में ला रहे

(श्री मूलचन्द डागा)
यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप इसको पढ़ियेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनको पता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार : मैं दूसरा निर्णय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यह 1957 में आसन से निर्णय दिया गया है। जिन विषयों पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की जा सकती है उनको स्थगन प्रस्ताव के जरिए नहीं उठाया जा सकता है। "श्री मुरलीधर व्यास के द्वारा खाद्यान्न की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में असहमति देते हुए अध्यक्ष ने यह कहा–मैं समझता हूं कि यह ऐसी खास स्थिति नहीं है कि इसको इजाजत दी जाए।"

श्री मूलचन्द डागा : यह खास स्थिति है।

श्री सुरेश कुमार : मैं तो कभी कभी बोलता हूं। मैं जब बोलता हूं तो सोच समझ कर बोलता हूं...

श्री मूलचन्द डागा : यह आपने अपनी सूझ से नहीं कहा। किसी दूसरे की सूझ से कार्य कर दिया है।

श्री सुरेश कुमार : एक वकील अपने मुवक्किल से भी तो कभी कभी राय ले सकता है।

(व्यवधान)

आपमें खुद की गिरह का तो कुछ है नहीं और दूसरे से समझना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार ने आसन का जिस रूलिंग की ओर ध्यान आकर्षित किया है उस पर अवश्य मैं ध्यान दूंगा। साधारणतया यथासंभव प्रयास करूंगा कि इस रूलिंग की पालना हो। लेकिन कोई असाधारण विषय होता है तो उस पर सदन में चर्चा के सम्बन्ध में कोई रोक अनिवार्य रूपेण नहीं लगाई जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : रूलिंग हो गई है।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग का पूर्ण रूपेण सम्मान करता हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो ऐसी कोई खास स्थिति है या नहीं यह स्थगन प्रस्ताव में देख लिया जाना चाहिए...

श्री मूलचन्द डागा : After the ruling you cannot speak. You can't challenge the Speaker's ruling.

Can you challenge the Speaker's ruling?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में वाद विवाद 18 घण्टे तक होगा लेकिन विपक्ष को ढाई घंटे का ही समय मिलेगा। इसलिए आसन को यह भी देखना है कि महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में चर्चा सदन के अन्दर हो। विपक्ष को भी संतुष्ट करना है। अत एव जो

(श्री अध्यक्ष)

जीरो आवर है उसका सदुपयोग करना विपक्ष के अधिकार की बात है। मैं आशा करता हूं कि जीरो आवर और उसके समय का उचित उपयोग करने बावत आप कृपया आसन को सहयोग देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है लेकिन इसमें कुछ रिजर्वेशन हैं। ये रिजर्वेशन इतने महत्वपूर्ण हैं, मान्यवर, इन रिजर्वेशन के आधार पर हमारे अधिकार और हमारे कथन पर अंकुश लग सकता है। इसलिए मैं आपका ध्यान नम्रतापूर्वक आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई वह किसी हद तक सही है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1967 से ही नहीं बल्कि 1962 से बराबर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान में स्थगन प्रस्ताव उठाये जाते रहे हैं और आसन से यह व्यवस्था दी जाती रही है कि इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। आपने भी कृपा पूर्वक, मान्यवर, यह परम्परा कायम रखी है कि स्थगन प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्य को एक बार सदन में अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। दो अवसर आप ने इसके लिए दिए हैं। एक तो उस दिन जिस दिन वह स्थगन प्रस्ताव की सूचना देता है और उस दिन उसका उपयोग नहीं करता है तो जिस दिन उसको आप रिजेक्ट करते हैं, उस दिन वह सदस्य अपनी बात कह सकेगा। यह हाउस की परम्परा रही है कि जिस दिन स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए उस दिन ही संक्षेप में महत्वपूर्ण घटना के बारे में सदस्य को विचार व्यक्त करने की इजाजत दी जाए। यह व्यवस्था बराबर चलती रही है। आज माननीय सदस्य ने जो प्रश्न यहां पर उठाया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी पक्ष हमारे द्वारा कोई महत्वपूर्ण घटना उठाये जाने पर रोक लगाना चाहता है। सरकारी पक्ष उस को दबाना चाहता है। माननीय सदस्य उसमें सरकार के इन्स्ट्रूमेन्ट बन रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य सत्ता पक्ष की वकालत नहीं करें, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें आपको और हमको कहने का अधिकार है। एक महत्वपूर्ण बात और है। यह व्यवस्था दी जाती है आसन की ओर से कि इस मामले को माननीय सदस्य चाहें तो अभिभाषण के समय उठा सकते हैं। इसमें भी बड़ी तकलीफ होती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव दिया जाए, उस पर अभिभाषण पर हो रही बहस में बोलने का मौका मिले ही। कोई विषय इतना इम्पार्टेन्ट होता है कि वह उसी दिन न रखा जाए तो बाद में ठण्डा हो जाता है। इसलिए यह जो व्यवस्था आपने दे रखी है स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कि संक्षेप में माननीय सदस्य अपनी बात रखें, यह बराबर कायम रखी जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर चल रहा है उसका फायदा लेवें, अन्यथा उलझनों के अन्दर समय निकलेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्थगन प्रस्ताव के जरिए मैं शिक्षा मन्त्री जी और गृह मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कोशिश करूंगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में पिछले 4-5 महीने से लड़कों में ऐसी अव्यवस्था फैली है जिसके कारण मि. कपूर, जो कुलपति थे, भी परेशान होकर 5 तारीख को चार्ज देकर चले गये। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है शिक्षा विभाग के लिये कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का कुलपति इस्तीफा देकर, कुल सचिव को चार्ज देकर चला जाय। उसके बाद इस अर्से तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई। अब हमने सुना है कि भूतपूर्व न्यायाधीश श्री कानसिंह जी की पोस्टिंग की गई है। परन्तु उन्होंने भी चार्ज लेने में आनाकानी की है। उन्होंने राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि जब तक विश्वविद्यालय में लॉ एण्ड आर्डर कायम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं काम करने में असमर्थ हूं। मैं खुद जोधपुर का रहने वाला हूं, मैं बदनाम नहीं होना चाहता। कपूर साहब ने भी झगड़ा टंटा मिटाने की काफी कोशिश की परन्तु कपूर साहब जैसे शिक्षाविद् भी इन लड़कों के झगड़े टंटे से परेशान होकर चले गये हालांकि उनसे राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ समय तक और रहें परन्तु उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मैं रहना पसन्द नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में पहले ही सवाल के अन्दर एक घण्टा खतम हो गया, कुछ ही लोगों ने प्रश्न काल का एक घण्टा ले लिया, शिक्षा मन्त्री जी को जो नहीं बोलने दिया वह भी सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा नहीं बोलने दिया गया। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि आप। राजस्थान यूनिवर्सिटी को खुलवा दिया या इस हाउस के कहने के बाद दूसरे ही रोज। तो ऐसा आपने निर्णय लिया कि जयपुर यूनिवर्सिटी बन्द कर उपकुलपति ने बिल्कुल अदूरदर्शिता का काम किया। तो इस जोधपुर यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत आपने क्यों कर दी ? क्या आपके आदेश चलते नहीं हैं ? क्या आपको डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं ? राज्य सरकार लड़कों के झगड़े टंटे की वजह से यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दे, इसका क्या यह मतलब है कि लॉ एण्ड आर्डर सरकार कायम नहीं कर सकती ? और क्या इसीलिए यूनिवर्सिटी बन्द कर दी गई ? यह कोई तरीका है ? जो शांतिप्रिय लड़के हैं, जो चौबीसों घण्टे पढ़ने वाले लड़के हैं उन लड़कों का नुकसान आप कैसे करते हैं ? कोई सारे लड़के तो झगड़े में शरीक हैं नहीं। बिल्कुल लिमिटेड लड़के हैं, थोड़े से लड़के हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी में पिछले कई सालों से यह एक परम्परा हो गई है, वे आपस में झगड़ा करते हैं उसका मूल कारण है कि राज्य सरकार नहीं बोलती। जैसे कि कोटा में मजिस्ट्रेट की रंजिश को लेकर तीन लड़कों को मार दिया इसी तरह से वहां रंजिश चलती है पुरानी। पुलिस, डा. आई. जी. और गृह मंत्री जी को काम नहीं करने देते आप लोग। शुरुआत में जिस तरह से झगड़ा टंटा हुआ, कौन लड़के थे, क्या झगड़ा था, अगर कानूनी कार्यवाही समय पर होती तो आज यह हालत नहीं होती। परन्तु जब कानूनी कार्यवाही होने लगी, मुकदमे दायर हुए, गवाह सबूत होने लगे तो ऐसे वक्त में मुझे जानकारी दी गई है कि माननीय मंत्री कल्याणसिंह जी कालवी जोधपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लड़कों में कोई समझौता हो जाय। समझौते की बात कह कर कानूनी कार्यवाही नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करने दी। मामला ढीला डाल दिया। अगर उसी वक्त कानूनी कार्यवाही होती तो झगड़ा आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन सरकारी अधिकारी यह सोच कर कि सरकार नाराज हो जायेगी, हाथ पर हाथ धर कर बैठ गये। सांचौर में भी मेरे कहते कहते एक लड़का मारा गया। बाद में राज्य सरकार को भी यकीन हो गया और झगड़ा बढ़ता रहा। अगर शुरू में ही आप विजिलेंट रहते तो इतना झगड़ा नहीं होता। बाद में सांचौर में पुलिस विजिलेंट हो गयी। तो अब तो झगड़ा नहीं होता। मैं चिल्लाता रहा लेकिन आप क्यों सुने? आप झगड़ा कराते रहे जोधपुर क्षेत्र के जितने विधायक हैं, माननीय माधोसिंह जी, जो जोधपुर के हैं, और वहां के स्थानीय नागरिक इस तरह का झगड़ा देख कर कह सकते हैं कि उनका जीवन भी अस्त-व्यस्त हो चुका है। सारी दुकानें बन्द हो जाती हैं। जब लड़के बाजार से निकलते हैं तो बाजार बन्द हो जाते हैं। लड़के नंगी तलवारें लेकर घूमते हैं, झगड़ा करके पैसा इकट्ठा करते हैं। सारा नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त है जोधपुर का, यह क्या मामला है? क्या सारे लड़के हैं इस झगड़े में? इस बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कालवी साहब से आग्रह करूंगा, आप मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार के यह कोई एक जाति विशेष का मामला नहीं है····

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

आप बिल्कुल वर्ग वगैरह से ऊपर उठ कर सख्ती से कार्यवाही करावें।

श्री **सुरेश कुमार** : आप जातिवाद का प्रचार न करें। यह आपके लिये भी अच्छा नहीं होगा, और हमारे लिये भी अच्छा नहीं होगा।

श्री **मूलचन्द डागा** : आप यह सेरेमन्स मत दीजिये।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : मैंने जाति का नाम ही नहीं लिया।

(व्यवधान)

आप क्यों हमको भड़का रहे हैं ख्वाहम-ख्वाह? मैं भरतपुर से आने वाले विधायक और मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आपने जातिवाद का नाम लेकर 20 बार झगड़े करवा दिये। मैं इसे बिल्कुल नापसन्द करता हूं। नाथूराम जी मिर्धा के फार्म में लड़के एक बार घुस गये थे। उनकी मदर 70 वर्षीय डोकरी को लग गई फिर भी उन्होंने सब्र किया कि मामला बढ़ाया न जाय और कहा कि लड़कों का मामला है, मेरी मदर के लग गई तो ठीक हो जावेगी। झगड़ा मिटाया। तो, अध्यक्ष महोदय, अब यह जोधपुर यूनिवर्सिटी होली तक तो नहीं खुलेगी ऐसा अखबार में पढ़ा है?

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से साइंस, कामर्स कालेज, कमला नेहरू कालेज को खुलवाने के लिये लिये शिक्षा मंत्री जी बतावेंगे कि खोल दिये हैं। हमें तो प्रगति का पता नहीं। इस तरह डंडे के जोर से लॉ एण्ड आर्डर कायम नहीं हो जाता है तो सारी शिक्षण संस्थाएं बन्द हो जावेंगी···

श्रीमती उजला अरोड़ा : कमला नेहरू कालेज कहां है?

(27)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जोधपुर में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने समझा जयपुर का कह रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कमला नेहरू महिला कालेज जोधपुर में है। मैंने जयपुर का नहीं कहा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : धन्यवाद। मैं तो जानकारी चाह रही हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा, नंगी तलवार लेकर तेजा मन्दिर के ऊपर जिस तरह से अटेक किया, सारे बाजारों में लड़के प्रदर्शन करते रहे जैसे कोई मिलिट्री ट्रुप जाती हो इस तरह शिक्षण संस्थाओं पर हमला हुआ किन्तु उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस तरह की चीजों को आप जब तक सख्ती से दबायेंगे नहीं तो फिर तो यही होगा कि जो मजबूत हैं वह डण्डा लेकर फ्री फाइटिंग करेंगे। किसी भी प्रश्न को लेकर राजस्थान सरकार ने जोधपुर विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया तो लड़के आपस में फ्री फाइटिंग करके उसका खुद निर्णय करेंगे। आपकी जरूरत नहीं होगी चाहे कोई कमजोर हो या कोई मजबूत हो। तो यह एक षड़यन्त्र है और राज्य सरकार उनको प्रोटेक्शन देती है नाजायज तौर पर। इससे बच्चों की, लड़कों की जिन्दगी बरबाद होती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है शिक्षा मंत्री जी से कि वह जोधपुर यूनिवर्सिटी के मामले में हस्तक्षेप करें और ज्यादा दिन तक उसको बन्द न रखें। मैं चाहूंगा कि वह जल्दी ही यूनिवर्सिटी को खोलें। जब आप जोधपुर यूनिवर्सिटी का जवाब दे रहे थे तो मेरे मन में यह आ रहा था कि विधान सभा के अन्दर ही हम न्याय नहीं कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी नहीं खुला सकते हैं तो यहां पर क्यों आये हैं, और जोधपुर के विधायक यहां क्यों बैठे हैं? हमारी यह सुप्रीम बॉडी कोई निर्णय लेकर किसी संस्था को नहीं खुला सकती तो यह क्या तमाशा है? जो भी कानूनी कार्यवाही हो वह करे, परन्तु मेरा कहना यह है कि आपका यह रवैया होने की वजह से ही वातावरण खराब होता है। चाहे आर. एस. एस. का लड़का झगड़ा करे या कोई और करे, आर. एस. एस. का हो तो हो या नहीं हो तो न हो परन्तु जो कानून भंग करे और जो कानून को हाथ में ले उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। वह किसी भी जाति का क्यों न हो, कोई भी संस्था का क्यों न हो, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए और उसमें इन्टरफियर करना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आज आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं और हम विरोधी पक्ष में हैं। जब भैरोंसिंह जी इधर बैठते थे तो आप तालियां बजाते थे। उन दिनों को मत भूलो। हम फिर आ सकते हैं। हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं।

श्री गुल मोहम्मद : यह डेमोक्रेसी का ही नतीजा है कि आप उधर बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह डेमोक्रेसी है तभी तो इधर से उधर जाते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : डेमोक्रेसी, इमर्जेन्सी में कहां चली गई थी, श्रीमन्?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं और राज्य सरकार भी चाहती है। राज्य सरकार में आप बैठे हैं तो आपकी यह शान होगी कि आप यूनिवर्सिटी को शीघ्र खुलवा दें और लड़कों की पढ़ाई का इन्तजाम करायें। जयपुर यूनिवर्सिटी में आज तक एडमिशन हो रहे हैं ? राज्य सरकार की ढिलाई है इसलिए कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि यह राज्य सरकार कैसी है। वह जैसी है वैसे ही हम चलते हैं। सारे यही कहते हैं। इसलिए आपको कानसिंह जी को वाइस चान्सलर बनाना है तो बनायें उनका भी वही हाल होगा जैसा कपूर साहब का हुआ। जितने भी उप कुलपति आये उनका यही हाल हुआ। जोन साहब का भी यही हाल हुआ और कपूर साहब का भी यही हाल हुआ। कानसिंह जी का क्या हाल होगा, भगवान जाने। आप सहयोग दें। राज्य सरकार को निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। जो लड़के गुण्डागर्दी करें चाहे वह कोई भी हों उनको सजा दें। इस प्रकार से काम करेंगे तो जोधपुर यूनिवर्सिटी खुल सकेगी। राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी खोलने की विशेष जिम्मेदारी है। अगर आप यह नहीं करें, तो आपका मुंह काला होगा और आप बदनाम होंगे। जोधपुर के मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। सुखाड़ियाजी के राज में उदयपुर वालों की चलती थी। यह आप कहा करते थे। अब आपका क्या हाल है ?

एक माननीय सदस्य : आपको बना दें वाइस चान्सलर ?

श्री कल्याणसिंह कालवी : आप सहयोग नहीं देते हैं। हम जिम्मेदारी से शासन करते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लड़के खुद परेशान हैं। उनका भी यही कहना है। यूनिवर्सिटी जैसी संस्था, जिसके अन्दर करोड़ों रुपये लगाये हैं, को आप चला नहीं सकते।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय डागा जी को खड़ा रहने का सजा दी गई है। दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं और वह खड़े हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 जून, 1977 के रोज राजस्थान में जनता पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो लोगों में आशाएं बन्धी थीं। इन्होंने कहा था कि यह एक ऐसी राज्य-व्यवस्था लायेंगे जिसमें सबको स्वतन्त्रता होगी। इन्होंने यह कहा था कि जातिवाद और सम्प्रदायवाद से ऊंचे रहेंगे। गांधी जी के सिद्धान्त इनका मार्ग दर्शन करेंगे। आज मैं देख रहा हूं कि राजस्थान में जोधपुर विश्वविद्यालय में जो घटनायें घट रही हैं उनमें जातिवाद उभर कर आया है। यह दुखद बात है। इसके लिए मेरा मन नहीं कहता कि मैं इसको इस रूप में रखूं, लेकिन मेरा कर्त्तव्य है वह मुझे इसके लिए आग्रह करता है कि यह कहूं कि यह सरकार जातिवाद को पनपाने वाली है। यह सरकार जातिवाद के पौधे को खाद और पानी देने वाली है। यह जातिवाद का जो घिनौना पौधा है इस पौधे को विकसित करने में किसका हाथ है ? आज आप हिम्मत के साथ, गृह मंत्री जी, खड़े होकर बोल दें। मैं कहता हूं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में क्यों ऐसी घटनायें घटीं ? भंवर चौधरी का क्या अपराध था ? उसका अपराध यही था कि उसने "जय माता जी" को नहीं कहा। उसको रुई की तरह धुन दिया गया। दिलीपसिंह था, खीची था उसको

(श्री मूलचन्द डागा)

मालूम नहीं था। वही केवल एक निर्वाचित सदस्य था, वह आ गया। वह खड़ा नहीं हुआ तो उसको पीटा। एक लड़की थी उस लड़की का पर्स खोस लिया गया। उसकी जो लूना आटो साइकिल थी उससे उसको वंचित कर दिया गया। उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। रोज अखबारों में यह घटनाएं आती हैं। यह घटनाएं केवल यूनिवर्सिटी की परिसीमा में ही नहीं हो रही, यह सड़कों पर आ गई और बाहर आ गई, और यह विष गांवों में भी फैल चुका है। इसकी बुनियाद क्या है ? जो सारी घटनाएं हैं चाहे वाइस चान्सलर पर हमला हुआ, चाहे 40 हजार की सम्पत्ति को जला दिया गया, ट्रान्जिस्टर और घड़ियों की चोरी कर ले गये।

गृह मंत्रीजी आप बातें न करें। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में जो घटनाएं घटीं हैं यदि इनकी बुनियाद पर न जायं तो यह जातिवाद का पौधा भयंकर रूप से फैल जायगा। इस विष-पौध को सड़ा दिया जाय, गला दिया जाय। हमें जातिवाद की दीवारों को तोड़ देना चाहिये हम लोग इन दीवारों को नहीं मानते हैं। हम संकीर्ण बात की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है ? जब बुद्धिजीवी अपने स्वार्थ की तरफ देखता है तो प्रशासन का जैसा रुख देखता है उस ओर ही झुक जाता है। प्रशासन एक हवा है जो पौधों को झुका देती है। प्रशासन में अगर शुद्धता हो और अच्छी वायु चलती हो तो पौधा अच्छाई की ओर झुकेगा। कुलदीपसिंह की क्या हिम्मत थी, एस.एन.राठौड़ की क्या हिम्मत थी कि चुनाव हों। चुनाव के दिन विद्यार्थियों ने यह मांग की कि हमारे वोट आइडेन्टिटी कार्ड के आधार पर ले लिये जायें। वह वाजिब मांग थी कि आइडेन्टिटी कार्ड के आधार पर चुनाव हों लेकिन इस बात को ठुकरा दिया गया। सारे जोधपुर शहर में एक एक गली में नंगी तलवारों के पहरे लगा दिये गये। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। वह शक्तिशाली होते हैं। वह अपने पैरों पर खड़े होते हैं। लेकिन यह गुण्डागर्दी है कि उन्होंने बहुमत को वोट नहीं देने दिये। लोगों ने मांग की। क्या राठौड़ को हटा दिया ? गृह मंत्री जी बैठे हैं। उन्होंने चुनाव में सज्जनसिंह की बात कही। 90 प्रतिशत फ्री शिप एक जाति को मिलती है। बुक बैंक का सारा हिसाब छोड़ दिया गया। अनुदान उनको दिया गया। कैण्टीन का ठेका एक जाति वालों को दिया गया। उन्होंने यहां तक किया, एक मन्दिर बना दिया। बलि करो। दारू पिओ। शराब पिओ।

(व्यवधान)

यह तो गोकुल भाई भट्ट निर्णय करेंगे। मुझे दुःख है इस बात का कि यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जहां नैतिकता का वातावरण बनाना चाहिये वहां अपराधों की लपट से सारा विश्वविद्यालय ही नहीं सारा जोधपुर शहर जल रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन लड़कों को नौकरी दी गई जिन लड़कों ने एक लेक्चरार को उड़ाया। गुलाब सिंह ने प्रो. निगम को मारा। पांच

(श्री मूलचन्द डागा)
आदमियों को मारा। सारी व्यवस्था को एक तरह से झुका दिया फिर भी गृह मंत्री ने एक्शन नहीं लिया और डिप्टी एस. पी. जालिमसिंह शान्त बैठा रहा। कपूर साहब की बदली होने पर कपूर साहब ने कहा कि मेरी बीवी को मना लो। मैंने राजस्थान पत्रिका में यह पढ़ा। मैं देख नहीं सका। कपूर साहब का पिछला इतिहास कहां जा सकता है? उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को मना लो। वह यूनिवर्सिटी की व्हिकल लेकर चले आये। शिक्षा मन्त्री जी मौन रहते हैं। मैं मानता हूं, कभी कभी कड़ाई से काम लेना पड़ता है। इसलिये विधायकों ने जाकर गवर्नर से यह कहा कि कुछ अज्ञात कारणों से शिक्षा मंत्री जी कदम नहीं उठा सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मेरे अज्ञात कारणों को भगवान जानता है। चरणसिंह के आदमियों पर 307 का मुकदमा चला आप मानव मूल्यों की हिमायत करने वाले हैं। फिर भी इस प्रकार से चाकू चलें, यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मां बहिनों की इज्जत ले लें, गवर्नर साहब की आज्ञा नहीं मानें। शर्म आनी चाहिये। विश्वविद्यालय में छात्रावासों में शस्त्रागार बने हुए हैं। पुलिस का पता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह शिक्षा का क्षेत्र है। अगर हमने कोई कसूर किया हो जातिवाद को पनपाने का तो मेरा मुंह बन्द कर दिया जाये। देश के अन्दर जातिवाद नहीं होगा। हिन्दुस्तान की जननी, जन्मभूमि अपनी संस्कृति से आगे बढ़ेगी। इस शासन ने उस संस्कृति को बदनाम किया है। मैं चैलेंज करता हूं, इस शासन ने जातिवाद को पनपाया है। गृह मंत्री जी मौन हो जाते हैं तो पुलिस में आत्महीनता आ जाती है। प्रशासन ढीला हो जाता है। ढीला और निकम्मा हो जाता है। ये छात्रावास जातिवाद की खान हैं। कपूर साहब चले गये हैं। मैंने पहली बार पढ़ा कि कुलपति को पुलिस की पावर दी गई है। क्या शिक्षा मन्त्री जी का दिमाग कमजोर है?

एक माननीय सदस्य : आपका कमजोर है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा ही सही।

जहां शिक्षा दी जाती है, वहां पुलिस पावर काम में लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह नयी परम्परा डाल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह जजेज हटते नहीं हैं हालांकि बूढ़े हो जाते हैं। पूरी उम्र काम करते करते निकाल देते हैं। वेदपाल जी हाई कोर्ट के जज थे अब वाइस चान्सलर हैं। यह क्या तरीका है? इस कारण जो घटनाएं घटी हैं, उनकी जिम्मेदारी प्रशासन पर है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार मानता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया। हजारों छात्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन वह पढ़ नहीं पाते हैं। उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। सारे परिश्रमी लड़के पढ़ नहीं सकते हैं। कुछ लड़के दुकानें लूटते फिरते हैं। दुकानों पर बिना पैसे के खाना-पीना करते है। मैं कानून का हमेशा आदर करता हूं। आज कहीं भी जाते हैं तो यही देखते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : ये घटनाएं तो जयपुर में भी हो रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : किसी भी जाति का गुण्डा हो उसको सीखचों में वन्द किया जाना चाहिए। कुछ कांग्रेस वाले उधर चले गये हैं।

(व्यवधान)

चाहे वह कांग्रेस वाला ही क्यों नहीं हो, कोई भी गुण्डा हो···

श्री मदनसिंह दांता : आपने गुण्डा कांग्रेस कहा है। यह पांचवीं कांग्रेस है। यह उपाधि दी है।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार की विश्वविद्यालय में स्थिति पैदा हो गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान्, मुझे आशा है कि शिक्षा मन्त्री जी और गृह मन्त्रीजी इस प्रकार का वक्तव्य देंगे कि इतने इतने मुकदमे पुलिस में दर्ज किये गये हैं। इतने व्यक्तियों को सजा दिलाई, इतने केसेज पकड़े गये हैं। इतना माल वरामद किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मन्त्री जी, जिन विधायकों ने ज्ञापन दिया है, उनकी जांच हो गई है ? दोषी लोगों को सजा दी गई है ? अगर राजनीति के आधार पर सत्ता में बैठना चाहते हैं और जातिवाद के आधार पर सत्ता पनपाना चाहते हैं तो यह सरकार आज नहीं तो कल अवश्य गिर जायेगी। यह चल नहीं सकती है। यह जातिवाद को संरक्षण है। कालवी साहब इस बात का सबूत दें। आप गुण्डों को सीखचों में वन्द कर दें और विद्यार्थियों को पढ़ने दें। यही मैं चाहता हूं। फिर मैं उत्तर दूंगा, कौन कौन सी बातें आपने गलत की हैं या सही की हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी सी.आई.डी. को कहें, यह जातिवाद को फैलाने वाले कौन हैं ?

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : जातिवाद का नाम मत लीजिए, दांताजी।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् ब्राह्मण देवता तो कभी कभी बोलते हैं और जब बोलते हैं तो अमृत वरसाते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : डागा साहब की पार्टी ने तीस साल तक जातिवाद को पनपाया है।

श्री नूरा : इस पौधे को पानी मत दो।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में काफी समय से अराजकता और दुर्व्यवस्था फैली हुई है उसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए वन्द कर दिया गया है। मैं दूसरी पृष्ठ भूमि की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में छात्रों में झगड़े होते रहे हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां इन कुछ महीनों में जोधपुर विश्वविद्यालय में रही हैं। उनका मूल कारण यह था कि इस प्रदेश में जनता पार्टी का शासन आया और उसी के क्रम में एक जाति विशेष का राजनैतिक प्रभाव वढ़ता चला गया। उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य कांग्रेस पर यह आरोप लगाना चाहते हैं कि हम साम्प्रदायिक झगड़ों को उकसा रहे हैं···

एक माननीय सदस्य : सही है।

श्रीमती मदन कौर : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों और जिन हालातों में यह सब कुछ हुआ, उनको सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखा जाय तो समस्या को समझ कर उसका निराकरण किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री जी यहां पर बैठे है, उन पर यह दायित्व आता ह। मै उन पर आरोप नहीं लगाना चाहती कि उन्होंने इस झगड़े को उकसाया लेकिन चूंकि वे सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, मन्त्रिमण्डल के भी सदस्य हैं और उस जाति विशेष से भी सम्बन्धित हैं जिसकी वजह से जोधपुर विश्वविद्यालय में यह हालात पैदा हुए हैं। एक जाति विशेष के छात्रों ने दूसरे सभी जातियों के लड़कों का अपमान करना शुरू किया और अपशब्द कहना शुरू किया। यह केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं रहा, छात्राओं के साथ भी अश्लील तरीके से दुर्व्यवहार किया गया। इन सब कारणों से झगड़ा हुआ और अन्ततोगत्वा विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, इस शासन के मन्त्रीगणों से मेरा निवेदन है कि अगर इस शासन में बैठे उन जाति विशेष के मन्त्रीगणों की छवि को सुधारना है, अगर शासन की छवि को सुधारना है तो निश्चित रूप से उनको छात्रों के बीच में जाकर प्रेरणा देनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि दूसरे छात्रों के प्रति नम्र और संवेदनशील रहें। माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर विश्वविद्यालय में होस्टल नम्बर 1 विश्वविद्यालय के परिसर में ही स्थित है और इन दिनों में जो झगड़े हुए उनका मुख्य केन्द्र होस्टल नम्बर 1 रहा है। वहां तरह तरह के हथियार और लड़ाई झगड़ों के सामान इकट्ठे किए जाते हैं, लड़ाई झगड़ों की योजना बनाई जाती है और न जाने किन-किन गैर-कानूनी कामों का वह अड्डा बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों उस होस्टल में देवी की मूर्ति की स्थापना की गई जिस पर मदिरा और मांस चढ़ाया गया। उस समारोह में विश्वविद्यालय प्रशासन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। अध्यक्ष जी, एक शिक्षण संस्था में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की जाती तो बात समझ में आती लेकिन एक देवी की मूर्ति, जो शक्ति की प्रतीक है, की स्थापना करके ये लोग विश्वविद्यालय को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? यह किस बात को संकेत करता है? पूर्व में इस होस्टल में प्रतिभाशाली छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता रहा है लेकिन आज हालत यह है कि 50–60 विद्यार्थियों को, जो एक ही जाति विशेष के हैं, उसमें प्रवेश दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह तो सम्भव नहीं है कि एक विश्वविद्यालय में केवल एक ही जाति विशेष के 50–60 छात्र प्रतिभाशाली हों? परिणाम यह है कि आज होस्टल में पढ़ाई–लिखाई का कोई माहौल नहीं है, वहां पर लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं और इसके लिए इस छात्रावास नम्बर एक का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए पहली मांग तो मैं यह रखती हूं कि होस्टल नम्बर 1 को बिल्कुल बन्द कर दिया जाय या फिर इसको अध्ययन या और कोई काम में लिया जाय। अगर इस छात्रावास का सदुपयोग करना ह तो राज्य सरकार को निश्चित रूप से विश्वविद्यालय

(श्रीमती मदन कौर)

को डाइरेक्शन देना पड़ेगा कि केवल प्रतिभाशाली और मेरिटोरियस छात्रों को ही इसमें एडमिशन दिया जायगा और दूसरे छात्रों को वहां से हटा दिया जायगा। इस प्रश्न पर विश्वविद्यालय यदि हठधर्मी रखता है और जाति विशेष को एडमिशन देता है और प्रतिभाशाली छात्रों को एडमिशन वहां नहीं मिलता है तो यह मान कर चलें कि वहां कभी भी शान्ति कायम नहीं हो सकेगी। गरीब छात्र जो गांव से आते हैं उन्हें अध्ययन का उचित मौका नहीं मिला तो उनकी भावना विश्वविद्यालय के प्रति उचित नहीं होगी। वहां पर कोई पढ़ाई-लिखाई का वातावरण नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरा राज्य सरकार से और कृषि मन्त्री जी से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

खास तौर से निवेदन है कि अगर विश्वविद्यालय में शान्ति बनाये रखनी है जिससे छात्र वहां पर पढ़ाई-लिखाई कर सकें और सभी वर्ग और जाति के छात्र निर्भय होकर अपने अध्ययन में लग सकें तो यह आवश्यक है कि अच्छे और प्रतिभाशाली छात्रों को ही होस्टल में एडमिशन दिया जाना चाहिए जिससे छात्रों में अच्छा वातावरण बने और इस देश की भावी पीढ़ी का भविष्य बन सके।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैं कुछ विशेष मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिसके कारण विश्वविद्यालय में बार-बार अनिश्चित काल के लिए बन्द करने की नौबत आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी विश्वविद्यालय को झगड़ों की वजह से बन्द कर दिया जाय और उसके खुलने पर स्नेहपूर्ण वातावरण पैदा हो जाय यह बात तो समझ में आती है लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय को तीन तीन बार बन्द किया गया और जब जब खोला गया हर बार वहां पर झगड़े हुए। ये झगड़े क्यों हुए, या क्यों होते हैं क्या इस पर किसी ने चिन्तन किया है? माननीय सुरेशजी अभी यहां मौजूद नहीं हैं, वह बता रहे थे, कह रहे थे कि इस प्रकार जातिवाद को मत बढ़ाओ। मैं स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वह राजपूत और जाट का झगड़ा नहीं है। जाट और राजपूत एक बड़ी संख्या में गांवों में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं। अगर जाट और राजपूत का ही झगड़ा होता तो वो यूनिवर्सिटी से नहीं किसी गांव से शुरू होता। इसे कृपया जाट और राजपूत का झगड़ा समझ कर जातिवाद की संज्ञा नहीं दें। जो झगड़े विश्वविद्यालय में हुए हैं चाहे जाति विशेष के आधार पर हों या दल विशेष के आधार पर हों उनको राजनैतिक संरक्षण मिला है, उनको वी. सी. का संरक्षण मिला है और उसके कारण ये झगड़े बढ़े हैं। यह झगड़ा कोई आज हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। डागा जी बता रहे थे कि अगस्त में परीक्षा हुई, उसमें खुल कर नकल हुई और वी. सी. ने खुल कर एक दल विशेष का साथ दिया। उसके बाद जब चुनाव हुए तब वी. सी. का फर्ज था चाहे किसी भी दल वाले का चुनाव हो या जाति वाले का हो, उसके लिए सभी विद्यार्थी बराबर थे। जब भी चुनाव होता है तो छोटी मोटी घटनायें हो सकती हैं लेकिन वी. सी. जीतने वाले दल के साथ में मालायें पहन कर जुलूस के साथ आए। जुलूस में

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

गुलाल डाली गयी । सोजती गेट तक वे जुलूस के साथ थे। तो बताइये उस दल विशेष में लड़कों का हौसला नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा ? वह एक दल विशेष के साथ आए तो निश्चित तौर से उनका हौसला बढ़ेगा। इन्हीं मारपीट की आपसी घटनाओं के क्रम में प्रोफेसर निगम को पीटा गया। पीटने वालों के खिलाफ शिकायत की गयी। बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती उनको यूनिवर्सिटी में एम्प्लायमेंट दिया गया। तो आप बताइये उस संस्था में शिक्षा कैसे चल सकती है ? जिन लोगों को जेल भेजना चाहिए था उन्हें रोजी मिली। उनको वी. सी. ने कतई सीरियसली नहीं लिया।

छोटी मोटी घटनाओं के बारे में डागा जी बता रहे थे। वस्तुस्थिति भी यही है। उन्होंने एक प्राध्यापक की लड़की को छेड़ने की घटना का जिक्र किया, उसकी आटो साइकिल, गाड़ी छीनी गई। लेकिन अन्य लड़कियों के साथ जो घटनायें घटी हैं और उनके साथ हरकत व तोहीन की गई, अभद्र व्यवहार किया गया वह अत्यन्त शर्मनाक है। विधि मंत्री जोधपुर पधारते हैं, उनके मुंह पर सत्ता की पट्टी बंधी हुई है लेकिन आंखों से सब कुछ देखकर आए हैं। इस तरह की जोधपुर यूनिवर्सिटी में घटनायें हुई हैं जिनको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद मारपीट हुई। अनेक घटनायें मारपीट और छुरेबाजी की हुईं। एक दल ने दूसरे दल पर खुले रूप से आक्रमण किए और पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही। बहुत सी घटनायें पुलिस की मौजूदगी में हुई हैं। वहां के डी.वाई.एस.पी. जालिमसिंह का उनको पूर्ण रूप से संरक्षण था। जिसका नाम ही जालिम होगा वह आदमी अच्छा कैसे हो सकता है। घर वालों ने देखा, जालिम है इसलिए नाम ही जालिम रखा। एस. पी. व डी. आई. जी. भी मानते हैं यह आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन आपका प्रशासन समझता है कि जोधपुर में उसी आदमी की जरूरत है जो जालिम हो, जो किसी गुट विशेष को सहयोग और पनाह दे...

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : वह डी.वाई. एस. पी. तो सिरोही में हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सिरोही में जो आदमी है वह नेक है।

श्री उगमराज मेहता : आपके द्वारा अपाइन्ट किया हुआ है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : एक नाम के कई जालिम डीवाई. एस.पी. हो सकते हैं। वह जोधपुर में आज भी है। अगर सिरोही वाले का नाम भी जालिम सिंह है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता।

धर्माराम व दूसरे अन्य कई लड़कों को पीटा गया, उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। मुल्जिम चाहे किसी जाति का हो मुल्जिम तो मुल्जिम है। उनको आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ? उस झगड़े से उनको बढ़ावा मिला। 22 दिसम्बर को चौथाराम नाम के लड़के को पीटा गया....

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : यह रिपोर्ट कब करवाई ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सम्पतराम : इस झगड़े के पहले या इस झगड़े के दौरान ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : इस झगड़े के दौरान।

22 दिसम्बर को चौथाराम नामक लड़के को पीटा गया। उसी दिन एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, किसान छात्रावास को एक गुट विशेष के लड़कों ने जला दिया। 250 लड़कों ने पुलिस के साथ पहुंचकर छात्रावास को घेर लिया एवं पैट्रोल डालकर जला दिया। उस घटना के बाद 24 तारीख को कृषि मंत्री जी, माननीय सुराणा जी व उनके साथ नरेन्द्रपाल सिंह जी जोधपुर पधारे थे। राजपूत लड़कों ने छात्रावास को जलाया हो, ऐसी बात नहीं। विद्यार्थी इस तरह का कुकर्म नहीं कर सकते। यह उन लोगों की हरकत है जो विद्यार्थियों को एक्सप्लाइट करते हैं और अपने भले के लिए उनसे कुकृत्य करवाते हैं। कालवी जी चाहते तो इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकते थे पर उनका नजर अन्दाज करना ही घटना का मुख्य कारण है। अतः मैं तो यही कहूंगा, कालवीजी ने उसको जलाया। उसके बाद भी वहां झगड़े हुये। उस दिन भी हुए जब वह वहां थे, अगर वह उनको समझाते तो यह घटना कभी नहीं होती। जब मंत्री लोग जोधपुर गए तो उनको बहकाया। उनसे कहा कि आप किसान छात्रावास में मत जाओ, आप जायेंगे तो आपके साथ झगड़ा होगा। योजना मंत्री जी यहां विराजमान हैं, उन्होंने कहा, जो कुछ होगा, सो होगा, मैं जाऊंगा। जब वहां जाकर छात्रावास की दयनीय हालत देखी तो इनसे देखा नहीं गया। इन्होंने वहां लोगों के सामने घोषणा की कि मैं इमीजिएट मदद घोषित करने में असमर्थ हूं लेकिन अपनी तरफ से एक हजार रुपये या एक महीने का वेतन आपके छात्रावास के लिए देता हूं। मैं प्रयत्न करूंगा जितना आपका नुकसान हुआ है और जो असेस किया जायेगा उसकी पूर्ति राज्य सरकार से की जायेगी। उसी दिन कालवी जी भी जोधपुर में मौजूद थे, पर वे किसान छात्रावास में नहीं गए और राजपूत छात्रावास में बैठे रहे। उसी दौरान तीन और घटनायें हुई हैं। किन लड़कों ने किया ? नाम बोलूंगा तो कहेंगे जाति विशेष को भड़काने की बात है पर उसमें भी मेहरबानी कालवी जी की है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय सदस्य ने कहा कि कालवी साहब ने छात्रावास जलाया। फिर आप कहते हैं कि उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार से जो मदद होगी वह की जाएगी। ये दोनों बाते परस्पर विरोधी हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सुराणा साहब ने मदद की घोषणा की। अगर कालवीजी भी उस दिन किसान छात्रावास में उनके साथ बैठकर बात करते तो शायद आगे घटना नहीं होती। 3 फरवरी को यूनिवर्सिटी बंद हुई। वहां से अभिभावक यहां आए और प्रोफेसर केदार से मिले, डा. हरिसिंह से मिले, पूनियाजी से मिले और शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयत्न किया लेकिन आप नहीं थे, मुख्य मंत्री दिल्ली में थे। उनसे फोन पर बराबर सम्पर्क किया जा रहा था। मुख्य मंत्री ने बताया कि मैं 23 तारीख को आ रहा हूं। विद्यार्थियों व अभिभावकों ने मुख्य मंत्रीजी का इन्तजार किया। मुख्य मंत्रीजी यहां पधारे पर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उसके बाद वे खण्डवा चुनाव में चले गए। उसके बाद राज्यपाल महोदय से मिलकर विद्यार्थी वापस चले गए। जोधपुर के इस मारपीट के क्रम में एक अजीतसिंह नामक लड़के को पीटा गया। उसके साथ एक और लड़का था, जिसने उसको बचाने का प्रयत्न किया वह बचाने वाला भी राजपूत था जो वहां नजदीक ही रहता है उसका नाम है उमाशंकर सिंह। जब [illegible] अजीतसिंह के ऊपर गिर गया और कहा [illegible] इस तरह से इसको नहीं पीट सकते तो लड़कों ने उसको पीटना शुरू कर दिया तब उसका भाई रिवाल्वर लेकर घर से भाग कर आया तो पिस्तौल के डर से लड़के भाग गए। आप स्वयं ही सोचिये कि जब पुलिस इतनी निष्क्रिय हो तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उस बेचारे अजीतसिंह के हाथ पांव टूट गए उसकी जिन्दगी खराब हो गई पर कोई कार्यवाही नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, जब विद्यार्थी यहां मुख्य मंत्रीजी से नहीं मिल सके तो गवर्नर महोदय से मिलकर वापस चले गए। जोधपुर जाकर वी. सी. साहब से कहा कि विश्वविद्यालय को मत खोलिये क्योंकि अभी यहां का वातावरण शांत नहीं है लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय खोल दिया गया। उसके बाद भी कई लड़के भयभीत थे इस बात से कि कहीं झगड़ा न हो जाये। झगड़ा शुरू होता है वह सारा छात्रावास नम्बर वन से शुरू होता है। जैसा कि माननीय सदस्या मदन कौर जी ने बताया, वह छात्रवास आर्ट्स फैकल्टी के पास आया हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस छात्रावास को खाली करवा दीजिए ताकि कम से कम विश्वविद्यालय में शान्ति हो। लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। एक तारीख को यूनिवर्सिटी खुली। 7 को लड़के गये और 8 तारीख को फिर जयराम नाम के लड़के को बरामदे में छुरे मारे, बेरहमी से पीटा और उसको मरा हुआ समझकर छोड़कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, उस छात्रवास के लिए निवेदन करूं कि छात्रावास पर जाति विशेष के लड़कों ने कब्जा कर रखा है लेकिन लड़के उसमें नहीं के बराबर रहते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वह तो उसमें रहते नहीं और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वह उस छात्रावास में रहते हैं। आप किसी भी दिन जाकर चैक करेंगे तो पायेंगे कि उसमें वह लोग भी रहते हैं जो कि शराब और अफीम का नाजायज धंधा करते हैं। उसमें वह लोग रहते हैं जो कि इधर उधर जाकर हमेशा ही लड़ाई-झगड़ा करते हैं। इसलिये यह निवेदन किया था मुख्य मंत्री जी से कि उस छात्रावास को बन्द कर दीजिए। यों तो जब यूनिवर्सिटी में छात्रों का एडमीशन हुआ था तो छात्रवास में भी मेरिट के आधार पर एडमिशन होना चाहिये था लेकिन वह नहीं हुआ। लड़कों ने मनमाने ढंग से छात्रावास पर कब्जा कर लिया। वह छात्र ऐसे हैं जो उस छात्रवास में हथियार रखते हैं। वह छात्रावास ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति विशेष का निजी छात्रावास हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि वह कोई यूनिवर्सिटी का अंग हो। गवर्नर महोदय से भी निवेदन किया था कि इस छात्रावास को अनुसूचित जाति का छात्रावास बना दीजिये या फिर आप लाईब्रेरी की अनेक्सी खोल दीजिए या उसमें

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कोई विभाग खोल दीजिए, या और क्लास लगा दीजिये लेकिन उसमें से यह छात्रावास हटा दीजिये क्योंकि वहां पर लड़के हथियार रखते हैं, यहीं से मारपीट शुरू करते हैं और वापिस छिप जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही ताजा घटना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र वाइस चान्सलर के पास मिलने व ज्ञापन पेश करने के लिए 31 तारीख को एक डेपूटेशन लेकर उनके कार्यालय में गए। पुलिस ने लड़कों की तलाशी ली कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं हैं। तलाशी के बाद ही वह कार्यालय में जा सके। उस समय वाइस चान्सलर महोदय कार्यालय में नहीं थे। वे किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में थे। उनको सूचना दी गयी लेकिन वह सूचना देने पर भी नहीं आये। एक अन्य लड़के को उन्होंने भेज दिया कि ज्ञापन वाले से बात कर लो। जो लड़के मिलने के लिए आये थे उन्होंने कहा कि यदि तुम से ही मिलना होता तो हम बाहर कहीं भी मिल लेते, हम तो वाइस चान्सलर साहब से मिलना चाहते हैं। इसके बाद वाइस चान्सलर को दुबारा सूचना भेजी गयी। वाइस चान्सलर महोदय अपने कार्यालय में आये लेकिन आते आते कहते आए अध्यापक श्री राठौड़ को कि कुछ लड़के भेज देना। उन्होंने कहा कि कुछ लड़के आये हैं, कहीं कुछ हो न जाये, तुम देखना। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति नहीं थी क्योंकि लड़कों की पहले ही पुलिस वालों ने तलाशी ले ली थी। कालवी साहब उस समय जोधपुर में सर्किट हाउस में विराजमान थे। लोग इन्डाइरेक्टली कहते हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं तो डाइरेक्टली कहता हूं कि अगर आपने उस समय स्थिति पर नियंत्रण किया होता तो झगड़ा नहीं होता। जोधपुर एस. पी. का स्टेटमेन्ट है जो कि प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने दिया था और अखबारों में छपा है कि जितने भी जाति विशेष के लड़के हैं उसमें राजपूत लड़के ऐसे हैं जो कि न तो किसी के कब्जे में आते हैं और न कोई उनको कब्जे में लेने अथवा सुधारने का प्रयास ही करते हैं और यही लड़के मुख्यतया झगड़े करवाते हैं। इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि श्री पनेसिंह ने स्टेटमेन्ट दिया था कि अगर कुछ भी हरकत की पुलिस ने तो पूरे जोधपुर को आग लगा दी जायेगी। उसके बाद भी प्रशासन व पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब देख लिया कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो उन्होंने मनमाने ढंग से और दूसरी घटनायें कीं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं वाइस चान्सलर से मिलने की बात कह रहा था। नंगी तलवार, भाले, बरछी, और लाठियां लेकर सौ, डेढ़ सौ लड़के छात्रावास से बाहर आये। छात्रावास के बाहर वाली सड़क, जो कि सोजती गेट की पुलिया से होकर यूनीवर्सिटी वी.सी. कार्यालय की तरफ जाती है, पर वह आये। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ट्रक को रोका, उसको हाइजेक किया। इसी बीच में यह सूचना जब एक एडवोकेट श्री पन्नालाल को मिली तो उसने सूचना पुलिस को दी कि लड़कों ने एक ट्रक को हाइजेक कर लिया है। वह यूनीवर्सिटी में वाइस चान्सलर से मिलने गए लड़कों को पीटने गए हैं। वहां पर झगड़ा होने की हर सम्भावना है। इस पर वहां पुलिस गयी, डी. एस. पी. गये और उनके साथ पुलिस के जवानों का एक ट्रक गया था। आगे आगे लड़के जा रहे थे और

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

पीछे पीछे पुलिस जा रही थी जैसे कोई मुख्य मंत्री जी के पीछे गार्ड लगी हुई हो। यह लड़के गए और झगड़ा हुआ। वाइस चान्सलर से मिलने वाले लड़के तो बहुत कम थे वह भाग गए पर उसमें से तीन लड़के उन छात्रों के हाथ लग गए। पुलिस की मौजूदगी में उनको मारा पीटा गया। उनमें से आज भी एक लड़का अस्पताल में भर्ती है। यह सारी घटना अखबारों में छपी है और आपकी जानकारी में भी होनी चाहिए, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते लेकिन आपने क्या किया ? पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसी का नतीजा है यह झगड़े। वाइस चान्सलर एक तारीख को इतीफा देकर यूनीवर्सिटी को बन्द कर गए। 1 से लेकर 7 तारीख तक बीसों छुरेबाजी की घटनायें हुई। श्री खेतसिंह जी, रामसिंह विश्नोई और श्री रामनारायण जी विधायक जिलाधीश के यहां पर मौजूद थे। उस समय कुछ शहर के लोग व विद्यार्थियों के अभिभावक कलेक्टर के पास गए। सारी घटनाओं के बारे में कहा। जब सन्तोषप्रद जवाब नहीं मिला तब तक उनको कहा गया कि You are an important person झगड़ों की आग में सारे विद्यार्थी जल रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। डी. आई. जी. और एस. पी. ने इस तरह से कहा है कि यहां की जो 80 प्रतिशत पुलिस है इसमें जाति विशेष के लोग हैं वह लड़कों को संरक्षण देते हैं। हालात बिगड़ते गए, पचासों विद्यार्थी छुरेबाजी में आहत हुये तब कहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारियां हुई, फिर कहीं शांति हुई। यह गिरफ्तारियां तो आप पहले भी कर सकते थे। अगर पहले कर लेते तो वहां झगड़े की नौबत ही नहीं आती। क्या आपको गोलियां चलवाने का शौक था ? वहां तो गोलियां नहीं चलीं पर कल बारां में चलवा दीं। माननीय गृह मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि यह छात्रावास नम्बर–एक, झगड़े की जड़ है। अगर इसको बन्द नहीं किया जाता है तो नये आने वाले वाइस चान्सलर की इज्जत है वह भी खतम हो जायेगी। वह हाईकोर्ट के जज रहे हुए हैं। जोधपुर के लोगों के दिलों में मान है। आप देखिए, छात्रावास की तलाशी हुई। डी.आई. जी. जोधपुर ने छात्रावासों की तलाशी हेतु पुलिस जालौर और पाली से बुलाई। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कि वहां से उन्होंने पुलिस बुलाई या नहीं। क्यों बुलाई? क्योंकि जोधपुर की पुलिस में उनका विश्वास नहीं है। उनको पता था कि जोधपुर की पुलिस जान बूझकर कुछ नहीं करेगी। जो आदेश पुलिस के अफसरों को डी. आई. जी. या एस.पी. द्वारा दिए जायेंगे उनकी किसी गुट विशेष के लड़कों को सूचना हो जाएगी और फिर कोई सख्त कदम उठाने में पुलिस असमर्थ होगी। ऐसे पुलिस अधिकारियों को वहां रखने से फायदा क्या ? आपके पास यह भी रिकार्ड होगा कि छात्रावास नम्बर एक में हथियार पाए गए हैं और पुलिस ने बरामद किए हैं।

मैं इन शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के छात्रावास नम्बर 1, को अविलम्ब खाली करवाया जाय और विश्वविद्यालय को छात्रावास को खाली करने के बाद ही खोला जावे। कालवी साहब और मुख्य मंत्री जी ने भाषण किया था, मैं राजपूत नहीं हूं, सभी जाति का हूं। आज वे यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप किसान भैरोंसिह नहीं रहे हैं,

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
आप ठाकुर भैरोंसिह हैं। माननीय कालवी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ठाकुर बनने व रहने के लिए उन्हीं के पद चिह्नों पर चलने वाले हैं। पर आपको इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। किसान तो माननीय सदस्य मदनसिंह दांता हैं जो किसी वक्त सामन्त थे, ठाकुर थे पर आज प्रजातंत्र के भगत है। ठाकुरशाही और सामन्ती को लात मार कर आए हैं और हमारे बीच बैठे हैं। अभी बार-बार हाउस में कहा जा रहा था कि जातिवाद भड़का रहे हैं। यह जातिवाद यूनिवर्सिटी और शहरों में कभी नहीं भड़केगा, जातिवाद शिक्षा के मन्दिरों से नहीं भड़कता।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ. . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका प्रभाव है. . . .

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी को जरूर खोलिए। इसमें हजारों लड़के पढ़ते हैं, किसी जाति विशेष का ही यह नहीं है। लड़कों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लेकिन खोलने से पहले यह जरूर सोचना होगा कि अब ऐसी घटना न हो जाए। आप सरकार के मालिक हैं, आप सरकार के सब कुछ हैं इसलिए सब तरीके आजमा सकते हैं। छात्रावास नम्बर 1, में माननीय अन्य सदस्यों ने बताया है, क्या होता है और क्या उसका स्वरूप बन गया है। इसको बन्द करें। अगर छात्रावास रखना है तो केवल अनुसूचित जाति का ही छात्रावास रखें।

श्री कल्याण सिंह कालवी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और कहा है कि मैं आग लगा रहा था और आप खड़े-खड़े देख रहे थे, इसके लिए धन्यवाद।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने यह नहीं कहा कि आप स्वयं आग लगा रहे थे, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आप सिर्फ कालवी साहब होते या केवल एक विधायक होते तो मैं नहीं कहता लेकिन आप तो केबिनेट के मंत्री हैं। अगर आप इस जिम्मेदारी से अलग हो कर बात कहना चाहते हैं तो, कालवी साहब, यह आप नहीं कर सकते। यह सीधी आपकी जिम्मेदारी है इसलिए कहता हूं कि इसको जलाने का कारण आप हैं। यह बात एक बार नहीं हजार बार कहूंगा। आप इस्तीफा देकर हमारे साथ बैठिये तब कोई न आपको कहेगा और न इस तरह की जिम्मेदारी की बात ही आयगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 60 आदमियों का स्टेबिंग हुआ है. . .

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में जिस प्रकार छात्रों का संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से विचार प्रगट किये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस में जो डी. आई.

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
जी. हैं, पुलिस में जो एस. पी. हैं वे बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी हैं। डी. आई. जी. बहुत ही आनेस्ट हैं और इन्टेग्रिटी के आफिसर हैं जिसके लिये, मैं कहता हूं, मुझे गर्व है।

डी. आई. जी. और एस. पी. के होते हुये ये सब घटनायें घटी और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को कन्ट्रोल नहीं किया जा सका। तो हमें इन कारणों की तह में जाना बहुत ही आवश्यक है। जिन कारणों से डीवाई. एस. पी. जालिम सिंह इतना प्रभावशाली हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया। बाड़मेर में भी इन्होंने यही रवैया अख्तियार किया था इसलिये बाड़मेर से जाना पड़ा। बाड़मेर में एक स्कूल बिल्डिंग को अतिक्रमण करके लेना चाहते थे लेकिन उस समय के मुख्य मंत्री हरिदेवजी जोशी ने अतिक्रमण हटा कर जो चीज विद्यार्थियों के काम की थी वह उनको दिला दी। तो यह स्थिति बाड़मेर में भी जालिम सिंह ने की थी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जालिम सिंह इतना स्ट्रांग कैसे है कि डी. आई. जी. का कहना नहीं माने, एस. पी. का कहना नहीं माने।

एक माननीय सदस्य : यथा नाम तथा गुण होगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं, यह बात नहीं है। जिसके पीछे कोई बैंकिंग होती है वही इस तरह कर सकता है। इसलिये कौन सी शक्ति है जो कार्य कर रही है, उसकी खोज करनी चाहिये। मैं यह चाहता हूं इतने सारे मामले हुए हैं–60 केसेज बताये हैं, व्यक्तियों के नाम नहीं बताये हैं, पक्षपात का रवैया, यूनीवर्सिटी की बिल्डिंग में पक्षपात का रवैया, फ्री–शिप में पक्षपात का रवैया और जो बुक्स वितरण करने का मामला है उसमें पक्षपात का रवैया है, आखिर यह रवैया क्यों है ? इसके पीछे क्या कारण है ? कौन सी शक्ति है जो प्रेरित कर रही है ? मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में पूरी जांच होनी चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं इतने केसेज हुये इनमें से कितनों का चालान किया ? कोई एक भी केस बता दें जिसमें चालान हुआ हो ? जो घटनायें घटी हैं परीक्षाओं से लेकर चुनावों तक, इन तीन-चार महीनों से जो घटनायें घटित हुई हैं, इनमें से कितनों का चालान किया गया है और कितनों को अरेस्ट किया गया है ? 151 में तो मामूली केसेज लिये जाते हैं लेकिन जो 307 के केसेज होते हैं और जो नान बेलेबल आफेन्स हैं उनमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जनता पार्टी की सरकार की निष्क्रियता है, शासन की निष्क्रियता है जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। कोई बड़ी भारी शक्ति इन अपराधों को और जुर्मों को प्रोत्साहन दे रही है। मैं चाहूंगा कि इसकी पूरी तरह जांच की जाय और जो अपराधी हैं उनको दण्डित किया जाय। ठीक है, ऐसा वातावरण भी बनाया जा सकता है जिसमें कम्प्रोमाइज हो सकता है मगर जो कम्प्रोमाइज हो उसमें भी जो गुण्डा कार्यवाही करते हैं और मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने गुण्डागर्दी की है उनका किसी भी पक्ष से बचाव नहीं होना चाहिये। चाहे वे इधर के पक्ष वाले हों और चाहे उधर के पक्ष वाले हों उन लोगों को तो अवश्य ही दण्डित किया जाना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी अखबारों में जोधपुर विश्वविद्यालय के विषय में पढ़ने को मिला लेकिन आज कुछ माननीय सदस्यों ने जो सूचना यहां दी है उसको सुनकर तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। इतना जरूर मालूम था, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल-डेढ़ साल में, कितने ही उप कुलपति आये और चले गये। इस जोधपुर विश्वविद्यालय की ही हालत खराब नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान में यूनिवर्सिटियों की हालत खराब होती जा रही है। जो तथ्य सामने आए हैं, अध्यक्ष महोदय, वे चौंकाने वाले हैं। चाकूबाजी के केसेज हुए हैं, 70 लोगों के स्टेबिंग के केसेज हुए हैं। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, माननीय गृह मंत्रीजी ? ऐसा लगता है कि लॉ एण्ड आर्डर ब्रेक डाउन हो गया है। जंगल राज कायम हो गया हो, ऐसा आभास होता है। आपका स्टेटमेंट आएगा तब पता लगेगा कि आपने क्या कार्यवाही की ? जो गुनाहगार है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, न तो मैं जाट हूं, न मैं राजपूत हूं लेकिन यह जातिवाद की बात बड़ी बदकिस्मती पूर्ण है। जोधपुर विश्वविद्यालय का झगड़ा हो, चाहे गंगानगर के छात्रों का झगड़ा हो, चाहे चिड़ावा में छात्रों का झगड़ा हो और चाहे कहीं पर भी झगड़ा हो, राजस्थान के सारे झगड़े जातिवाद के जहर से ओतप्रोत हैं। अगर जातिवाद के जहर से बचाया नहीं गया तो आज जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात है लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप बड़े भुलावे में हैं अगर यह समझते हों कि इस जातिवाद के झगड़े से गांव बच जायेंगे। अगर आप समय रहते हुए नहीं चेते और एक दफा यह आग फैल गई तो गांवों के अन्दर भी लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन इतनी बिगड़ जायेगी कि काबू में आने वाली नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि दोष किसका है। और किस का नहीं है ? मुझे विस्तार से जानकारी नहीं है। भगवान की खातिर आप राजस्थान को बचाइये। जातिवाद का जहर इतना बुरी तरह से फैल रहा है कि चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, न आज वहां पर कोई पढ़ाई लिखाई की बात है और न किसी तरह की बात परन्तु जातिवाद का जहर फैलता जा रहा है। इससे वातावरण बड़ा दूषित होता जा रहा है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

पहले तो हमारे कालेजों में यह हुआ करता था कि पढ़ने लिखने वाले छात्र एक तरफ होते थे, खेलने-कूदने वाले छात्रों का ग्रुप कुछ होता था और धीरे-धीरे, दो तीन साल में आगे बढ़ने-वाले छात्रों का एक अलग ग्रुप होता था लेकिन आज कालेजों में पढ़ाई-लिखाई का कोई वातावरण नहीं है। जो कुछ यहां पर कहा गया है, मुझे तो अधिक जानकारी नहीं है, मैंने जो कुछ अखबारों में पढ़ा है, जो तथ्य दिये गये हैं वे बहुत चौंकाने वाले हैं। मुझे इससे बड़ी वेदना हुई। मेरा निवेदन है कि चाहे कोई भी हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, जिसका भी दोष हो, जिन्होंने भी गलत काम किया हो उनको आप पकड़िये और उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए।

मैं आपको एक बात कहता हूं कि यह आपकी सरासर गलती है, आपको जस्टिस कानसिंह को वाइस चांसलर नहीं बनाना चाहिये

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

था। यह आपकी बहुत भयंकर भूल हुई है। जस्टिस वेदपाल त्यागी को राजस्थान विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाकर आपने इस विश्वविद्यालय का सर्वनाश कर दिया। वैसे तो इस यूनीवर्सिटी का सर्वनाश पहले ही हो चुका था लेकिन आपने सुधारने के बजाय इसके ऊपर और कुठाराघात कर दिया। आपने इसको रसातल में गाड़ दिया। आज इस यूनीवर्सिटी की हालत क्या है? ऐसा लगता कि सबसे काबिल रिटायर्ड जजों में जस्टिस कानसिंह परिहार ही रह गए हैं। चाहे कोई भी कमीशन हो, आपके पास और कोई रिटायर्ड जज नहीं है। चाहे किसी कमीशन की बात हो, चाहे उदयपुर की बसों का मामला हो, इमर्जेंसी में एक्सेसेज का मामला हो, और भी कोई बात हो आपने जस्टिस कानसिंह को सब काम सौंप दिये। मुझ को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो रिपोर्ट सरकार के फेवर में दी है उसके रिकार्ड के बतौर आपने उनको वाइस चांसलर बना दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के अन्दर बढ़िया जो हमारे शिक्षा शास्त्री हों, जिनको शिक्षा जगत का सम्मान प्राप्त हो, उन्हीं लोगों को आपको वाइस चांसलर बनाना चाहिए। यह आप जो पॉलिटिकल बेसेस पर अपाइन्टमेंट दे रहे हैं इसको रोकिए। जस्टिस कानसिंह से सम्भलने वाला नहीं है जोधपुर विश्वविद्यालय। मैं आपसे आज कह रहा हूं कि इसको अगर कोई सम्भाल सकता है तो राज्य सरकार सम्भाल सकती है और राज्य सरकार भी तभी सम्भाल सकती है जब सख्त कदम उठाए। ठोस कदम उठाए बिना हालात सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे गंगानगर की प्राब्लम हो, चाहे बीकानेर की प्राब्लम हो, चाहे जयपुर की प्राब्लम हो और चाहे जोधपुर की प्राब्लम हो, माननीय गृह मंत्रीजी, आप मेरी बात सुनिए, आप बातें ही करते रह जायेंगे, देखते रह जायेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, गृह मंत्रीजी, आप इस चीज को रोकिए। आप न राजपूत हैं और न जाट हैं बल्कि आप एक वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। आप सोते रह जायेंगे और राजस्थान पिस जायगा। मेरा निवेदन है कि आप इस जहर को बढ़ने से रोकिए वरना आगे आने वाले समय में यह रुकने वाला नहीं है, यह बिल्कुल सच्ची बात है। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री सूरजपालसिंह : जोधपुर विश्वविद्यालय में, आज भय और आतंक का वातावरण है। मैं भी जोधपुर में रहता हूं, मेरी फैमिली वगैरह वहां रहती है। मैंने जो ढंग जोधपुर विश्वविद्यालय का देखा है, वह विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि शहर के अन्दर भी सड़कों पर नग्न प्रदर्शन शुरू हुआ है, यह बड़ा दुखदायी विषय है। इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि यह सारी जवाबदारी आपकी है। इसमें पुलिस द्वारा उदासीनता बरती गई है। राज्य के गृह मंत्री जो हैं वह इस मामले में, मैं निस्संकोच कहूंगा, बिल्कुल फेल्योर रहे हैं। सड़कों पर नंगी तलवारें

(श्री सूरजपाल सिंह)

लिए हुए घूमें, चाहे छात्र हों या ग्रौर कोई भी गुण्डा हो, मैं इसमें कोई जाट या राजपूत की बात नहीं करता हूं, मगर छात्र इस तरह से खुली तलवारें लिए हुए नंगा प्रदर्शन करें तो सवाल पैदा होता है कि उस समय पुलिस दो महीने तक क्या करती रही ? जिस दिन दलपतसिंह की पिटाई हुई ग्रौर जिस दिन से यह सारा प्रकरण शुरू हुग्रा उसके एक महीने बाद तक यह पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय रही। किसी का चालान नहीं किया। जालौर की कोग्रापरेटिव के दो लड़के दर्शनसिंह ग्रौर रतनसिंह जोधपुर गए, उनकी दिन दहाड़े पांच फरवरी को खेतसिंहजी राठौड़ के बंगले के बाहर निर्मम पिटाई की गई, स्टेबिंग किया गया। जब मैं जयपुर से वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि यह हालत हो रही थी। उस समय पुलिस क्या कर रही थी ? मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है। दोनों तरफ की क्षति हुई है। जाट लड़कों की पिटाई हुई है तो राजपूत लड़कों की भी पिटाई हुई है। इससे नतीजा क्या निकल रहा है ? यह जातिवाद का झगड़ा नहीं बल्कि राजनैतिक झगड़ा है। इसके परिणाम अच्छे नहीं ग्राने वाले हैं। विश्वविद्यालय में जहर फैलेगा तो गांवों में भी फैलेगा। इसमें जाट ग्रौर राजपूत की कोई बात नहीं है। मैं राजपूत हूं लेकिन मेरे साथ में जाट बैठे हैं, उनका कोई झगड़ा नहीं है। यह सब राजनैतिक प्राप्ति के लिए कुछ लोगों का निजि स्वार्थ है जो ये सब झगड़े टंटे करवा... बाकी न यहां कोई राजपूतों... न कोई जाटों का झगड़ा... जाट दोनों ही... लड़ाने वाले...

इनकी लगाई हुई ग्राग है। इनसे बड़ा सम्भल कर रहने की ग्रावश्यकता है नहीं तो कितने ही हैं जो जाट राजपूतों के बीच के ग्रन्दर झगड़ा कराते हैं। ग्राज शासन कौन करते हैं ? जाट ग्रौर राजपूत का नाम लेकर शासन कौन करते हैं ? ग्राखिर लॉ एण्ड ग्रार्डर मेंटेन करने का काम किस का था ? गृह मंत्रीजी का यह काम था लेकिन उनको कोई नहीं कहता कि लॉ एण्ड ग्रार्डर मेंटेन क्यों नहीं किया ? मगर कालवी साहब को कहेंगे या ग्रौर कोई जाट बैठा है महत्वपूर्ण पद पर तो उनको कहेंगे। उनको कोई नहीं कहता जिनका यह कर्त्तव्य था।

जोधपुर की सड़कों के ऊपर जो खुले ग्राम नंगी तलवारें लेकर घूम रहे हैं उनको रोकने का काम गृह-मंत्री का है लेकिन उनको कोई कहने वाला नहीं है। यह सारा का सारा काण्ड दलपतसिंह की पिटाई के बाद शुरू हुग्रा। पांच ग्रादमी राजपूतों के बदमाश हो सकते हैं, पांच ग्रादमी जाटों के बदमाश हो सकते हैं लेकिन सभी तो बुरे नहीं है। ग्राप, गृह मंत्रीजी, चुप क्यों बैठे रहें ? ग्रापने क्या किया ? इसलिए यह निवेदन करूंगा, गृह मंत्रीजी, ज्य... स्टेटमेंट दें तब यह सारी डिटेल्स... किस-किस ने किस-किस... कितने स्टेबिंग हुए... गए ? रतन... में थाने...

(श्री सूरजपाल सिह)
तो सारी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें, सदन के पटल पर रखें और पूर्ण रूप से इसका जवाब दें।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्व विद्यालय में जो अराजकता फैली हुई है उसके सम्बन्ध में अभी काफी चर्चा हुई है। इस चर्चा के अन्दर विशेष तौर से दो गुटों में झगड़े की बात चल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में विचारणीय विषय है, विचार का प्रश्न है, तालीम के मन्दिर में हम अपने बच्चों को इन्सानियत सिखाने के लिए भेजते हैं, जीव- निर्वाह करने का सबक भेजते हैं। –

के बंटवारे में आया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी वे वहां पर करते हैं, वह वास्तव में होता है। कालवी साहब की इज्जत हम करते हैं क्योंकि वे केबिनेंट के मंत्री हैं। मैं उनसे डरता हूं इसलिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, वे माननीय मंत्री हैं। हम जानते हैं कि वे एक जिम्मेदार मंत्री हैं इसलिए उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। मैं उनको उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराना चाहता हूं। वे जाकर के शिक्षा के मन्दिर के लोगों को राहत दें। यह उन [illegible] म्मेदारी है क्योंकि
उन [illegible] ावत मंत्रिमण्डल
उनको आगाह
नी जिम्मेदारी

सम्पतराम
रण देना
न. गुप्ता
साराम
काश्त-
भूठा
ग हैं
हैं।
त

(श्री अब्दुल अजीज)
विवश होकर बैठे रह जाते हैं, उसका एक जिंदा उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। कालवी साहब ऐसे लोगों के यहां पर आते जाते हैं, इसलिए उसका एक प्रमाण यहां पर दे रहा हूं। आपने यह पत्र लिखा है, आपको याद है। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस बेकसूर को पुलिस बुलाती है। इस तरह से आपके राज में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है सरकार की ओर से तो किस तरह से कमजोर तबके के लोगों को विश्वास आपके ऊपर होगा? हमारे मंत्री हैं वह असामाजिक लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। मैने बार-बार आपको अनुरोध किया है। वह गरीब मेरे पास आता है। मैं भी उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता रहता हूं। वहां की पुलिस, मकरांना के सी.ओ. अच्छे हैं परन्तु थानेदार गच्छीपुरा उसको परेशान करता है। इस प्रकार की हरकतें होती हैं। पर्सनल रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसका हल नहीं होता है।

मैं एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं कि यह अराजकता किस तरह से फैलती है। अध्यक्ष महोदय, मीठड़ा एक गांव है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मीठड़ा के जो शक्तिदानसिंह सरपंच हैं . . .

(व्यवधान)

(1.55 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सम्पतराम : आपने अभी मेरे पत्र का उल्लेख किया है। क्या आप बता सकते है उसमें क्या लिखा है?

श्री अब्दुल अजीज : यह आपने एल. एन. गुप्ता को नरसाराम के बारे में लिखा है। यह झूठा मुकदमा क्यों बनाया गया? वास्तव में जो पत्र आपकी तरफ से लिखा गया है उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके लिखने के बाद भी पुलिस इस तरह से कार्य कर रही है कि वह गरीब भयभीत है। पुलिस का जवान उसके घर पर जाता है और उसको गिरफ्तार करने की बात कहता है। उसको थाने पर बुलाता है। इससे उसको दहशत होता है। वह गरीब भाग कर मेरे पास आता है। इसलिए मैंने यहां पर निवेदन किया है।

मेरा अर्ज करना यह है कि यह अराजकता होती कैसे है? इसी तरह से शक्तिदानसिंह, जो मीठड़ा का सरपंच है, ने एक कुम्हार के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया है। जिस तरह से उसको संरक्षण मिलता है, उससे इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कर विश्वविद्यालय में अराजकता फैलती है। यह छोटी बात है परन्तु मैं इसका सबूत यहां पर दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मीठड़ा गांव का एक कुम्हार है, उसने शक्तिदानसिंह के मर्जीदान के खेत पर बेगार करने से इन्कार कर दिया तो इस कुम्हार के ऊपर एक गाय की चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। यह इल्जाम लगाया गया कि एक आवारा गाय को उसने खरीद लिया। प्रश्न यह है कि यह शक्तिदान सिंह कौन है? यह कालवी साहब अच्छी तरह से जानते हैं। कालवी साहब उसके घर पर जाकर ठहरते है तो इसका वहां के थानेदार पर भी असर पड़ता है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री कल्याणसिंह कालवी : आपके पक्ष के सरपंच को हरा कर वह आया है, यह मैं जानता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : कोई किसी से हार कर या जीत कर आया है, यह प्रश्न नहीं है...

श्री मदनसिंह दांता : आपका स्थगन प्रस्ताव जोधपुर विश्वविद्यालय पर है। उस पर कहिये। यह कोई निन्दा प्रस्ताव कालवी साहब के बारे में नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो डी वाई. एस. पी. रूपसिंह है...

श्री ईश्वरचन्द्र : प्रश्न जोधपुर विश्वविद्यालय का है और आप थानेदारों की वकालात कर रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : इसके जरिए से मैं यह बता रहा हूं कि अराजकता कैसे फैल रही है। इसका एक उदारण दे रहा हूं। आज जोधपुर विश्वविद्यालय में किस प्रकार से अराजकता फैल रही है, किस तरह से गांव में फैल रही है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री अब्दुल अजीज : मैं बता रहा हूं कि विश्वविद्यालय में किस तरह से अराजकता पनपती है, किस प्रकार का करेक्टर बढ़ रहा है, किस प्रकार उसका संरक्षण देते है। आपके कथन के विपरीत कह रहा हूं कि कालवी साहब से डरता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डरने की कोई बात नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : आप उनसे डरे हैं और आपको डराया गया है। आपका केस पेन्डिग है।

श्री अब्दुल अजीज : आप सब्र कीजिए मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा। प्रश्न इस बात का है कि विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुले ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कितना समय लेंगे ?

श्री अब्दुल अजीज : थोड़ी देर में समाप्त कर रहा हूं।

राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, चाहे वह शिक्षा मंत्री हो, चाहे वह जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता हो, चाहे वह जोधपुर डिवीजन का जनता पार्टी का कोई पालिटिकल हैड हो, चाहे वह होम मिनिस्टर हो, और चाहे वह राज्य का मुख्य मंत्री हो, वे इस बात से बचे नहीं रह सकते कि विश्वविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाई होती है ? लाखों करोड़ों रुपयों का बजट हमारा शिक्षा पर खर्च होता है। हम इस उम्मीद में हमारे बच्चों को वहां पर भेजते हैं कि वे कुछ ज्ञान हासिल करें। उसके बाद...

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को संक्षेप में खतम कर दें।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी गहरी बात है। इसका नतीजा यह होगा कि यह आगे गांवों तक जायेगी, यह आगे इस देश का बंटवारा करा देगी। इसको महसूस किया जाये कि एक बड़ा तबका ही हैड है और दूसरों को दबाया जा रहा है। कालवी साहब, लोग फैसला करना जानते हैं। वे करेंगे इसका फैसला। मेरा निवेदन यह है, आप जिम्मेदारी का अहसास करते हुए कार्यवाही करें। यह मैं आपसे अनुरोध करूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं, सुझाव के रूप में कहूंगा। यह जो घटना जोधपुर में हुई · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनसिंह जी, आपने स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही कह रहा हूं क्योंकि यह घटना हुई है, तलवारें लेकर जुलूस निकाला और पुलिस साथ रही। इसके साथ सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मेरा जाति के लोग हैं, एक राजपूत का लड़का स्कूटर पर लड़की को लेकर भाग गया। यह जाटों की भूल है कि इस तरह से राजपूत निकल जायं। ऐसी स्थिति में आज हम भाई भाई लड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स में हमारा इस तरह का व्यवहार रहा है। आज इस तरह की घटना हो मैं समझता हूं, होम मिनिस्टर इसके बारे में फर्मायेंगे लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने की आपकी ड्यूटी थी। लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में बहुत सुझाव आये। मैंने भी यह सुझाव दिया था कि परमानेन्ट ऐसी कमेटी, उच्चस्तरीय कमेटी क्यों नहीं बना लेते हैं जो ऐसे झगड़ों को सुलझाये। आज भारत के होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों की कुछ तादाद तो कम हुई है फिर भी व्यवस्था तो खराब है ही।

उपाध्यक्ष महोदय, हजारों चोरियां होती हैं उनको हम इतना महत्व नहीं देते, परन्तु खुले आम जुलूस निकले, लॉ एण्ड आर्डर को चैलेन्ज करते हुए, तो ये जो बड़े नेता हैं उनकी एक समिति बना दें ताकि ऐसी घटनाएं बन्द हो जायं। इस सम्बन्ध में निष्पक्ष सुझाव आ जायें। यह आश्चर्यजनक है कि नंगी तलवारों का जुलूस हो और होम मिनिस्टर को पता न हो। होम मिनिस्टर को सब पता है। ऐसी घटना के अन्दर मेरी ही जाति के आदमी हैं, इसका मुझे बड़ा दुःख है। मैं तो इसे अगर कतल होकर भी रोक सकूं तो यह मेरे लिये तो बड़ा आवश्यक होगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक विनम्र निवेदन है। दो बज चुके हैं · · ·

एक माननीय सदस्य : तो क्या हुआ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बात तो सुन लीजिये। इस तरह से जो · · ·

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न ह। माननीय विधि मंत्री जी जब भी खड़े होते हैं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : वे लॉ मिनिस्टर नहीं हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं।

श्री रामकरण सिंह : यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर होते हुए भी ऐसी भाषा बोलते हैं इसलिये व्यवस्था कर दीजिये कि इस तरह की भाषा नहीं बोलें। अगर यही प्यार की भाषा है तो मैं मेरी प्यार की भाषा भी बोलना शुरू कर दूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि जीरो आवर समाप्त किया जाय।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गहरा मसला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सुन लिया है। अब मुझे भी कहने दीजिये। आप कृपया बिराजें।

मैं माननीय मदेरणा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है इस पर माननीय सदस्यों द्वारा काफी चर्चा हो चुकी है। चर्चा एक इन्सीडेन्ट के रूप में, नहीं होनी चाहिये। अगर काफी संख्या में सभी माननीय सदस्य बोलें, लेकिन कोई समय भी सीमित होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : लेकिन जिन्होंने हस्ताक्षर किये हैं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसलिये मदेरणाजी, जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, निवेदन कर रहा हूं कि वे कह दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है· ·

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर सभी सदस्य बोलना चाहें · · ·

(व्यवधान)

मैं अपनी पार्टी का एक मात्र मैम्बर हूं।

(व्यवधान)

श्री नूरा : मैं भी अपनी पार्टी का एक मात्र मैम्बर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकृष्ण जी, आप कृपया बिराजें। आपका नाम स्थगन प्रस्ताव में नहीं है। आप कृपया बिराजें। माननीय श्री मदेरणा जी विरोधी पक्ष के नेता हैं। आपने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं। मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता को प्राथमिकता दूंगा। पहले वे बोलेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी है. . . .

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं निश्चित तौर पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल दो मिनट बोलूंगा। दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे संख्या कुछ भी हो, सी. पी. आई. के माननीय सदस्य हैं वे अपने विचार रखना चाहते हैं। यह कोई दो वर्गों के लड़कों का प्रश्न नहीं है। यह हजारों विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ी के निर्माण का प्रश्न है। इसलिये अगर कोई सुझाव आते हैं तो थोड़ा सा अवसर आप दीजिये। फिर 2 मिनट में मैं कह दूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में ही अपनी बात कहूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह दो मिनट कितना होते हैं। दो मिनट का मतलब दो मिनट ही होना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं बिल्कुल ही दो मिनट में बोलते हुए समाप्त कर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जब जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के कालेजों के अन्दर दो विशेष जातियों के छात्रों में झगड़ा हुआ और लड़के आकर हमारे से मिले तो हमने एक बात कही थी कि यह बहुत बुरी बात है। जो भी झगड़ा करे उसको सजा मिलनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यह कहा था कि मैं बदनसीबी से एक जाति विशेष से हूं, मगर मेरी कोई जाति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि गृह मंत्री जी की पुलिस गंगानगर के लिए तो इतनी होशियार है, इतनी एफिशियेन्सी उसमें आ जाती है कि तीन दिन के अन्दर वहां दफा 307 और 126 जैसे संगीन जुर्म, जिनमें फांसी की सजा होती है, के अन्दर लोगों का चालान कर दिया। जोधपुर में चालान क्यों नहीं हुआ? उनके पीछे क्या है? कौन से लोग हैं? मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन हैं? मुझे कहना चाहिए क्योंकि इसमें चुप रहने की बात नहीं है। जो बाहर के वातावरण में बात फैल रही है उसको बताना

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

चाहिए, उसका रिपलेक्शन हाउस में होना चाहिए। राजस्थान के अन्दर जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई बड़े जोरों से चल रही हैं। हर कालेज के अन्दर, हर स्कूल के अन्दर यह लड़ाई हो रही है, और यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। राजपूत वर्सेस जाट ही नहीं, बनिया वर्सेस जाट होगी, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो जायगी। आज सविसेज की सिक्योरिटी नहीं है। आज जनता पार्टी के राज के अन्दर जो फ्यूडल लोग बैठे हैं वह हावी हो गये हैं। वह ऐसा महसूस करते हैं कि वापिस हमारा राज्य आ गया है। उनको ऐसा विश्वास भी हो गया है चाहे वह अधिकारी हों, चाहे एम. एल. ए. हों, चाहे मिनिस्टर हों। वह जनता के प्रतिनिधि नहीं अपनी एक जाति विशेष के प्रतिनिधि बने हुए हैं चाहे वह मिनिस्टर ही क्यों न हो, इस आग को नहीं फैलने दिया जायगा। यह आग गांवों में भी फैल रही है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है। आपके पास कुछ लोग आ जाते हैं वह आपकी चमचागिरी करते हैं। उनमें राजपूत भी होते हैं, जाट भी होते हैं और बनिये भी होते हैं। मिनिस्टर के पास सभी आते हैं। हमारे यहां राजपूत होस्टल हैं, जाट होस्टल हैं, यह बीमारी की जड़ है। आप जाति विशेष के नाम से होस्टल्स चला रहे हैं। यह विश्वविद्यालय नहीं रहा बल्कि उसको एक विशेष जातिवाद का अड्डा बना दिया गया है। देश में जब पूंजीवाद को मान्यता नहीं रहती है, पूंजीवाद कमजोर हो जाता है तो जातिवाद का वह आधार लेता है। जब पूंजीवाद के पास कोई योजना नहीं होती है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है और कीचड में फंस जाता है तो जातिवाद के आधार पर लोगों को भड़काता है ताकि उसके आधार पर उसकी उम्र कुछ ज्यादा हो जाय। आज देश में पूंजीवाद तड़फ रहा है। चाहे हमारे गृह मंत्री जी वीकर सैक्शन के हैं और चाहे उनको गृह मंत्री बना दिया तो भी क्या फर्क पड़ता है। सवाल यह है कि उनके पीछे कौन बैठा है? उनके पीछे वही फ्यूडल लोग हैं जो यह कहते हैं कि 30 साल के बाद फिर हमारा राज आ गया है। यदि कोई विद्यार्थी बदमाशी करके आपके पास आया और आप किसी को मदद न दें तो कैसे उनका हौंसला हो सकता है? आप गंगानगर के अन्दर तीन दिन के अन्दर सैंकड़ों विद्यार्थियों का चालान कर सकते हैं तो क्यों नहीं जोधपुर में आपने चालान किये, इस बात का जवाब दें। अगर आप चाहते हैं कि राजपूत होस्टल रहे, जाट होस्टल रहे, जैन होस्टल रहे तो फिर आपके ऊपर मेरा एलिगेशन है कि आपने निश्चित रूप से जातिवाद को बढ़ाया है। अगर आप में थोड़ी बहुत भी ईमानदारी है तो इन जातिवादी होस्टलों को हटा दें। सभी विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर एडमीशन दिया जाय। वहां पर वार्डन का इन्तजाम किया जाय। आपके होस्टलों में रोटी का इन्तजाम नहीं, आपके होस्टलों में वार्डन जिम्मेदार नहीं है। पूंजीवाद व्यवस्था की दिलचस्पी है। यह लडाई सड़कों पर न आ जाय। इसके लिए आप सम्भल जायं। इसकी जिम्मेदारी आप पर है, कालवी साहब। लोग आपका नाम लेते हैं पीछे से लेकिन मैं आपके सामने कहता हूं कि आप ऐसे तत्वों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। विद्यार्थियों के अन्दर यह भावना पैदा हो रही है इसको दूर किया जाय।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय, जोधपुर के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वहां पर अधिकारी चुनावों के समय माला पहनकर जुलूस में शरीक हुए। उससे यह पता लगता है कि उसके पीछे कोई न कोई जरूर है। कोई भी जाते कोई भी हारे अधिकारियों को उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिये जीतने वालों के साथ अधिकारी लोग जाते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसमें अधिकारियों का हाथ है। और अधिकारियों के पीछे, मैं कह सकता हूं, सत्ता की मेहर-बानी होती है। वह ऐसे प्रोग्राम में जाकर जातिवाद को पनाह देते हैं।

आज जातिवाद के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। हम साम्यवादी पहले ही कहते थे कि जातिवाद के आधार पर जिस तरह से संघ चलते हैं उस संघ को पूंजीवाद का सबसे बड़ा आश्रय है। पूंजीवाद का किसी आदमी विशेष से ताल्लुक नहीं है। उसका किसी राजपूत से ताल्लुक नहीं है। राजपूत भी गरीब हो सकता है, जाट भी गरीब हो सकता है, लेकिन लड़कों के सिर पर हाथ रखकर यह पूंजीवादी राजनीतिज्ञ लोग अपनी जिन्दगी के लिये झगड़ा करवाते हैं। आज जोधपुर विश्वविद्यालय में कई लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। आज कितने असें से वह विश्वविद्यालय बन्द पड़ा हुआ है और बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है किन्तु सरकार केवल बैठी बैठी देख रही है। आज तक इसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। इसका फैसला या तो यह हो सकता है कि जो हार गये हैं वह सरेण्डर कर दें और कह दें कि हम अपनी हार मानते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसे ही चलेंगे और आप मारेंगे तो भी मार खा लेंगे, या जीतने वाले ऐसा कह दें कि कोई बात नहीं हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं। सरकार बीच में आये इन दोनों के और गुनाहगारों को सजा दे। जो पढ़ाई का समय जा रहा है वह पिटने वालों और मार खाने वालों का भी समय जा रहा है और जीतने वालों का भी समय जा रहा है। आने वाले समय में और ज्यादा बच्चों का समय न लें, नहीं तो वह घातक होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जाट वर्सेस राजपूत कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा करने वालों की एक ही जाति होती है। उसके लिए एक ही बात है कि जो झगड़ा करता है वह तभी करता है जब कि सरकारी पक्ष के किसी अधिकारी का उसके सिर पर हाथ होता है। वह साम्प्रदायिक संघ बनाकर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए झगड़ा करवाते हैं। आपसे पहले कांग्रेस सरकार थी उसने भी इन अधिकारियों के भरोसे ही राज चलाया है। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया तो उसका परिणाम यह हुआ। अधिकारियों की जाति ही अलग होती है यह किसी के नहीं होते हैं। जो अधिकारी काम करते हैं वे अपने मन से नहीं करते हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय इतने दिन बन्द पड़ा रहा तो वह अधिकारियों की मन्शा से नहीं लेकिन सरकारी दबाव से ऐसा होता है। पुलिस बैठी बैठी देखती रहती है और गुण्डा तत्वों को पकड़कर कार्यवाही नहीं करती है। यह पूंजीवाद की देन है। झगड़ा पूंजीवाद की देन होती है। पैसे वाले ही झगड़ा टंटा करते हैं और गरीब का नुकसान होता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर जैसी संस्था

(श्री नूरा)

में व्यवस्था बनायें रखने का काम गृह मंत्री जी का है न कि कालवी जी का। शिक्षा का काम शिक्षा मंत्री जी का है उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वह विश्वविद्यालय को खुलवाने का प्रबन्ध करेंगे क्योंकि बच्चों को आगे पढ़ने का समय नहीं रहेगा। यदि झगड़ा होता है तो सरकार को बीच में पड़कर उसको दूर करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नूरा : हमारे यहां पर मजदूरों में सभी जातियों के लोग हैं। पूंजीवाद के खिलाफ मांग मनवाने में सभी जातियों के लोग मिलकर चल रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं होती है।

हम आर. एस. एस. की बात करते हैं तो तुम्हारे साथी चिढ़ते हैं। विधान सभा में तरह तरह की जातियों के लोग आये हैं। वह जातिवाद की बातों को परे रख कर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचें। जो राजपूत लड़कों का नाम लेते हैं, मैं कहता हूं कि सभी राजपूत नहीं हो सकते हैं। दूसरे बड़े, पैसे वालों के और पूंजीपति लोगों के लड़के हो सकते हैं। औजार इकट्ठे करना उनका काम हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए। हमेशा के लिए ठीक करने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो भविष्य का इतिहास इन्तजार कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब।

(व्यवधान)

अब मैं किसी भी अन्य माननीय सदस्य को समय नहीं दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरे स्थगन प्रस्ताव थे। एक जयपुर के राजस्थान कालेज, दूसरा स्कूल के बारे में और तीसरा एडजोर्नमेंट मोशन चिड़ावा स्कूल के बारे में था। कुछ दूसरे प्रस्तावों पर बोलने वाले लोग हैं जो पर्टीकूलर विषय पर बोले हैं, वह भी बोलने वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लीडर आफ अपोजीशन बोलने वाले हैं तो उनके बोलने के बाद आप बहस को बन्द नहीं करें।

श्री शंकरलाल : इसके अलावा भी बोलने वाले हैं।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो कहा जा रहा है उसके बारे में राज्य सरकार की ओर से मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, इसको भी सामने रखें।

श्री उपाध्यक्ष : शासन पक्ष की ओर से आज ही जवाब दिया जाएगा। आप संक्षेप में कह दें तो अच्छा हो या उसके बाद में रखेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : जवाब देने के बाद में रखना।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा। आपकी तरफ से समय की बन्दिश लगा दी गई है। आसन जब स्ट्रिक्ट हो जाता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है।

52

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय लेना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बता दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह हाउस का कन्वेन्शन रहा है कि लीडर आफ दी हाउस पर समय की बन्दिश नहीं लगती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जो, मैं उनकी सुविधा के अनुसार ही पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर विश्वविद्यालय बन्द है। जैसा कि पत्रों में पढ़ने को मिला है, 5 तारीख को उपकुलपति खोलने जा रहे हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय तीन दफा बन्द रहा है। प्रारम्भ से, इस एकेडेमिक ईयर से अध्ययन का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में जो 12 हजार विद्यार्थी हैं उनका भाग्य अन्धकारपूर्ण है। एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे। आज उनके सामने एक अजीब स्थिति आ गई है। आगे पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेज में जाने के लिए समय का शिड्यूल बदल जाता है। वह राजस्थान विश्वविद्यालय में जायेंगे या कहां जायेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं वह राज्य सरकार की जानकारी में हैं। आज भी जोधपुर विश्वविद्यालय की विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां इस प्रकार की व्यवस्था करें, ऐसा वातावरण बनायें ताकि भविष्य में झगड़े नहीं हों। जो कुछ भी हुआ है, उसे मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रशासन यदि किसी को संरक्षण देता है तो वह न दे इससे दूसरों में संरक्षण की भावना रहेगा। जब पहली बार विश्वविद्यालय खुला तो खुलने के बाद मेरी गृह मन्त्री जी से बात हुई थी। उन्होंने मेरे से यह कहा था कि अब कानून को अपने रूप से काम में लूंगा, सख्ती के साथ लूंगा और इस प्रकार की घटनायें नहीं होंगी। इसके बावजूद तीस चालीस छुरेबाजी की घटनाएं हुई हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निवेदन करूंगा कि जिला प्रशासन सक्षमता और सक्रियता से इस दिशा में अपना परिचय दे। यह विद्यार्थियों के हक में है। मैं लड़ाई के कारणों के विश्लेषण में नहीं जाना चाहता। 55 या 60 के आसपास इब्तिदाई रिपोर्ट हुई है, एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। इसलिए यह स्थिति भयंकर है। सरकार को पता है, एफ. आई. आर. दर्ज है। छात्रों का बहुत बड़ा अहित हुआ है। वह दो कौमों के छात्रों का प्रश्न ही नहीं है। यह लड़ाई झगड़े क्यों हुए हैं, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। यह सरकार की जानकारी में है। मुख्य मंत्री जी ने भी मन्त्रियों को डेप्यूट किया किन्तु झगड़ा निपटाने का उनका प्रयास असफल रहा है। योजना मन्त्री जी और कृषि मन्त्रीजी गये थे। मैं एक ही बात कहता रहा हूं, सभी मन्त्रियों को यह पता है, मैंने कभी बच्चों का राजनीति में एक्सप्लायटेशन किया जाये या जातिवाद के लिए भड़काया जाए या राजनैतिक रूप में कोई उपयोग किया जाए, ऐसी कभी कोशिश नहीं की है। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहा है। लेकिन झगड़े बढ़ते गये। झगड़े क्यों बढ़े हैं,

(श्री परसराम मदेरणा)

यह सरकार को पता है ? इसलिए सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को नहीं रहने दें। मेरी अपील केबिनेट के माननीय सदस्यों से है क्योंकि अब विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं इसलिए परिसर में किसी प्रकार का तनाव और अशान्ति न हो, छात्रों में किसी प्रकार की मानसिक अशान्ति नहीं रहे, इसको भी आपको देखना है। यह प्रयास सरकार को करना चाहिए। श्री चर्चिल के व्यूज के अनुसार with all the humility at my command मैं कहूंगा कि गान्धी जी ने भी कहा-- Greatest of minds have the utmost humility मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा Never was so much lost by so many because of so few हजारों लड़कों का नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ लोगों के सिचुएशन नहीं संभालने की वजह से यह सब हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होने दें और शान्तिपूर्ण वातावरण जोधपुर विश्वविद्यालय के परिसर में कायम हो ताकि छात्र अध्ययन में लग जायं, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री महो-महोदय।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे स्थगन प्रस्तावों पर भी हमको बोलना हैं उनको भी ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस स्थगन प्रस्ताव पर माननीय गृह मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते है। माननीय गृह मंत्री महोदय।

शासकीय वक्तव्य

जोधपुर विश्वविद्यालय में अराजकता का वातावरण होने से विश्वविद्यालय के बन्द होने की घटना

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष 1978 में विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव, जो लगभग चार वर्ष के पश्चात् हुए, उसमें दो गुट स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए। एक गुट के सज्जनसिंह व दूसरे गुट के गौतम मेहता ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री सज्जनसिंह एवं कमल जोशी उम्मीदवार विजयी हुए। इस परिणाम से पराजित गुट में निराशा छा गई और दोनों ही गुटों का तनाव बढ़ता गया। विश्वविद्यालय परिसर में इन दोनों गुटों में छुट-पुट मारपीट की घटनाएं भी हुईं। माह सितम्बर में इन्जीनियरिंग फैकल्टी के द्वारा सीटें बढ़ाने आदि की मांग को लेकर हड़ताल किये जाने पर, विश्वविद्यालय यूनियन द्वारा सहयोग न दिये जाने पर इन दोनों गुटों में मतभेद और अधिक बढ़ गए।

दिनांक 22-12-78 को छात्र चौथाराम द्वारा छात्रों को कक्षा से बाहर जाने पर कुछ छात्रों द्वारा विरोध प्रकट किया गया और उन्होंने चौथाराम को मारपीट की परन्तु छात्र दलपतसिंह उप सभापति कला संकाय के हस्तक्षेप से झगड़ा शांत हो गया। इसका मुकदमा पंजीबद्ध हुआ। उसी रात्रि कुछ छात्र तेजा होस्टल से बदला लेने हेतु दलपतसिंह के निवास पर पहुंचे और उस पर आक्रमण कर उसे गम्भीर चोटें पहुंचाई जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना

(श्री सम्पतराम)

मिलने पर पुलिस ने मुकदमा पंजीबद्ध किया। अपने साथी पर हमले की सूचना सुन कर जब उससे मिलने छात्र चन्दनसिंह व अमरसिंह उसके पास जा रहे थे तो कुछ छात्रों ने रास्ते में उन पर भी बन्दूक से फायर किया जिनसे उनके चोटें आई। हनुवन्त छात्रावास में रह रहे छात्रों को जब इन हमलों की सूचना मिली तो उनमें रोष व्याप्त हो गया और तेजा होस्टल पर हमला किया और होस्टल में आग लगा दी। तेजा होस्टल की छत पर खड़े छात्रों ने पथराव किया और बन्दूक से फायर किये। जिससे कुछ छात्रों को चोटें आई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही की गई और प्रभावित क्षेत्र में गश्त का प्रबन्ध किया गया तथा दोनों गुटों के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध किये गये।

इस घटना से दोनों गुटों में तनाव काफी बढ़ गया और दोनों ही छात्रावासों के पास से निकलने वाले लोगों पर अकारण हमले किये गये। दिनांक 23-12-78 को कुछ छात्रों ने होस्टल नं. 3 में रह रहे छात्र दौलाराम के कमरे में आग लगा दी और उसे पीटा। उसी रोज राजस्थान मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ मन्त्री श्री माणकचन्द सुराणा, श्री कल्याणसिंह कालवी व जनतापार्टी के उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्रपालसिंह चोधरी जोधपुर पहुंचे। श्री बिरदमल सिंघवी पहले ही से जोधपुर में मौजूद थे। इन्होंने दोनों दलों के छात्रों एवं संभ्रान्त नागरिकों से बातचीत कर शान्ति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास किया। उनके प्रयास के फलस्वरूप दोनों गुटों में समझौता होकर एक 17 सदस्यीय शांति समिति का गठन किया गया जिसका संयोजक जिलाधीश, जोधपुर को बनाया गया और भूतपूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष श्री पन्नेसिंह को भी इसमें सदस्य मनोनीत किया गया।

श्री पन्नेसिंह दिल्ली से वापस लौटे और उप कुलपति के निवास पर दिनांक 25-12-78 को दोनों गुटों के प्रतिनिधि एवं प्राध्यापकों की बैठक में उन्होंने शांति समिति की भर्त्सना की और उसी सायंकाल सर्किट हाउस में वह कमेटी की बैठक का बहिष्कार कर उठकर चले गये। कुछ ही देर बाद विधि संकाय के पूरणमल छात्र पर चन्दनसिंह, परबतसिंह आदि 7 छात्रों ने लाठियों व चाकू से हमला किया। जिस पर थाना उदय-मन्दिर में अभियोग दर्ज हुआ।

दिनांक 23-12-78 से 2-1-79 तक विश्वविद्यालय शरद कालीन अवकाश के कारण बन्द रहा और जब दिनांक 3-1-79 को विश्वविद्यालय पुनः खुला तो दोनों गुटों के छात्र अलग-अलग समूहों में विश्वविद्यालय प्रांगण में घूमते रहे। दिनांक 9-1-79 को कुछ छात्रों ने जीवनराम नामक छात्र पर चाकू से ओल्ड कैम्पस में हमला किया। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति तथा तनाव को देखते हुए कुलपति ने विश्वविद्यालय को दिनांक 10-1-79 से दिनांक 20-1-79 तक बन्द करने की घोषणा की परन्तु नगर में दोनों ही गुटों के लोग एक दूसरे पर हमला करते रहे। दिनांक 12-1-79 को श्री पन्नेसिंह को उसके विरुद्ध जीवनराम पर हमला करने से सम्बन्धित दर्ज मुकदमे में तथा छात्र पूरणमल, हरलाल, प्रतापसिंह को मुकदमा नं. 267 में गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 14-1-79 को दौलतराम व भंवरसिंह को इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया।

(श्री सम्पतराम)

दिनांक 15-1-79 को राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक श्री लक्ष्मणसिंह अपने कार्यालय में बैठे थे तब रामदीन सरपंच कूंडी, बोहा राम व 2 अन्य साथियों ने उनके कार्यालय में प्रवेश कर उन्हें रिवाल्वर दिखाकर मारने की धमकी दी। लक्ष्मणसिंह ने पुलिस को सूचना दी। जिस पर अपराध संख्या 17 पंजीबद्ध किया गया। जिसमें अभियुक्त रामदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी रोज छात्र दौलतसिंह, भूपतसिंह, परवतसिंह, मोहनसिंह को मुकदमा नं. 372 व 380 थाना उदयमन्दिर में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में इन सभी छात्रों को सैशन कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये जाने पर छोड़ दिया गया।

दिनांक 22-1-79 को विश्वविद्यालय पुनः खुलने पर तनाव का वातावरण विद्यमान था। दिनांक 30 जनवरी, 1979 से छात्र संगठन द्वारा वार्षिक सांस्कृतिक सप्ताह प्रारम्भ हुआ, तो दूसरे गुट के कुछ छात्र इस कार्यक्रम के विरुद्ध थे। दिनांक 31-1-79 को दिन में करीब 100-125 छात्र उप कुलपति कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने उनसे बात करने की इच्छा प्रगट की। कुलपति जो उस समय जसवन्त कालेज में थे उन्होंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कमल जोशी को इन छात्रों को समझाने हेतु कार्यालय में भेजा परन्तु इन छात्रों ने श्री जोशी से मारपीट की। कुलपति भी थोड़ी देर बाद अपने कार्यालय में पहुंचे जहां पर इन छात्रों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया और उनका घेराव किया। इसी बीच श्री जोशी पर हमले की सूचना पाकर उनके समर्थित छात्र कुलपति कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर उपस्थित छात्रों पर हमला कर दिया। परन्तु पुलिस के हस्तक्षेप के कारण भयंकर दुर्घटना होते होते बच गई। इस घटना के पश्चात् नगर में कई स्थानों पर दोनों गुटों के छात्रों द्वारा मारपीट की घटनायें जारी रहीं। दिनांक 4-2-79 को न्यू कैम्पस के सामने, भगत की कोठी, स्टेशन के पास छात्र सतीश मिश्रा व इसके दो अन्य साथियों पर कुछ छात्रों ने हमला किया।

श्री रूपसिंह मकासर : कुछ छात्र कौन ? एफ.आई.आर में क्या है ?

श्री सम्पतराम : इसकी डिटेल में जाना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहेंगे तो डिटेल भी पेश कर सकता हूं।

..श्री मिश्रा पर बन्दूक भी चलाई गई। उसके चोट आई। चौपासनी रोड पर व रामद्वारे के आसपास एक दूसरे पर हमले किये गये।

श्री सूरजपालसिंह : 5 तारीख को जो घटना हुई वह तो नहीं बताई · ·

श्री सम्पतराम : पहले सुन लीजिये आप।

"दिनांक 7-2-79 को कुलपति ने स्वयं का इस्तीफा मन्जूर होने पर रजिस्ट्रार को कार्यभार संभला दिया और उसी रोज से विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया और छात्रावास खाली करने के निर्देश प्रसारित कर दिये गये।

नगर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस द्वारा दोनों ही गुटों के 74 छात्रों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाहियां धारा 151 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत की गई। जिन्हें अदालत द्वारा अन्तरिम 5-5

(श्री सम्पत राम)
हजार रुपये की जमानत व मुचलकों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाकर छोड़ा गया है। मुकदमों से सम्बन्धित व्यक्तियों की गिरफ्तारी जारी है। इन झगड़ों के सम्बन्ध में दर्ज हुए 45 अभियोगों में से 3 अभियोगों में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अभी तक 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 6 छात्र अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में बन्द हैं।"

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : आपने वहां पुलिस क्यों बैठा रखी है? लोगों को छोड़ेंगे तो अपने आप तय कर लेंगे। पुलिस को वहां बैठा कर क्यों तनख्वाह दे रहे हो? मेहरबानी करके पुलिस को बुला लो, अपने आप लोग तय कर लेंगे।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : माननीय मन्त्री महोदय, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी दफा में एफ. आई. आर. दर्ज की गई और कितने लोगों के खिलाफ की गई? 60 इन्सीडेन्ट्स हुए हैं उनके बारे में आपने क्या किया? फैक्ट्स को आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए ही अहितकर होगा। कितने लोग मुल्जिम थे? कितने लोग गिरफ्तार हुए? एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले कौन थे?

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : 45 एफ. आई. आर. दर्ज हुई हैं। गृह मंत्री ने तो वक्तव्य ऐसे पढ़ा जैसे कोई खास बात ही नहीं हुई है, जैसे कोई यूनियन के सवाल को लेकर झगड़ा हुआ है।

श्री **उपाध्यक्ष** : गृह मंत्रीजी, जो भी चर्चा हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय को पुनः खोलने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय पुनः प्रारंभ किया जाए।

श्री **मूलचन्द डागा** : प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जायेंगे? आपने अब तक क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं? 45 घटनायें हो चुकी हैं। सरकार ने समय समय पर ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए या जिन लोगों ने ऐसा किया उनको अन्दर रखा? क्या कारण था झगड़ा होने का?

श्री **अब्दुल अजीज** : आपने होस्टल खाली करने के आदेश दिए उसका पालन हुआ?

श्री **रामनारायण डूंडी** (बिलाड़ा) : जितनी भी वारदातें हुई हैं उनकी सूचना आपके पास है। जो स्टेटमेंट आया है वह सही नहीं है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। जो एफ. आई. आर. लोज हुई हैं उनमें बहुत सी बातें कही गई हैं और गृह मंत्री जो वक्तव्य दे रहे हैं उसमें कुछ और है।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय रामनारायण जी।

श्री **रामनारायण डूंडी** : मजिस्ट्रेट के सामने जो एफ. आई. आर. है उनमें और इस वक्तव्य में बहुत फर्क है....

श्री **उपाध्यक्ष** : इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्टेबिंग केसेज कितने हैं और लूटपाट की घटनायें कितनी हैं? आपने 45 केसेज बताए हैं, विरोधी दल के नेता ने 55 केसेज बताए हैं।

श्री मदनसिंह दांता : क्या विरोधी पक्ष के सदस्यों ने जो आरोप लगाए हैं, वे गलत हैं? आपने शायद उनको हू-बहू सही माना है।

श्री सम्पतराम : कौन से आरोप?

श्री मदनसिंह दांता : जो आरोप लगे हैं आप नोट कर रहे हैं। क्या नंगी तलवारों से खुले हमले हुए? लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सदन में जो आरोप लगे हैं उनमें कहीं गलती है? अगर गलती नहीं तो एक गलती तो मानो कि पहले प्रबंध करते और दबाव नहीं होता तो रोक सकते थे। हम दो चीजें चाहते हैं, आप हमारे आरोपों का खंडन कीजिए या कहिये, लड़की पर जो हमला हुआ, वह सही है?

श्री सम्पत राम : माननीय सदस्यों ने आरोपों के साथ अच्छे सुझाव भी दिए हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि यह प्रशासन का काम था जो विश्वविद्यालय में बात हुई, हमको सख्ती से काम करना चाहिए था लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों की आपस में जो छोटी-मोटी बातें हों, कहीं आपस में मिलजुल कर काम हो जाए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये छोटी मोटी घटनायें हुईं?

श्री सूरजपाल सिंह : आपके एस. पी. व कलेक्टर छुट्टी पर थे? आपका लॉ एण्ड आर्डर बिल्कुल नहीं था।

श्री मदन सिंह दांता : वह स्वीकार कर रहे हैं।

श्री सम्पत राम : यह ठीक है, मैं उन घटनाओं को कम नहीं मानता लेकिन इतने बड़े विद्यार्थी समुदाय के सामने जो मुद्दा है उसको देखना है। यह ठीक है पहले से सख्ती होती तो पुनरावृत्ति नहीं होती लेकिन कभी-कभी सख्ती करने से पहले आवश्यक होता है....

श्री श्योपत सिंह मकासर : गंगानगर में आपको अकल नहीं आई। सारे के सारे चालान पेश कर दिए। अलग जगह जगह का अलग अलग मापदंड है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : गृह मंत्री को अकल है भी या नहीं, इसकी भी जांच हो जाए।

(व्यवधान)

श्री नूरा : उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

श्री अब्दुल अजीज : आपने फर्माया, आदेश निकाले कि होस्टल्स खाली कर दें, तो फिर आदेशों का पालन हुआ? आदेशों का पालन नहीं होता है। आज भी स्थिति गंभीर है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय को पूरा उत्तर देने दें।

श्री शंकर लाल : गृह मंत्री ने कहा है कि प्रशासन पहले से कदम उठाता तो इतनी बात नहीं बढ़ती। मैं जानना चाहता हूं घटना होने के बाद जिस प्रशासन पर

(श्री शंकरलाल)
विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि इन-इन अधिकारियों ने इस घटना को उकसाया, कर्त्तव्य का पालन नहीं किया तो क्या आप इसकी भी जांच करायेंगे कि यह झगड़ा इतना कैसे बढ़ गया और प्रशासन क्यों चुप रहा ? चुप बैठने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सूरजपाल सिंह : ऐसे इन्कम्पीटेंट कलेक्टर व एस. पी. के रहते हुए वहां लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : सदन में गृह मंत्री ने यह कबूल किया है।

श्री एच. एन. शर्मा : गृह मंत्री कहते हैं कि 45 केसेज दर्ज हुए। तो गृह मंत्री कितनी बार जोधपुर होकर आए ? क्या उनका कर्त्तव्य नहीं था ? दोषी गृह मंत्री व शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री आज तक नहीं गए। इनके न जाने से पुलिस ने अपनी कार्यवाही कर केस पर केस बनाये और जितने केसेज बने उतने ही नोट खाए। गृह मंत्री को जाना चाहिए था। सुराणाजी को भेज दिया गया, कृषि मंत्री को भेज दिया गया, वह बेचारे क्या करते ? प्लानिंग मिनिस्टर क्या करेगा, क्या प्लानिंग करेगा ? गृह मंत्री नहीं गया, शिक्षा मंत्री वहां नहीं गया और प्लानिंग वाले को भेज दिया कि जाओ बेटा। अब भी वहां तनाव को कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है इससे अवगत कराया जाए ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : विश्व विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई कौन सी तारीख तक शुरू हो जायेगी हमें तो यह बता दें ?

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष का ही मसला नहीं है। अगर सरकार इसको विपक्ष का मसला समझकर कार्यवाही नहीं करना चाहती तो यह गलत है। विपक्ष की जितनी हमदर्दी इसके लिए है उतनी ही हमारी भी है। विद्यार्थियों के भविष्य को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही तुरन्त करने जा रही है, क्या प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये हैं ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप हमको भी कुछ बोलने दीजिए।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह दीजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : उन बच्चों का क्या होगा जो कि इससे सम्बन्धित नहीं हैं ? उनका भविष्य बरबाद हो रहा है।

श्री एच एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने सही बात कही है। उसका हम समर्थन करते हैं।

श्री शंकरलाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, एक एम. एल. ए. दूसरे एम. एल. ए. का यों गला पकड़ कर बैठाता है यह सही नहीं है। हम सुनना चाहते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : यह शिकायत तो एम. एल. ए. की होनी चाहिए।

व्यवस्था का प्रश्न

ग्रासन द्वारा व्यवस्था

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ग्रासन को सम्मान देते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप ग्रासन पर विराजमान हैं। लेकिन बिना ग्रापकी ग्राज्ञा के ग्रौर ग्रापके निर्देश को नहीं मानते हुए इधर के पक्ष के सदस्य खड़े होते हैं या उधर के पक्ष के सदस्य खड़े होते हैं ग्रौर जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो ग्राप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो ग्राप किस तरह से सुशोभित होते हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंहजी, ग्राप कृपया विराज जायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : This should be expunged from the proceedings

इनको सदन से बाहर निकाला जाये।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, हम शांतिप्रिय सदस्य हैं। हम सुनते रहते हैं। लेकिन जब व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया जाता है तो उसका ध्यान भी माननीय सदस्यों को रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ग्रपने कर्त्तव्यों का पालन कर लूंगा।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ग्रासन के प्रति इस प्रकार के शब्द कहे हैं कि ग्राप सुशोभित नहीं होते यह शब्द एक्सपन्ज किये जायें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह ग्रपने शब्द वापस लें ग्रौर माफी मांगें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा उसके बारे में। ग्रगर ऐसा है कि एक्सपन्ज करने के लायक हैं तो एक्सपन्ज करवा दूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : वह विश्वविद्यालय कब खुलेगा? छात्रों की पढ़ाई कब शुरू हो जायेगी, इसके बारे में बताया जाये।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रसभ्य सदस्य ने जो सभ्यता की बात कही है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा ग्रगर ऐसे शब्द कहे हैं जो कि ग्रनुचित हैं तो एक्सपन्ज करवा दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है वह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि ग्रापके ग्रासन के लिए कहा है। ग्राप इस ग्रासन के ऊपर हैं, इस पर ग्रध्यक्ष भी हो सकते थे ग्रौर कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता था। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रासन पैरों पर है ग्रौर माननीय सदस्य बोलते रहते हैं। यह भी होता है कि

60

(श्री हरिदेव जोशी)

सदन के अन्दर एक्साइटमेन्ट होने के कारण एक के अलावा अनेक सदस्य बोलते रहते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आसन के प्रति डेरोगेटरी शब्द उपयोग में लायें। उपाध्यक्ष महोदय के संबंध में यदि कोई बात डेरोगेटरी बात कहते हैं तो यह सदन का अपमान है और आसन का अपमान है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप कस्टोडियन हैं इस समय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के। आपको यह देखना है आसन के माध्यम से कि जो माननीय सदस्यों के द्वारा शालीनता बरती जानी चाहिए वह बरती जाती है अथवा नहीं बरती जाती है। माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि जिन माननीय सदस्य ने आसन के प्रति डेरोगेटरी शब्द उपयोग किये है वह अपनी गलता को महसूस करें और उन शब्दों को वापस लें। इस चीज को अधिक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय सदस्य को वह शब्द वापस ले लेने चाहिए। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : उनकी भी शान है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं श्री माधोसिंह जी, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आप बोलने के लिए खड़े हुए और मैंने अवसर दिया था। आप कम से कम इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि जब तक मैं आसन पर हूं या कोई और है सदन में व्यवस्था किस तरह से की जाए इसके लिए वह निश्चित रूप से सदन की परम्परा के अनुसार ही व्यवस्था करेंगे। आप व्यवस्था के बारे में सुझाव दे सकते हैं लेकिन रिमार्क्स नहीं दे सकते। आसन किसी तरह से कमजोर है, आपने अगर इस तरह की कोई भावना व्यक्त की है और आसन को कमजोर पाया है तो आप अपने शब्दों को वापस लें।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भावना यह नहीं थी कि आसन को कमजोर समझा जाए। मेरी भावना यह थी कि आप जब व्यवस्था देते हैं तो माननीय सदस्य उसको नहीं मानते हैं। आप जब आसन पर विराजमान होते हैं तो माननीय सदस्य आसन के प्रति अपमान प्रदर्शित करते हैं आपका निर्देश नहीं मानकर। यही मेरी भावना थी। इसके अलावा और किसी तरह की भावना यदि किसी ने ली हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जब आसन पैरों पर था तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी थी कि जिसका पालन नहीं हुआ हो। परिस्थितियों को देख कर, जैसा आपने कहा, मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी थी जिसका उल्लंघन माननीय सदस्यों ने किया हो।

(व्यवधान)

अब उस चर्चा को समाप्त कीजिए।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैंने समाप्त कर दिया है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जब दो तीन दफा व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो आपने कुछ माननीय सदस्यों को इंगित किया था कि व्यवस्था का प्रश्न आया है। उसको माननीय सदस्यों ने नहीं माना तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं वे यूनीवर्सिटी की गरिमा को रखने के लिए, छात्रों को अनुशासित रखने के लिए कह रहे हैं वह हम सदन में किस प्रकार का अनुशासन ला रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : बोलेंगे। यह काम शासन का है।

शासकीय वक्तव्य

जोधपुर विश्वविद्यालय में अराजकता का वातावरण व उससे विश्वविद्यालय के बन्द होने की घटना

श्री उपाध्यक्ष : जो चर्चा माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में की है मैं अपनी ओर से और सभी माननीय सदस्यों की ओर से दो बातें पूछना चाहूंगा कि क्या जोधपुर विश्वविद्यालय में शांति स्थापित करने के लिये आपकी मशीनरी सक्षम है ? क्या निकट भविष्य में ही विश्वविद्यालय को आरम्भ करा देंगे ?

श्री मदनसिंह दांता : और ऐसे आफिसर्स को सजा देंगे जो कि दोषी हैं ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, कालेज में और विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था कायम रहे यह सरकार का कर्तव्य है। जहां विद्यार्थियों में इस प्रकार की घटनायें होती हैं, मेरा खुद का सोचना है, उनमें पारस्परिक तरीके से सद्भावना पैदा की जाय, इसका प्रयत्न किया जाय। हमने प्रयत्न किये भी हैं और जो स्थिति थी वह सदन के सामने रखी है। अब विश्वविद्यालय खुले और शान्ति से चले, इस बात से मैं शत प्रतिशत सहमत हूं लेकिन कुछ मुट्ठी भर लड़के सारे विश्वविद्यालय के काम में अवरोध पैदा कर दें और उससे हजारों बच्चे तालीम से महरूम रह जायं, यह मैं मानने योग्य नहीं हूं। विश्वविद्यालय में अमन चैन और शान्ति कायम करने के लिये हम प्रयत्न करेंगे। मुझे वहां जाना चाहिए था लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं गया, इसका मुझे खेद है। मेरा यह भी निवेदन है कि कभी-कभी इस प्रकार की समस्या आ जाय तो सरकार में रहने वाले व्यक्ति ही नहीं बल्कि विरोध में रहने वाले व्यक्तियों का भी इसमें पूर्ण सहयोग होना चाहिये। हो सकता है मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये इतना कामयाब नहीं रहा जितना माननीय परसराम जी और दूसरे सदस्य रहे हों इसलिये उनका सहयोग भी जरूरी है। मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा, हमारा फर्ज है कि हमारे विश्व विद्यालय और शिक्षण संस्थाएं शान्तिपूर्वक चलें। इसके साथ ही साथ मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य भी सुझाव देंगे, सक्रिय सहयोग देंगे। आगे विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये हम प्रशासनिक दृष्टि से भी कोशिश करेंगे। वहां के जो सम्भ्रान्त नागरिक हैं, वहां के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनका सहयोग लेने की भी हम कोशिश करेंगे। जहां तक फैक्ट्स की बात कही गई है, यह लम्बी चौड़ी लिस्ट है इसमें 45 केसेज हैं। इन 45 केसेज में 195 व्यक्ति नामजद हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई थी और यूनिवर्सिटीज बन्द हो गई थीं इसलिये बहुत से व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो सके, कुछ हो गये हैं और कुछ हो जायेंगे। विश्वविद्यालय में शान्ति हो उसके बाद चालान भी हो जायेंगे। फिर भी हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि भविष्य में हमारे विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की भावनायें उभर कर न आयें शान्ति और पूर्ण अमन चैन रहे। इस बारे में आपका भी सहयोग चाहिए। इधर का भी सहयोग रहे और सरकार का भी सहयोग रहे सभी का सहयोग रहे तो अच्छा है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं चाहे कौम का सवाल हो और चाहे को

(श्री सम्पतराम)
और दूसरी चीज का सवाल जैसा माननीय परसराम जी ने कहा है मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। इस प्रकार की बात को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष जी, दो सवाल थे · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : जब आपने चालान कर दिया और प्रशासन की गलती है तो उन आफिसर्स को हटायें जो दोषी हैं।

श्री शंकरलाल : आप जांच करिए कि कौन-कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे।

श्री सम्पतराम : मैंने प्रारम्भ में यह निवेदन किया है कि जितनी सख्ती से अब कदम उठाने की बात है उतनी आरम्भ में ही उठा लेते तो हो सकता था कि पुनरावृत्ति नहीं होती · · · ·

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपने उठाए क्यों नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। हर बार यह कहते हैं कि कदम उठाए नहीं।

श्री सम्पत राम : मैं कहता हूं आप मेरी बात सुनने को तैयार हैं या नहीं? नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हम यह जानना चाहते हैं क्यों नहीं उठाए? चालान क्यों नहीं किया गया है? Why this discrimination?

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिस ढंग का बर्ताव कर रहे हैं वह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : गंगानगर में तीन दिन में चालान पेश कर दिये तो Why not in Jodhpur ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या इस बात के लिए प्रशासन ने कोई निर्देश दिये हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री नूरा : इसके लिए आपको जवाब देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नजर पकड़ने के लिए आधे घण्टे से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपकी नजर ही नहीं पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नजर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब देख रहा हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपकी आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं, जोधपुर के जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की राय से तो कहीं कदम नहीं उठाया है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की घटनायें घटीं उनके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। ये घटनायें सबके लिए चिन्ता का विषय हैं। सारे तथ्यों एवं जो कदम उठाए गए और उठाए जायेंगे उनकी अभी माननीय गृह मंत्री जी ने सदन को जानकारी दी है वह पर्याप्त है।

अब दूसरी चिन्ता है माननीय सदस्यों की कि आखिर विश्वविद्यालय कब खुलेंगे? उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, दिनांक 26 फरवरी से कमला नेहरू कालेज प्रारम्भ कर दिया गया है। कामर्स और साइन्स फैकल्टी दिनांक 5 मार्च से खोल दी जाएंगी जिसके लिए सूचना प्रसारित कर दी गई है। लॉ व आर्टस कालेज है उसके लिए विश्वविद्यालय के नये उपकुलपति ने कार्य-भार सम्भालने के बाद विद्यार्थियों से, वहां के नागरिकों से, हैड आफ दी डिपार्टमेंट से, टीचर्स से सम्पर्क किया। वे इस प्रकार की कोशिश में हैं कि वहां ऐसा सद्भाव पैदा हो कि दुबारा कालेज खुलने के बाद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अतः 5 तारीख को कालेज खुल जायेंगे बाकी कालेज खोलने के लिए विचार-विमर्श के बाद शीघ्र ही निर्णय कर लेंगे। जहां तक इंजीनियरिंग कालेज का सवाल है, वह सौभाग्य से इन घटनाओं के चक्र में भी लगातार चलता रहा, बन्द नहीं रहा। यह विश्वविद्यालय की स्थिति है।

इसके साथ ही एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अभी बहस के दौरान माननीय दांता जी ने सुझाव दिया था कि आखिर इसमें सत्ता पक्ष का या विरोधी पक्ष का प्रश्न नहीं है, यह सम्पूर्ण समाज का प्रश्न है इसलिए हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर इसमें प्रयत्न करना चाहिए। हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चार महीने से जोधपुर में आग लग रही थी and you are doing it now when every thing is past.

श्री मदनसिंह दांता : उस समय असेम्बली नहीं थी।

श्री शंकर लाल : देर आयद् दुरुस्त आयद।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यही निवेदन है कि श्री दांता माननीय बुजुर्ग सदस्य हैं व अन्य सम्माननीय सदस्यों ने जो मिल जुलकर समाधान संबंधी बातें कही हैं उसे मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह मगरमच्छ के झूठे आंसू हैं। These are crocodile tears.

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जब हाउस चलता है तब आपको अकल आती है वरना

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
आप आर. एस. एस. के लोगों के कहने से सारे काम करते हैं। चाहे शिक्षा मंत्रालय का मामला हो, चाहे उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपाइन्टमेन्ट की बात हो····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, आप बिराजिये।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार से अनर्गल बात कह कर और झूंठी अफवाहें फैला कर जो समस्या सुलझ रही है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है। जो समस्या सुलझ रही है उसको बिगाड़ रहे हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है इनका।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जोधपुर में जाट-राजपूतों के झगड़े की बात कह कर···

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : किसी बात को उलझाने के लिए पुरानी बातों को उखाड़ना उचित बात नहीं है। यह तमाम राजस्थान की बात है····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज राजस्थान सचिवालय में जातिवाद का जहर घुस गया है। राजस्थान के प्रशासन में जातिगत जहर घुस गया है·····

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : हम जातिवाद के जहर को नहीं बढ़ाना चाहते। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, कृपया बिराज जाइये।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर जो चर्चा हुई उस पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को पुनः खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय मदेरणा साहब अगर इसमें अपनी सद्भावना का उपयोग कर प्रयास कर सकें और अपना कोई सहयोग दे सकें जोधपुर में जाकर और विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के दो तीन माननीय सदस्य मिलकर प्रयत्न कर सकें तो सद्भावना का वातावरण बन जायेगा। मैं चाहूंगा कि वहां जाकर प्रशासन में जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, उनको सहयोग दें।

श्री मदनसिंह दांता : It should be a permanent body.

श्री उपाध्यक्ष : विश्वविद्यालय की समस्या का समाधान करें इसके लिये मैं चाहूंगा कि इस तरह का प्रयास किया जावे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : सदन की कमेटी इसके लिए जिम्मेदार होगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसी कि मुझे जानकारी है अनौपचारिक रूप से, सिटिजन्स की एक कमेटी पहले भी बनी थी और अभी भी बनाई है। उसके सदस्य कौन हैं इसका मुझे पता नहीं है। जहां तक मेरे सहयोग का प्रश्न है, यह

(श्री परसराम मदेरणा)
मुझे निमंत्रण गृह मंत्रीजी ने भी दिया है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है...

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने भी दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : जब कभी भी किसी मंत्री, चाहे कोई भी मंत्री हो, ने मुझसे बात की तो मैंने हमेशा सहयोग की बात की है। मैंने इन मंत्रियों को भी परामर्श दिया था कि आप किसी तरह से मामले को आगे मत बढ़ाइये। ये मंत्री बैठे हुए हैं। आज फिर मैं उसको रीटरेट करता हूं कि जिस किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो वह मैं देने के लिए तैयार हूं। सिटिजन्स को साथ लेकर, बच्चों के अभिभावकों को साथ लेकर, विद्यार्थियों को साथ लेकर वहां का वातावरण शांतिमय बना सकें, बच्चे पढ़ाई में लग सकें, किसी तरह की अशांति नहीं रहे, सद्‌भावनापूर्ण वातावरण यूनिवर्सिटी में हो, इस पर किसी की दो राय नहीं हो सकती, दो ओपिनियन नहीं हो सकती। हमारी तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं है और न रहा है। झगड़े के पीछे क्या कारण है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं गया हूं और न मैं उस बात को यहां पर कहना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं कहा है और न कहना चाहता हूं क्योंकि इससे बच्चों का अहित होगा। मैं विद्यार्थियों का अहित नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने एक बात कही थी कि Never was so much lost by so many because of so few.

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहती हूं। गृह मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का स्टेटमेंट आ गया है। शिक्षा मंत्रीजी ने यह संकेत दिया है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय जल्दी खुलने वाले हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि छात्रावास संख्या–एक, सारे झगड़े का मुख्यालय बना हुआ है। उसमें लगभग सारे छात्र एक विशेष जाति के रह रहे हैं। सारे झगड़े के पीछे छात्रावास नम्बर एक है। वहां का कार्य ठीक से चल सके, लड़के पढ़ाई कर सकें, इम्तिहान आने वाले हैं, छात्रावासों में शांति बनी रहे और लड़के अपनी पढ़ाई भयमुक्त होकर कर सकें इसके लिए जरूरी है कि उस छात्रावास नम्बर एक को इस सत्र के लिए बन्द कर दिया जाये। अगले सत्र के लिए आप यह व्यवस्था कर दें कि वहां एडमीशन स्ट्रिक्टली ओन मेरिट बेसेज पर किया जाएगा।

श्री रतनलाल वर्मा : कमेटी जो बनेगी वह देख लेगी।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय सदस्या श्रीमती मदन कौरजी ने जो सुझाव दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं वास्तव में जोधपुर विश्वविद्यालय के परिसर में जो होस्टल नं. 1 है वही सारी खुराफातों की जड़ है। अतः उसे परिसर क्षेत्र से तत्काल हटाया जाय और उसमें रहने वाले छात्रों को परिसर क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर रखने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय ताकि वर्तमान आपसी टकराव बन्द हो सके।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सारा झगड़ा ही इसीलिये है कि जाट होस्टल, राजपूत होस्टल है। यह क्या लगा रखा है, आपने अलग अलग नाम से होस्टल रख कर। आप बन्द कर दो इनको। यह क्या है, राजपूत होस्टल, जाट होस्टल, जैन होस्टल ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि वहां पर बच्चे सुचारु रूप से पढ़ाई कर सकें, उनकी पीस आफ माइण्ड डिस्टर्ब नहीं हो। होस्टल नम्बर एक के सम्बन्ध में मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता था लेकिन अगर सहयोग की बात कह रहे हैं तो मैं निवेदन करूं कि मैं 11 फरवरी को चांसलर से मिला था। मैंने चांसलर को यह बात कही थी कि जोधपुर यूनीवर्सिटी एक्ट, जिसको पायलेट करने का मुझे सौभाग्य मिला था 1962 में, के अनुसार चांसलर की स्थिति राज्य सरकार से इण्डिपेंडेंन्ट थी। कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की एडवाइज के ऊपर एज ए गवर्नर तो आप एक्ट करेंगे लेकिन एज ए चांसलर परिसर में शांति रखने के लिए आप निश्चित रूप से सरकार के अधीन नहीं हैं। इस सोवर्न हाउस ने आपको कुछ पावर्स कन्फर की हैं जिसमें आपको कौंसिल आफ मिनिस्टर्स से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनसे परामर्श किया था। मैंने निवेदन किया था कि जो भी मंत्री इससे सम्बन्धित हैं, शिक्षा मंत्रीजी उनका आपसे सम्बन्ध है; चांसलर साहब से कहा था कि आप मंत्रीजी से भी बात नहीं करें, वाइस चांसलर से भी बात नहीं करें। वाइस चांसलर तो उस समय थे नहीं यूनिवर्सिटी बन्द थी। वाइस चांसलर का अपाइन्टमेंट करने वाले थे, तो वाइस चांसलर का अपाइन्टमेंट इसलिए रोका हुआ था कि पहले वाइस चांसलर ने स्तीफा दे दिया था। अब वाइस चांसलर अपाइन्ट हो गए हैं। मैंने कहा था कि होस्टल नम्बर–1 की वजह से परिसर के अन्दर अशांति बनी रहती है इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ पहले स्टेप्स ले लीजिए यूनिवर्सिटी खोलने के पहले। मैं सरकार से फिर नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपको कोई न कोई निर्णय लेकर इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि भविष्य में बच्चों में कोई भय व्याप्त नहीं रहे। अभी बालोतरा से आने वाला माननीय सदस्या कह रही थीं कि इस होस्टल की क्या सिचुएशन है। वह लॉ फैकल्टी, कामर्स फैकल्टी, और आर्टस फैकल्टी से पचास गज की दूरी पर यूनिवर्सिटी परिसर में है। इसका दूसरा दरवाजा रातानाड़ा रोड पर खुला हुआ है। यूनिवर्सिटी परिसर के अन्दर रहने की वजह से वहां पर अनलाफुल असेम्बली हो जाती है, वहां पर आर्म्स ले आते हैं, वहां पर एक और अनटेक हो जाते हैं। इसके परिसर के अन्दर होने की वजह से सरकार के सामने भी बहुत बड़ी परेशानी रहती है। पुलिस तभी काल की जा सकती है जब कि वाइस चांसलर काल करे। इसी मामले को लेकर प्रोक्टर को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर देने की बात है, वह अलग मुद्दा है। इस समस्या के सम्बन्ध में वाइस चान्सलर ने विचार किया है और पांच तारीख से स्टेप बाई स्टेप फैकल्टीज खोलने जा रहे हैं, कमला नेहरू कालेज खोल दिया है, उसके बाद कामर्स और साइंस फैकल्टी खोलने जा रहे हैं, आर्टस और लॉ फैकल्टी बाद में खोलेंगे। लॉ एण्ड आर्टस फैकल्टी खोलने से पहले वाइस चांसलर से परामर्श करिये। सरकार के सामने जो लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से कोई भी वाइस चांसलर हो, आप यह मान कर चलिये कि यूनिवर्सिटी की कुछ भी आटोनोमी हो लेकिन बिना जिला प्रशासन के सहयोग के लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने में कोई भी वाइस चांसलर आज की स्थिति में सफल नहीं हो सकता।

(श्री परसराम भदेरणा)

इसलिए इस सरकार को निश्चित तौर से उनके साथ सहयोग करना चाहिए। जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, जो चेन आफ इवेन्ट्स हुए हैं एक के बाद एक, और जो रिटेलिशन हुआ है, दोनों तरफ से, उस सम्बन्ध में तमाम प्रकरण को आप देखेंगे, उसका असेसमेन्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि चाहे पुलिस की कितनी ही बड़ी गार्ड आप लगा दें, फिर भी लोगों के दिमाग में भय बना रहेगा, खतरा बना रहेगा। लोग उस खतरे से मुक्त हों, उसके लिए राज्य सरकार को स्टेप लेने चाहिए, यही मेरा राज्य सरकार से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह सीटिंग समाप्त हो तो माननीय परसराम जी और दूसरे माननीय सदस्य को बुलाकर विस्तार से आप इस पर चर्चा कर लें और पांच तारीख के पहले पहले यह प्रकरण शांतिपूर्वक सुलझा लें ताकि विश्वविद्यालय खुल सके।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यगणों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक ही स्थगन प्रस्ताव पर काफी चर्चा हो चुकी है। करीब साढ़े तीन बज रहे हैं और दूसरा भी कार्य बाकी है। कुछ स्थगन प्रस्ताव माननीय दूलाराम जी, राम नारायणजी, शीश राम जी, राम कृष्णदास जी गुप्ता के हैं। मेरा सुझाव है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी, उसमें भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर सदस्यगण संक्षेप में ही कह दें क्यों कि कल का भी कार्य शेष है। इसके अलावा दूसरे स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार के हैं जिन पर चर्चा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान हो सकती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी बारां के सम्बन्ध में राज्य सरकार का स्टेटमेन्ट आना है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके समक्ष आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्यगण जानते हैं कि राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है।

एक माननीय सदस्य : क्या कहा ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अड्डा बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि राज्य की सेवाओं के अन्दर जिन पदों के लिये नियुक्तियां हों, उनमें इम्पार्शियलिटी हो, आनेस्टी हो और उसके जरिये राजस्थान और भारत के टेलेन्ट की नियुक्ति की जा सके। लेकिन आज अजमेर से लेकर गंगानगर और उदयपुर तक कहीं भी चले जाइये, आपको यह खुले आम सुनने को मिलेगा कि मैंने

68

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

15 हजार रुपये, 30 हजार रुपये फलाने मैम्बर को देकर सलेक्शन इन्जीनियर, डाक्टर या आर. ए. एस. में करवाया है।

श्री मदनसिंह दांता : आप किसी सदस्य का नाम लीजिए, उस पर स्पेसिफिक चार्ज लगाइये वर्ना यह वेग जार्ज है। यह कानून की मांग है। इस तरह सारे अफसर आपकी बात सुनते रहेंगे और कोई कार्य-वाही नहीं होगी। स्पेसिफिक मैम्बर या आफिसर के खिलाफ कोई चार्ज हो तो कहें। हमारी भी यह कहने का आदत हो जायेगी वर्ना कि फलां ने 15 हजार रुपये लेकर नियुक्ति दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस तरह के आरोप यदि लगाये जाते हैं तो उसकी अनुमति आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शीघ्र ही समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन पर चार्ज लगाया है, आरोप लगाया है वह सोच समझ कर लगाया है और इसलिये लगाया है कि यहां पर नियुक्त सदस्य को साधारण प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता है। यह राज्य सरकार कहती है कि वह भ्रष्टाचार से कमाये पैसे को नाक, मुंह, कान से निकाल लेगी। यह भ्रष्टाचार से कमाये पैसे को कान, मुंह, नाक से निकालने की बात कहती है परन्तु जो प्रशासनिक सेवाओं के चयन में भ्रष्टाचार हो रहा है, सर्विसेज के चयन की आड़ में भ्रष्टाचार होता है उसका स्पष्ट उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूं। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन 24/25 को होने वाले थे, उसका पर्चा पहले से ही आउट हो गया। सात सात हजार रुपयों में इसके पर्चे बेचे गये। जब उसका भंडा फोड़ हो गया तो पी. एस. सी. ने उस एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया। इस प्रकार से हमारे स्टूडेन्ट्स को हानि की गई इससे पहले भी पी. एस. सी. पर आरोप लगाया गया है कि पी. एस. सी. अपने लोगों को पर्चा आउट कर देती ह और पैसा कमाती है। इन्टरव्यू में भी पैसा लेती है। यहां पर जो माननीय सदस्यगण बैठे हैं उसमें से एक भी माननीय सदस्य यह कह दे कि यह बात मैंने नहीं सुनी है कि राजस्थान की पी. एस. सी. पैसा खुले आम लेती है तो मैं अपने पद से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं...

श्री बाल कृष्ण थानवी : मेरे क्षेत्र में भी एक थानेदार ने 5 हजार रुपया देकर अपना अपाइन्टमेन्ट लिया था। यह सही है कि पब्लिक सर्विसेज कमीशन में कांग्रेसी राज से लेकर अब तक बराबर रिश्वत चल रही है। अतः इसे कड़ाई से रोका जाय और भ्रष्ट तत्वों को वहां से हटाया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है। मेरे यहां पर जो थाने-दार है उसने मुझे यह बताया है कि उसका सलेक्शन आन मेरिट हुआ है। उसने कोई रिश्वत नहीं दी है। यह आरोप गलत है। मैं आपको चैलेन्ज देता हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपकी हालत तो उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देख कर आंखें मींच लेता है।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : यह झूठा आरोप है। व्यर्थ में सरकार को बदनाम कर रहे हैं।

श्री नूरा : पी. एस. सी. के जो मैम्बर हैं उनकी सम्पत्ति की जांच कराई जाए।

श्री लाल चन्द : इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती

श्री ईश्वर चन्द : क्या राज्य सरकार का कोई मंत्री खड़ा होकर पी. एस. सी. को डिफेन्ड कर सकता है ? क्या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आज पी. एस. सी को डिफेन्ड करने की स्थिति में है या नहीं ? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं · · ·

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस पी. एस. सी. पर चर्चा हो रही है उसके सदस्यों की नियुक्ति कब हुई ? क्या मौजूदा सरकार के आने के बाद हुई ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : पैसा लाये कहां से वे लोग ?

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी; कृपया आप कह दीजिये। माननीय सदस्य, आप कृपया बिराज जाइये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने इतने गम्भीर आरोप लगाये · · ·

श्री भंवरलाल ऐरन : प्रश्न सचमुच में बहुत ही गम्भीर है। मैं समझता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को डिफेन्ड करने की एक भी सदस्य हिम्मत नहीं कर सकता। अभी फिलहाल थोड़े ही दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर्स आउट हुए और उनकी परीक्षा दुबारा ली जा रही है। अगर इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो एक ही प्रश्न उपस्थित होता है और वह यह कि · · ·

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सिद्ध कर दिया है · · ·

श्री एच. एन. शर्मा : सरकार यह कहती है कि हमारी जनता सरकार आने के बाद में हमने नियुक्ति नहीं की है तो तुम्हारे में ताकत क्यों नहीं उनको हटाने की · ·

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : आज यह कह कर टाला नहीं जा सकता कि मौजूदा सरकार · · ·

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री एच .एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है लेकिन इस बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कार्यवाही करने वाला नहीं है। इन मंत्री लोगों ने धांधली मचा रखी है। ये इससे बचा नहीं सकते अपने आपको।

श्री मूलचन्द डागा : सुनो, सुनो।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे उस इतिहास में नहीं जाना है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस सरकार ने किन परिस्थितियों में नियुक्त किया। वह एक इति_

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

हास की बात है, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता। सवाल यह है कि जनता ने जनता पार्टी के उन नेताओं को सत्ता में बिठाया जिन्होंने वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार को खतम कर देंगे। उनके सामने ही 18 महीने से भ्रष्टाचार चल रहा है। जनता पार्टी के विधायक ने ही अभी बताया, उनको खुद को मालूम है, नेताओं को· · ·

श्री **ग्योपतसिंह मकासर** : ये कांग्रेस की उलटी को वापस खा रहे हैं।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : आज लोक सेवा आयोग में क्या हो रहा है ? अगर यह मुख्य मन्त्री को, गृह मंत्री को और दूसरे मंत्रियों को मालूम न हो तो मैं मान सकता हूं कि उनके पास सी.आई.डी. नहीं है परन्तु हमारे मुख्य मंत्री के पास में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, एन्टी करप्शन विभाग है सी.एम. और गृह मंत्री के पास-

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है। उनकी ड्यूटी है कि वे गुप्त रिपोर्ट लाकर दें। यह रिपोर्ट तो खुले आम कोट गेट, बीकानेर, मदार गेट, अजमेर, जौहरी बाजार, जयपुर में लोगों को मालूम है कि थानेदार बनना हो तो 20 हजार, मेडिकल कालेज का लेक्चरर बनना हो तो 15 हजार, मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनना हो तो 25 हजार रुपये दो। यह भ्रष्टाचार खुले आम फैला हुआ है। परसों आर.जे.एस. के पर्चे आउट हुए। यह आउट कैसे हुए ? 23, 24 और 25 को आउट हुए।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया विराज जाइये।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : क्या सरकार संविधान के आर्टिकल के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ता जी, कृपया बिराज जाइयें।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा परन्तु मैंने जो मुद्दा उठाया है वह हजारों ब्लेण्ड स्टूडेन्ट्स के लिए उठाया है। जिनके पास पैसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पढ़ाई की है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है· · ·

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया बिराज जाइये।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : मुझे उन लोगों की बात कहनी है श्रीमान्, मुझे समय दीजिए। क्या मिनिस्टर, जो अभी खड़े हुए थे, खड़े होकर यह कहने की स्थिति में हैं कि आप उनके खिलाफ इंप्रिजनमेंट के प्रपोजल लेकर जायेंगे····

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ता जी, कृपया विराज जाइये। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपका कोई शब्द रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री **राम कृष्णदास गुप्ता** : यह रिकार्ड करने का नहीं····

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया बिराज जाइये। कोई सीमा भी होती है कहने सुनने की।

श्री **शंकरलाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान न्यायिक सेवा

(श्री शंकर लाल)

की परीक्षा, जो 24, 25 तारीख को होने वाली थी, इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि उनके पर्चे आउट हो गये। यह बात सरकार ने भी मान ली। इसलिए परीक्षा रद्द की गई। उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय सेवा, जुडिशियरी सर्विस हमारे देश भारत और राजस्थान की ऐसा महत्वपूर्ण सेवा है जो भ्रष्टाचारियों को दण्ड देती है, जो कि बड़े बड़े प्रशासकों को सजा देती है मुकदमे चला करके। अगर उनका चयन, उन्हीं के चयन का आधार भ्रष्टाचार पर हो तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान, न्यायिक सेवा और समाज कहां जाकर गिरने वाला है ? आज इतनी चर्चा होने के बाद जब आपको पता चल गया कि पर्चे आउट हुए, आरोप लगाये जा रहे हैं कि हजारों रुपये लेकर पर्चे आउट हुए तो क्या कारण है, सरकार ने अब तक उनको सस्पेण्ड नहीं किया ?

कहां से पर्चे निकले? किन्होंने पर्चे बांटे ? कहां से निकले यह सरकार के सामने हो चुका है तो सरकार उन पदाधिकारियों को सस्पेंड करे जो दोषी हैं। वह अगर दोषी नहीं निकले तो बहाल हो जायेंगे लेकिन न्यायिक सेवाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार करने वालों को सरकार अविलम्ब दण्डित करे।

इतना ही नहीं जो मेरे पूर्व वक्ता ने पी. एस. सी. पर चार्ज लगाया है वह सही हैं। पी. एस. सी. के द्वारा जितने भी इम्तिहान लिए हुए हैं उनको रद्द कर दें। पी. एस. सी. पदाधिकारी चाहे किसी के बनाये हुए हों, उनके बारे में सभी माननीय सदस्यों की एक ही आवाज है चाहे वह इस पार्टी के हों या उसके। जब सभी जगहों से आवाज उठ रही है फिर भी आप सबूत मांगेंगे तो कौन सबूत देगा ? आज यह आम चर्चा है कि चाहे किसी का सलेक्शन हो चारों ओर उनके एजेन्ट फैले हुए हैं। उनकी मार्फत किसी व्यक्ति से 10 हजार और किसी व्यक्ति से 15 हजार लेकर सलेक्शन करते हैं। आपकी जो सेवायें हैं वह यह कहें कि हम पैसा देकर आये हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी जो न्यायिक सेवा की परीक्षा होने वाली थी उसके पर्चे आउट हो गए हैं तो उन लोगों को आप सस्पेण्ड कर दें और पी. एस. सी. को भंग कर दें तभी जाकर आप इस समाज को और राजस्थान को राहत दे सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मामूली बात नहीं है। पाली के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था एक बैंक के जुलूस के अन्दर कि किसी ने अगर रिश्वत ली हो तो नाम बता दें तो मैं वापस दिला दूंगा और उसको अपने साथ ले जाऊंगा। कालवी साहब भी उस समय कुर्सी पर विराजमान थे। जब मामला यहां रिकार्ड पर आता है फिर भी आप एक्शन नहीं ले सकते हैं तो आप इस बात की आशा कैसे कर सकते हैं कि बैंक का कर्मचारी नाम ले। अन्त्योदय योजना के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चर्चा की। भ्रष्टाचार को मिटाने का दावा करने वाली सरकार न्यायिक सेवाओं में भ्रष्टाचार फैलाने की बात करे तो इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के आधार पर न्यायिक सेवाओं का चयन नहीं हो और भ्रष्टाचार को मिटाने का दावा करने वाली सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन ले। कल असेम्बली होने से पहले पहले उन लोगों को सस्पेंड कर दें तब

(श्री शंकर लाल)

तो ठीक है नहीं तो हम कल इस प्रश्न पर वाक आउट करेंगे। सभी लोग चाहते है कि जल्दी से जल्दी सब सेवाओं में से भ्रष्टाचार खतम हो। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। सरकार की ओर बैठने वाले लोगों से जब इधर बैठने वाले लोगों ने कहा कि इसको कोई डिफेन्ड कर सकता है तो कोई आदमी नहीं बोला, कोई भी इसको डिफेण्ड करने की स्थिति में नहीं है। यह स्पष्ट है कि जो माननीय सदस्य ने कहा वह सारे सदन की आवाज है। उसके आधार पर एक्शन लिया जाय।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने श्री मनोहर सिंह मेहता का नाम पुकारा है।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं दो मिनट में ही अपना बात कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चारों ओर कांटेदार तारों की बाढ़ लगा दी जाय और उसमें बिजली चालू कर दी जाय जिसको छूते ही आदमी मर जाय ताकि वहां पर रिश्वत देने वाले और सिफारिश ले जाने वाले की जाने की हिम्मत न हो। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही बदनाम है।

श्री मूलचंद डागा : वह तो भ्रष्टाचार का घर है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप जब बोलते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार उठ जायगा।

श्री मनोहर सिंह मेहता : माता सीता पर जब धोबी ने इल्जाम लगाया था तो उसका परिणाम क्या हुआ ? पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में लोगों को इतनी शंका है और हम कुछ नहीं बोलें तो कहां जाकर गाड़ी ठहरेगी · ·

श्री श्योपतसिंह मकासर : सीता माता नहीं साता माता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप सुन लें मेहरवानी करके।

वड़ी मुश्किल से मामला पकड़ में आता है। लेकिन इसमें बेईमानी में भी ईमानदारी है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हमें कहा जाता है कि आप पकड़ कर बता दो हम पकड़े कहां से ? जब कोई आदमी 10 हजार रुपये देता है और उसका काम हो जाता है तो वह बोलता नहीं है। जिसका काम नहीं होता है उसका रुपया वापस लौटा देते हैं। बेईमानी में भी इतनी ईनामदारी है तो वह बोलता नहीं है। यह चीज बरसों से चली आ रही है। अब हमारा फर्ज है कि हम ऐसे तत्वों को, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं, को तुरन्त निकालें। शराब वह पीते हैं। मैंन सुना है कि शराब की एक बोतल में उनको आसानी से खरीदा जाता है। जो जिस तरह की शराब से राजी हैं उसको उसी तरह की शराब से राजी करने

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
की कोशिश करते हैं। कृपा करके इस बात की ओर ध्यान दें। पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको वहां से निकालेंगे तभी जाकर हमारी अन्य सेवाएं सुधरेंगी।

बस मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा और किसी माननीय सदस्य को नहीं दूंगा। माननीय वर्मा जी, कृपया विराजिये। माननीय कल्याण सिंह जी सांखला को अवसर दिया है। आप बैठ जाइये।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, केवल इस बात का प्रश्न नहीं है कि इस प्रश्न को अपोजीशन पार्टी ने उठाया है या सत्ता पक्ष ने उठाया है। इस प्रश्न को वास्तव में पूरे प्रान्त ने उठाया है कि विभिन्न अधिकारियों की चयन करने वाली संस्थाओं की गति कैसी होनी चाहिए? आज हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्था की वही गति है जैसी कि सब्जी बाजार की होती है। सब्जी बाजार के अन्दर जाकर मनपसन्द सब्जी खरीद कर ला सकते हैं। मेहता साहब ने कहा कि बेईमानी में भी ईमानदारी है। जिसका काम नहीं होता है उसके पैसे वापस कर दिये जाते हैं। यह बात कही है।

श्री मदनसिंह दांता : मैम्बर किसे के बनाये हुए हैं?

श्री कल्याण सिंह सांखला : मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात कि जांच करवायें कि लिखित परीक्षाएं हो जाने के बाद पी. एस. सी. के अन्दर आज तक लिखित परीक्षा का रिजल्ट कहां रखा जाता रहा है? इस बात की जांच करवायेंगे तो आपको पता लग जावेगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है? पहले यह व्यवस्था थी कि हमेशा डबल लॉक के अन्दर रिजल्ट सीलबन्द करके रखा जाता था, और मौखिक परीक्षा हो जाने के बाद में उस रिजल्ट को निकाल कर परिणाम बताते थे। यह क्रम पहले चलता रहा लेकिन आजकल चैयरमैन की आलमारी के अन्दर रिजल्ट बन्द रहता है। जिस रोज इन्टरव्यू होते हैं उस दिन विद्यार्थियों के नम्बर नोट करके लाये जाते हैं और उनके साथ में मौखिक परीक्षा के नम्बर दिये जाते हैं। यह चीज स्पष्ट बतायी है कि वहां पर भ्रष्टाचार है।

मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि मौजूदा चैयरमैन ने हाई कोर्ट के सामने झूठा एफिडेविट दिया है। आप इस बात की जांच करवायें तो आपको मालूम होगा कि भ्रष्टाचार कैसे पनपता है? मेरा यह निवेदन है कि जो वहां के चैयरमैन हैं। उनको वहां से हटायें उनकी जांच करवायेंगे तो बड़े बड़े काण्ड आपको वहां पर मिलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि वहां से चैयरमैन को हटाकर उसकी सारी जांच करवानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। वर्मा जी, आप कृपया विराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री **रतनलाल वर्मा** : मुझे तो सुन लें।

मेरा यह प्रस्ताव है कि लोक सेवा आयोग का नाम भ्रष्टाचार संग्रह आयोग कर दिया जाय। अगर सरकार इसका इन्तजाम नहीं करती है तो यह नाम बिल्कुल ठीक है। भ्रष्टाचार तुरन्त चला जायगा। अगर हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकेंगे तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे, यह बिल्कुल साफ बात है। भ्रष्टाचार को पनपाने वाला यह जो लोक सेवा आयोग कहलाता है इसका नाम भ्रष्टाचार संग्रह आयोग कर दिया जाय।

श्री **कौशल किशोर जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्या गुनाह किया है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

श्री **कौशल किशोर जैन** : मैंने क्या गुनाह किया है।

(व्यवधान)

श्री **रतनलाल वर्मा** : यह भ्रष्टाचार को नहीं मिटाना चाहते हैं। चैयरमैन को हटा देना चाहिए।

श्री भंवरलाल ऐरन : यह नामकरण आज ही हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : शासन की ओर से कोई भी उत्तर दे सकता है।

श्री **माणकचंद सुराणा** : मैंने, विश्नोई जी, कहा है, प्रभारी मंत्री मुख्य मंत्री हैं। वह सदन के नेता हैं। मैं उप नेता के नाते उत्तर दे सकता हूं।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय योजना मंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए निवेदन करूंगा कि यदि सदन के नेता अनुपस्थित हैं तो ही सदन के उप नेता उत्तर दे सकते हैं। वह पार्टी के उप नेता हो सकते हैं। सदन के उप नेता नहीं हो सकते हैं। उनके प्रति सम्मान रखते हुए मैं निवेदन करूंगा, राज्य सरकार की ओर से वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री **मूलचन्द डागा** : जनता पार्टी में ही इसका निर्णय हो जाना चाहिए।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : यह न तो रूल्स में प्रोवाइडेड है न जस्टिफाइड है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की यह परम्परा रही है। योजना मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** (मंत्री, संसदीय कार्य) : मैं इधर बैठा हूं। नेता की कुर्सी खाली है।

श्री **माणकचंद सुराणा** (आयोजना मंत्री) : जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आलोचना की गई है, उसको कोई स्वरूप दिए बिना राज्य सरकार किसी के खिलाफ संविधान के तहत कार्यवाही करने की अधिकारिणी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इसे देखें तो।

श्री **माणकचन्द सुराणा** : मैंने स्पेशली संविधान शब्द काम में लिया है। संविधान में

(श्री माणकचन्द सुराणा)

पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाने की जो प्रक्रिया है · · ·

श्री एच. एन. शर्मा : वह प्रक्रिया बदल दीजिए। उसको पास कीजिए। हम अनुमति दे देंगे।

श्री माणकचंद सुराणा : आप विराजिये।

श्री भंवरलाल ऐरन : अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो तो उसको बदलना चाहिए। उसको बदलना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, क्या दो साल का समय पर्याप्त नहीं है? क्या यह समय बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है? संविधान की व्यवस्था है क्या? दो साल में कोई भी बेईमान अफसर बदल नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा निवेदन है। ऐसे आदमी को बदलना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो ठीक है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि कहावत है, सारे कुएं में भंग पड़ी हुई है। कोई भी मैम्बर ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो।

श्री मदनसिंह दांता : मंत्री महोदय भी वही हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : नाथूलाल जैन भी वही हैं।

एक माननीय सदस्य : रामचन्द्र चौधरी भी वही हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री मदनसिंह दांता : मंत्री महोदय ने मान लिया है। मंत्री महोदय ने मान लिया है। He has agreed.

श्री भंवरलाल ऐरन : मंत्री महोदय भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास करते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री महोदय ने यह मान लिया है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग देख लीजिए। मंत्री महोदय ने यह माना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता साहब, आप विराजें।

श्री शंकरलाल : अगर मंत्री महोदय उसके बारे में जानते हैं और प्रक्रिया में जाना चाहते हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : माननीय शंकरलालजी, आप सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं। आश्चर्य है, आप जैसे संजीदा व्यक्ति भी सुनने को तैयार नहीं हैं। किस प्रक्रिया से हटा सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा ताकि उत्तर देते वक्त वह काम्प्रीहेन्सिव तरीके से उत्तर दे सकें। जो कान्स्टीट्यूशन में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, इसको एडाप्ट करने की इच्छा कर लें तो सारी प्रक्रिया में हम नहीं जायेंगे।

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, मैं सदन के माननीय सदस्यों को निमन्त्रित करता हूं। आज सदन में जिन माननीय सदस्यों ने चार्जेज लगाये हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को राज्य सरकार की तरफ से पत्र प्राप्त होगा। उनके पास जो भी डिटेल्स है।

श्री मूलचन्द डागा : आपका एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : हम सबूत देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपका एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट किसलिए है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार एक संकल्प लाकर पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग कर सकती है।

श्री एच. एन. शर्मा : वहां बड़े बड़े हाथी हैं। लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। सरकार इसे कम नहीं करना चाहती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं एक कर्मचारी कारखाने से एक कील ले जाता हुआ पकड़ा जाये तो उसे निकाल बाहर कर दिया जाता है। सड़क पर घूमने को मजबूर कर दिया जाता है। पी. एस. सी. में हजारों रुपये डकार जाते हैं। पेपर आउट होना कोई छोटी सी बात नहीं है। उसके बावजूद मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं। इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। मंत्री महोदय, आप कोई पुख्ता कार्यवाही करिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी चौपड पर बड़े बड़े शब्दों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटा दिया जायगा। यह सरकार बता दे कि उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजिए।

श्री भंवरलाल ऐरन : अखबार में आ गया है कि राजस्थान न्यायिक सेवा के पर्चे आउट हो जाने से परीक्षाएं रद्द की गईं। क्या मंत्रिमण्डल सो रहा था ? क्या आपने किसी से पूछा कि इसमें किस का हाथ था और कैसे पेपर आउट हुआ ? बिना तथ्य के कोई आरोप नहीं लगाये जा रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की बात नहीं की जाय बल्कि यह बताया जाय कि मंत्रिमण्डल क्या कर रहा है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर को किस प्रकार से हटाया जाय ? इसकी प्रक्रिया के बारे में बात नहीं है। जो समस्या सामने आई है कि पर्चे आउट हुए, उसके बारे में जो भ्रष्टाचार बताया गया है, उसके लिए

(श्री उपाध्यक्ष)
सरकार क्या कर रही है ? इसके बारे में जानकारी माननीय सदस्य ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : मेरा निवेदन है कि—

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उन्होंने मान लिया कि यह हुआ है, इसलिए प्रक्रिया पूछ रहे हैं। जिसने गलती की है उसको हटाया कैसे जाय ? उसकी प्रक्रिया पूछ रहे हैं। उन्होंने मान तो लिया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कान्स्टीट्यूशन में तीन बातें बिल्कुल साफ हैं। एक बात तो यह है कि प्रेसीडेन्ट सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर चेयरमैन और पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर को रिमूव कर सकता है, दूसरा रेफरेन्स करते ही गवर्नर मैम्बर या चेयरमैन को सस्पेण्ड कर सकता है, तीसरी बात यह है कि इन्सोलवेन्ट हो जाय या सरकार के अन्दर नौकरी ले ले या कहीं एम्प्लायमेन्ट सीक कर ले या शारीरिक दिमागी तौर से काम करने के लिए अयोग्य हो। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पर्चा आउट हुआ है यह मिसबिहेवियर में आता है। गवर्नमेन्ट को उसकी जानकारी होगी। ठेकेदारी से मुनाफा कमावे वह भी मिसबिहेवियर की डेफिनेशन में आता है। गवर्नमेन्ट को चाहिए कि प्रेसीडेन्ट को अक्वेन्ट करावें। गवर्नर को पावर्स हैं वह सस्पेण्ड कर सकता है। इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पर्चे आउट हुए हैं, यह स्वयं सिद्ध है। केवल प्रश्न है लॉ का। फैक्ट्स के मौजूद होते हुए और कानून में प्रावधान होते हुए सरकार मामले का अवाइड करना चाहती है तो सरकार की नीयत में शक होता है। अगर सरकार को शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने की इच्छा है तो निश्चित तौर से कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा यह शक बना रहेगा।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : सवाल यह है कि 317 (2) के तहत कोई पिटीशन भारतीय गणतन्त्र के अध्यक्ष के समक्ष की गई या नहीं की गई ? अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं ? अब करना चाहते हैं तो कब तक ?

श्री बालकृष्ण थानवी : उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नया अध्यक्ष बनाया जाना है वह भी महाभ्रष्ट है। अतः मैं सरकार को निवेदन, करना चाहता हूं कि वह इस पवित्र पद पर किसी निष्कलंक व निष्पक्ष व्यक्ति को बिठायें अन्यथा उसकी भारी बदनामी फिर होगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं, वह कृपया सुनिये।

श्री अब्दुल अजीज : पूरा सर्विस कमीशन दोषी नहीं है। जिन्होंने पर्चा आउट किया है उन्हीं को हटाया जाय ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : रामसिंह जी जैसे ईमानदार भी हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं मन्त्री महोदय से उनके जवाब से पहले यह कहना चाहूंगा···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास जी कृपया विराजिये ।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने भाषणों में करीब-करीब एक मत होकर पब्लिक सर्विस कमीशन के विरुद्ध और उसके सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य ने किसी मैम्बर का नाम नहीं लिया ।

श्री बालकृष्ण थानवी : याकूब अली का लिया है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : ऐरन साहब ने नाथूलाल जैन का नाम लिया है ।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपातकाल की ज्यादतियों के प्रतीक रामसिंहजी, नाथूलाल जैन····

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए ।

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री महोदय सदन को वेवकूफ नहीं बनायें, यह बिल्कुल स्पष्ट बात है । इसकी घोषणा करनी होगी कि उन चोरों को कब वहां से हटायेंगे ? हम दूसरी बात सुनना नहीं चाहते ।

श्री कौशल किशोर जैन : आपातकाल के अन्दर अन्याय करने वाले रामसिंह वहां बैठे हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : हम बर्दाश्त नहीं कर सकते । यह सदन राजस्थान की जनता की प्रापर्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं ।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : बिक्री कर के लिए तो अध्यादेश जारी होता है । जनता जानती है जहां आपका फायदा होता है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए । माननीय सुराणाजी, यह कोई आवश्यक नहीं कि पी. एस. सी. के सदस्यों के कोई नाम ले या नहीं । प्रश्न यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं, पर्चा आउट हो चुका है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : इस संबंध में राज्य सरकार निकट से निकट चार दिन के भीतर पूरी जांच कराएगी और जांच कराकर उसके नतीजे इस सदन में पेश करेगी ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जांच तो तीन साल तक नहीं होगी। इसका जांच से ताल्लुक नहीं है। प्राइमाफेसी केस बनता है भ्रष्टाचार का।

श्री कौशल किशोर जैन : सारा सदन कह रहा है कि नाथू लाल जैन, याकूब अली चैयरमैन सब भ्रष्ट हैं तो फिर किस बात की जांच चाहिए ?

श्री रतन लाल वर्मा : जो पेपर अखबार में छप चुका, परीक्षा से पहले ही छप चुका, उसकी आप क्या जांच कराना चाहते हैं ?

श्री एच. एन. शर्मा : इन चार दिन के अन्दर उन अधिकारियों को बचाने के लिए जेबों में नोट भरना चाहते हैं। प्राइमाफेसी केस प्रूव हो चुका है, जांच हो चुकी है, आगे कोई जांच की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या जांच कराना चाहते हैं ?

हम बनावटी बातें नहीं सुनना चाहते।

श्री एच. एन. शर्मा : आप भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते। हमारे नेता भ्रष्टाचर को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं ? नेता को बुलाइए, उनसे पूछिए।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : गरीबों के बच्चों का सलेक्शन नहीं होता। गरीब लड़कों के मां बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, वे सड़कों पर रोते फिरते हैं……

श्री एच. एन. शर्मा : एक आई. ए. एस. अधिकारी का लड़का मुंसिफ मजिस्ट्रेट बन जाता है, जिलाधीश बन जाता है, लेकिन एक मजदूर का लड़का मजदूर ही रहता है। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मंत्रीजी ने कहा है कि नाम बताओ, आप थानेदार नहीं हैं कि एफ.आई. आर. दर्ज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनसे कहा है कि किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : एक तो पर्चा आउट होने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की ? दूसरे जब न्यायिक सेवा में ही इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है जनता पार्टी के राज्य में ईमानदारी कहां बरती गई होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, यह पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री रतन लाल वर्मा : एक बात हो सकती है। 5 तारीख को जब सदन की कार्यवाही चले तो प्रश्नकाल समाप्त होने के साथ ही पूरी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करें।

श्री मदनसिंह दांता : सदन की मांग है कि रिपोर्ट पेश की जाय।

श्री रतन लाल वर्मा : हमारे पास सबूत हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जैसे कि आयोजना मंत्री ने अभी बताया, आश्वासन दिया कि 4 दिन के भीतर-भीतर ये जो आरोप

(884)

(श्री परसराम मदेरणा)

लगाए हैं पी.एस.सी के सदस्यों के विरुद्ध, पर्चा आउट हुआ है और पर्चे में जो रिश्वत चली है उसकी वह जांच करा लेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान की हर गली में पर्चा आउट होने की चर्चा है, बड़ी भारी लूट मची है और पैसा इकट्ठा किया गया है, सरकार में आप जैसे विजीलेंट मंत्री बैठे हैं, क्या सरकार के सामने इस प्रकार की कोई आवाज आई ? और यदि आई तो क्या सरकार सुनती है ? अगर सरकार वहरी नहीं है तो सरकार ने इस प्रकार की अफवाह नहीं सुनी ? संविधान के तहत पी. एस. सी. जैसे बने हुए बोर्ड के खिलाफ, उसके सदस्य के खिलाफ आरोप लगें और एक आयोटा आफ सस्पीशन भी रह जाता है तो Ceaser's wife should not only be above suspision but she should also appear to be so जहां सस्पीशन है, आचरण संदिग्ध है तो जांच आपको करनी चाहिये, जांच किस कानून के अन्तर्गत करने जा रहे हैं और किस एजेंसी के द्वारा करायेंगे ?

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने अपने उद्गार प्रगट किये। विरोधी दल के नेता यह भी मानेंगे कि वर्तमान पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे के सारे सदस्य इस जनता सरकार द्वारा नियुक्त नहीं बल्कि आपकी भूतपूर्व सरकार द्वारा नियुक्त हैं

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : श्री नाथूलालजी जैन को किस ने नियुक्त किया ? आपकी सरकार ने नियुक्त किया था।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मेरा निवेदन है कि....

(व्यवधान)

आपने अभी एलान किया तो आप देख लें कि प्रक्रिया सजा देने की क्या होगी विरोधी दल के नेता ने कहा कि आरोप लगाये गये हैं तो आप जांच करायें, तो आपने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त हैं, तो क्या कांग्रेस से साजिश है आपकी ?

(व्यवधान)

अभी कहा आपने।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं एक शब्द निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामेश्वर दयाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

मैंने गत वर्ष राज्य सरकार को एक सूचना पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में दी थी। आम चर्चा थी कि श्री नाथूलाल जी जैन के लड़के, याकूब खान के लड़के और हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी की पुत्रवधु को मिनिमम मार्क्स से कम मार्क्स आने पर भी अधिकारी बनाया गया लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया है। इसको प्रमाणित कराना चाहें तो सदन में पी.एस.सी. से उन पत्रों को काल करके देख लें। जोशी जी की पुत्रवधु के 45 प्रतिशत से कम 42½ प्रतिशत मार्क्स आये थे फिर भी उनको अधिकारी

(श्री रामेश्वर दयाल शर्मा)

बनाया गया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, जो पी. एस.सी. में बैठे हैं, उस समय उनसे डरते थे। आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : पहले मंत्री महोदय उत्तर देंगे और उसके बाद आप बोलेंगे। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर आरोप लगाया है। पहले मंत्री जी बोलेंगे फिर आप उत्तर दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : किस मुंह से बोलेंगे ?

श्री एच. एन. शर्मा : यह पाप का पौधा कांग्रेसियों द्वारा लगाया गया है लेकिन मैं अपनी सरकार से कहता हूं कि इस पौधे को काट दो। यह पौधा हरा नहीं रहना चाहिये। इसको बढ़ने मत दो। अगर यह पाप का पौधा बढ़ गया तो कल तुमको भी तकलीफ देगा। यह पौधा इन लोगों के द्वारा लगाया गया है इसको काट दो। काटने में देरी मत करो।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी, मैं आपको स्पष्टीकरण का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

कृपया सभी माननीय सदस्य बिराजें।

(व्यवधान)

माननीय गुप्ता जी, आप कृपया बिराज जायें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आधा मिनट।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायें।

श्री दूलाराम : जनता सरकार ही ××× है....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

कृपया बिराजिये। आसन के साथ सहयोग कीजिये।

(व्यवधान)

मैं सभी माननीय सदस्यगण से निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

कृपया बिराज जाइये, माननीय दूला राम जी। आसन को सहयोग दीजिये कार्यवाही चलाने के लिये।

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित दिए गए।

(82)

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो कभी 25 वर्ष की अवधि में ऐसी अव्यवस्था नहीं देखी । कभी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई कि किसी को बोलने नहीं दिया जाये ।

श्री माधोसिंह कछवाह : यह शुरुआत आपने की है पहले ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं आरोप-प्रत्यारोप करने से कोई लाभ नहीं है । दोनों पक्षों की तरफ से गलती हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आन ए पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी आपको अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन पहले माननीय मंत्री जी को सुनलें ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : पहले मंत्री जी बोलेंगे और फिर हरिदेव जी बोलेंगे । चार्ज हरिदेव जी पर नहीं लगाया गया है, चार्ज राजस्थान के मुख्य मंत्री पर लगाया गया है । इसके बाद एक नहीं, दो नहीं तीन-तीन जने बोलें लेकिन मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो रहा हो तो कृपया बीच बीच में इन्टरवीन न करें । मैंने जोशी जी के लिये कह दिया है, वे बोलें ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिदेव जोशी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया । आज सदन में मैं यहां उपस्थित था इसलिये मौका मुझे मिल गया, मैं यहां नहीं होता तो शायद नहीं मिलता ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर चर्चा...

(व्यवधान)

I am in possession of the floor of the House.

उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जामिनेशन, जो जुडिशियल सर्विसेज का था, जो हो गया था सरकार ने उसे निरस्त कर दिया और फिर से एग्जामिनेशन लेने के आदेश दिये । इस प्रश्न पर यहां पर चर्चा हो रही थी । माननीय सदस्यों का इसके ऊपर उत्तेजित होना स्वाभाविक था । उस उत्तेजना के अन्दर अगर माननीय सदस्य जांच की मांग करते हैं अथवा कोई एक्शन की बात करते हैं तो मैं उसको वाजिब मानता हूं । दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये । इस दरमियान में एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि मेरी पुत्रवधु और दो नाम लिये वे लोग पास नहीं हुए मगर मेरी पुत्रवधु को आर. ए. एस. में पास कर दिया....

श्री सम्पतराम : If is Cbarg not against you but it is charge against

(श्री सम्पतराम)
the Public Service Commission.

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : Of course, it is against the Public Service Commission, but....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : But it was indirect charge entirely on him and under rule 276 he has got right.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय गृह मंत्री जी मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी है। आप चाहते हैं मैं न बोलूं।

तो मेरा निवेदन यह है, यह सही है कि मेरी पुत्रवधु स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अपीयर हुई थीं। मैं भी राजस्थान का नागरिक हूं, मेरे बच्चों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे जान-पहचान के लोगों को इस प्रकार की सर्विसेज में अपीयर होने का अधिकार है। अब जनता पार्टी की सरकार ऐसा कानून पास कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सिर झुका कर उसको स्वीकार कर लूंगा।

अब रहा सवाल मेरे बच्चे अपीयर हुए, कुछ वर्षों पहले मेरे बहनोई अपीयर हुए थे, उस समय भी मैं मंत्री था, वे पास हुए, आप आश्चर्य करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, रिटिन टैस्ट में वे पास हुए और इन्टरव्यू में प्लक हो गये। मेरे बहनोई नहीं हो सके आर. ए. एस.। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पुत्रवधु भी अपीयर हुई। वह आर. ए. एस. में नहीं आ सकी और राजस्थान अकाउन्ट्स सर्विसेज में आई। उस समय भी मैं मुख्य मंत्री था। अगर मेरा इनफ्लूएन्स कार्य करता तो आर. ए. एस. में क्यों नहीं आती? मुझे यही निवेदन करना है इस सदन को, अगर मैं माननीय योजना मंत्रीजी, जो इस समय मुख्य मंत्रीजी का कार्य कर रहे हैं, उनसे यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो मेरा नाम लेकर मेरी पुत्रवधु के बारे में कहा है, मेरा आग्रह है इसकी जांच नहीं करवाई हो तो जांच करवा ली जाय।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो आरोप लगाया है, उसका स्पष्टीकरण तो आया नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मेरा स्पष्टीकरण और क्या हो सकता है।

मेरी पुत्रवधु जिस एग्जामिनेशन में बैठी थी, वह नहीं आ सकी। अब मेरा निवेदन यह है कि मैंने कहीं कोई इनफ्लूएन्स यूज किया हो, एक प्रश्न तो यह है और दूसरा प्रश्न यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहीं फेवर किया हो तो मैं चाहता हूं राजस्थान हाई कोर्ट के किसी भी जज का नाम आप योजना मंत्रीजी घोषित कर दें और उनको इस कार्य के लिये नियुक्त कर दिया जाय। दूसरों के बाबत मेरा कोई आग्रह नहीं है। मेरा आग्रह केवल पुत्रवधु के बाबत है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक

(श्री हरिदेव जोशी)
लाइफ के अन्दर कुकुरमुत्ते की तरह पैदा नहीं हुआ हूं। इस देश की राजनीति में देश की आजादी के संघर्ष की पैदाइश हूं। मैं कुकरमुत्ते की तरह से यहां नहीं आया हूं देश की आजादी में संघर्ष करके आया हूं। आज कांग्रेस पार्टी विरोधी पक्ष में है इसलिये आप किसी पर कोई भी चार्जेज लगावें और किसी को आप डिमोरलाइज करने की कोशिश करें लेकिन मैं इस तरह डिमोरलाइज नहीं हो सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय योजना मंत्रीजी ने यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अपने वक्तव्य में यह कहा कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मैम्बर्स हैं वे उनके द्वारा स्थापित किये हुए नहीं हैं। योजना मंत्रीजी राजस्थान के सारे के सारे लोग जो हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, आपने अपना स्पष्टीकरण रख दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : There were two allegations.

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : चारों मैम्बर्स आपके नियुक्त किये हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : There were two allegations. One by the Hon'ble Member and the another by the Hon'ble Minister मैंने पहला एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें मैम्बर्स के द्वारा लगाये गये एलिगेशन के बारे में कहा है।

अब दूसरी बात कह रहा हूं...

श्री ईश्वर चन्द्र : उसका राइट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी, आप विराजिये।

(व्यवधान)

माननीय ईश्वरचन्द्र जी, आप भी विराजिये। मैं कह चुका हूं...

श्री ईश्वरचन्द्र : कांग्रेस के शासन काल में, आपने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि अनन्त काल तक भी उनकी चर्चा समाप्त नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप लोगों को फांसी लगा दो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री भंवरलाल ऐरन : इनके भ्रष्टाचार की कहानी तो इनका बंगला बोल रहा है। इनकी पोल तो खुलेगी...

श्री मदनसिंह दांता : अगर यह तरीका है तो भैरोंसिंह का बंगला भी पोल खोलेगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : आप जरूर खोलिए।

श्री मदनसिंह दांता : यह आपका तरीका है।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : भैरोंसिहजी का नाम लेकर मुझे कहने से दबाया नहीं जा सकता। आप खोलिये पोल। अगर उनके खिलाफ होगा तो उनको भी नहीं बख्शेंगे। माननीय नेता महोदय का नाम लेकर आप हमको बन्द करना चाहते हैं बोलने से। जरूर पोल खोलिये...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह धमकी नहीं है...

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपकी पोलें तो खुलेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, आप विराजिये। माननीय दूलाराम जी, कृपया विराजिये। माननीय मदन सिंह जी, कृपया विराजिये। माननीय मदन सिंह जी, कृपया विराजिये.....

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं। जो पहले मुख्य मंत्री थे और आज मामूली सदस्य हैं आप उनको बोलने भी नहीं दें इसलिए कि वे कांग्रेस के हैं। आप सभी पाक साफ हैं ? जो गालियां अभी काढ़ रहे थे मुख्य मंत्रीजी को उन्होंने खुद ने कहा है कि भैरोंसिह जानता है तो इसका मतलब है कि भैरोंसिह भी भ्रष्ट है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है कि हर मामले में हस्तक्षेप करें। आपको अगर बोलने का हण्डरेड पर्सेंट अधिकार है तो हमको भी हर मामले में बोलने का अधिकार होगा। आप हर मामले में इन्ट्रप्ट करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : मैं तुम्हारी सब पार्टियों को ठोकर देकर आया हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दूलारामजी ! माननीय रामेश्वर दयाल जी ! माननीय जोशी जी, मैंने आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अवसर दिया। वास्तव में मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से सदन की कार्यवाही का संचालन होना चाहिए उस तरह से संचालन नहीं हो रहा है। मुझे यह कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि माननीय सदस्य सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यगण सहयोग दें। कम से कम जो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता हैं और जो ट्रेजरी बैंचेज पर और विरोधी पक्ष में बैठे हैं, कम से कम वह इस बारे में सहयोग दें।

(व्यवधान)

कृपया इसमें इण्टरवीन नहीं करें। मैंने जोशीजी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अवसर दिया। उनकी पुत्रवधु के सम्बन्ध में माननीय रामेश्वर दयाल ने जो आरोप लगाये उनका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया।

दूसरा एक्सप्लेनेशन इस बारे में देना चाहते हैं कि माननीय सुराणाजी ने उनके मुख्य मंत्रित्व काल के कार्य के बारे में कोई आरोप लगाये हैं। मैं इस विषय को ऐसा विषय नहीं मानता कि जिसके लिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता हो।

(श्री उपाध्यक्ष)
किसी भी पुरानी सरकार के एक्शन को कण्डेम किया जावे तो हर एक्शन के लिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : It was not only the allegation but....

श्री उपाध्यक्ष : मैं बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहा हूं…

(व्यवधान)

मैं शायद गलत हो सकता हूं लेकिन मैंने सोच समझ कर ही यह निर्णय दिया है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपका निर्णय ठीक है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आज दो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अंतिम दिन हैं · · ·

श्री रामकरणसिंह : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। उपाध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन का प्रश्न है और · · ·

(व्यवधान)

मेरा पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन नहीं मानते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं समय बढाने केलिए नहीं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि आज अंतिम दिन है सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का, इसलिए उसको प्राथमिकता के आधार पर ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सूर्यनारायणजी, मेरा निवेदन है अगर आप समझते हैं कि आपका आवश्यक कार्य है तो जो चर्चा की जा रही है उसके लिए आप कुछ समय बढ़ाना चाहें तो बढ़ायें। अगर आप आवश्यक समझते हों तो उसके लिए मेरे ख्याल से समय बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। इस चर्चा के बीच में मंत्री महोदय अगर लेना चाहें तो · · ·

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं उत्तर पूरा देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत सी शादियां हैं, हमको शादियों में जाना है · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर तो देने दें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उत्तर देने के पहले मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं। मेरे द्वारा लगाये गये एलिगेशन का माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण दिया। मैं रिकार्डेड फैक्ट्स सदन के सामने लाना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने के समय उनका भी स्पष्टीकरण कर दें। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है · · ·

(व्यवधान)

(श्री रामेश्वर दयाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस कथन का माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण दिया है इसलिये मेरे पास जो रिकार्डेड फैक्ट्स हैं उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : On a point of Order, Sir. He has already explained. Now he cannot put any other question under rule 276 and he has no right to speak again.

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का पूरा उत्तर सुन लें। मंत्री महोदय अलग से बात कह रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं जो कुछ कह रहा हूं इसी से सम्बन्धित बात है। इसी को स्पष्ट करना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर इसी तरीके से चलते रहे तो मंत्री महोदय को पूरा नहीं सुन सकेंगे और आरोप-प्रत्यारोप, एलिगेशन और काउण्टर एलिगेशन लगाते रहेंगे। कुछ भी सुनाई नहीं दे सकेगा। कृपया विराजिये . .

(व्यवधान)

मुझे कहना पड़ता है कि जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं वे भी सत्ता पक्ष को शासन की ओर से कार्यवाही चलाने में सहयोग देना नहीं चाहते।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा . . .

श्री उपाध्यक्ष : उस पर फिर आरोप प्रत्यारोप होंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैंने जो पहले बात कही थी उसके अलावा और कोई बात नहीं है। मेरे पास रिकार्डेड प्रूफ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास रिकार्डेड प्रूफ हैं और जोशीजी जांच कराने के लिए तैयार हैं। अगर आप आवश्यक समझते हैं तो मंत्री महोदय के पास रख दें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : स्पष्ट बात कहने के लिए और सभी माननीय सदस्यों की और आपकी नॉलेज में लाने के लिए मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब दें उसके पहले मुझे बोलने दिया जाय तो ज्यादा बैटर होगा। चूंकि . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामेश्वर दयाल जी, आप कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय जोशीजी ने जो स्पष्टीकरण देने में पांच सात मिनट का टाइम लिया है . .

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब क्या है? पाइन्ट आफ आर्डर . . .

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान रूल 276 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर किसी सदस्य पर सदन में चार्ज लगाया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
जाता है तो एक्सप्लेनेशन देने के बाद चार्ज लगाया जाता है तो एक्सप्लेनेशन देने के बाद चार्ज लगाने वाले सदस्य वापस बोलें। हमारे यहां के कोई सदस्य को एक शब्द कहने का क्या अधिकार नहीं है ? इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप लगते रहेंगे। अगर आप इनको टाइम देते हैं तो जोशीजी को भी टाइम देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

इसके बाद आपको बोलने का कोई राइट नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, क्योंकि वर्तमान पब्लिक सर्विस कमीशन के शत प्रतिशत सदस्य भूतपूर्व सरकार के द्वारा नियुक्त किये हुए थे, इसलिये इस प्रसंग को सुनकर विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों को...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : बीस वर्ष के अन्दर जितनी भी सरकारी मशीनरी अपाइन्ट हुई है उसको भी हटाइये…

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : इसके बावजूद, उपाध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : जैसे अमरिका में सब को हटा देते हैं वैसे इनको भी हटा दीजिए। आप इनको पनिशमेन्ट देना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मंत्री महोदय को ये इन्ट्रप्ट कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय दूला राम जी, कृपया बिराजिए।

श्री माणकचन्द सुराणा : ऐसा लगता है। सिर्फ इस बात को सुनकर आगे की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। माननीय परसरामजी उत्तेजित नहीं हो रहे हैं। फिर आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ?

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है। सदन के सभी माननीय सदस्यों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों पर, चैयरमैन पर नामजद आरोप लगाये हैं। यह हाउस की प्रापर्टी है। ऐसी गंभीर स्थिति बहुत कम बार इस विधान सभा के इतिहास में हुई है। जो हमारे माननीय सदस्यों की चिन्ता है, वही चिन्ता राज्य सरकार की है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बिलकुल निष्पक्ष हो और उसका रिकार्ड क्लीन होना चाहिए ताकि उसकी तरफ कोई अंगुली नहीं उठा सके। इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन का स्तर, मापदंड, स्टेण्डर्ड ऐसा होना चाहिए। जिस तरह का विश्वास आम नागरिक का प्राय: सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के जजेज में होता है। उसी तरह का विश्वास पब्लिक सर्विस कमीशन में होना चाहिए। यह माप दण्ड प्रयत्न करके ही बना सकते हैं।

(व्यवधान)

(श्री माणकचन्द सुराणा)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर से आने वाले, वनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर एक प्रक्रिया का सवाल उठाया और पूछा कि जांच की प्रक्रिया कैसी और क्या होगी ? जो मूल मुद्दा कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया है, वह यह है कि जो न्यायिक परीक्षा होने वाली थी, उसका प्रश्न पत्र आउट हो गया है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को सूचना देना चाहूंगा। जब इस तरह का समाचार जयपुर के एक दैनिक में प्रकाशित हुआ तो न्यायिक सेवाओं की परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय पब्लिक सर्विस कमीशन के चैयरमैन ने अपने आप ही किया।

(व्यवधान)

उन्होंने स्वयं ने इसको निरस्त किया। उन्होंने स्वयं ने एक कमेटी इसकी जांच के लिए नियुक्त की। इसकी अभी अभी जितनी सूचना मिली है उसमें यह है कि इस कमेटी को उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है . . .

(व्यवधान)

जितनी सूचना उपलब्ध है, वही बता रहा हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जो व्यक्ति दोषी है वही अपने मामले की जांच करा रहा है, तो क्या आप उससे न्याय की आशा कर सकते हैं ? क्या यह नेचरल जस्टिस के सिद्धान्त के विपरीत नहीं है ?

श्री माणकचंद सुराणा : माननीय बजरंग लाल जी, आप हाईकोर्ट के वकील हैं फिर भी तथ्यों में नहीं जाना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : इसके सम्बन्ध में आपको सोचना चाहिए था।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : पी.एस.सी. के चैयरमैन के खिलाफ भी आरोप लगाये गये हैं . . .

श्री माणकचंद सुराणा : जरा धैर्य रख कर सुनें कि स्थिति क्या है ? आप सिर्फ वही बात सुनना चाहते हैं जो आपको प्रिय हो। आप तो रिजल्ट लेना चाहते हैं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सारे भाषण में मैं कहीं भी यह नहीं कह पाऊंगा कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन को निरस्त कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरी भी सीमाएं हैं। इस तरह के शब्द आप सुनने की अपेक्षा रखते हैं मुझसे तो आपको निराश होना पड़ेगा।

माननीय सदस्यों ने यहां पर चार्जेज लगाये हैं उनमें एक आरोप न्यायिक परीक्षा का प्रश्न-पत्र आउट होने के सम्बन्ध में है। इस सवाल पर एक कमेटी का गठन उन्होंने किया है। इस कमेटी के प्रति सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है। संविधान के अन्तर्गत, एडवोकेट जनरल, विधि विभाग से राय लेकर इन परीक्षाओं के मामले में कोई अलग से कमेटी हम बिठा सकेंगे तो निश्चित रूप से सरकार ऐसी कमेटी का गठन करेगी।

अब रहे दूसरे प्रश्न। जो चार्जेज मैम्बरों के विरुद्ध लगाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी मैम्बर के

(90)

(श्री माणकचन्द सुराणा)

खिलाफ इन्क्वायरी की जाएगी तो ग्रार्टिकल 317 में कहा गया है कि वह इन्क्वायरी सुप्रीम कोर्ट करेगी ग्रौर वह ग्रार्टिकल 145 के प्रावधान के तहत होगी। यह प्राथमिक जानकारी है। यहां पर जो चार्जेज लगाये गये हैं, उनको भ्रष्ट, चोर कहा गया है, जो कुछ भी ग्रन्य प्रकार से कहा गया है, वह सारा रिकार्ड है। इसके बावजूद भी हम माननीय सदस्यों से ग्रौर जानकारी प्राप्त कर लेंगे यदि उनके पास इससे ज्यादा विस्तृत जानकारी है तो वह इकट्ठी करेंगे। हो सकता है कोई सदस्य पूरी जानकारी यहां पर नहीं दे सके हों। वह सूचना भी माननीय सदस्यों से इकट्ठी कर लेंगे। यह सारा रिकार्ड एग्जामिन करके, विधि विभाग से उस पर राय लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज को रेफरेन्स करना पड़ेगा, यदि यह सारा मामला रेफरेन्स के लायक बना, एक, दो, तीन मैम्बर के खिलाफ जितना भी रेफरेन्स के लायक बनेगा, उनका रेफरेन्स राज्य सरकार धारा 317 में सारे मामले एग्जामिन कर निश्चित रूप से करेगी। कोई किसी तरह के भ्रष्टाचार को सरकार पनाह नहीं देना चाहती है। इतने ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार के ग्रारोपों को राज्य सरकार गंभीरता से लेती है। मुझे इस बात का जरूर दु:ख है कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति बहुत पहले हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि कोई पिछले 18 महीनों में ही उनके खिलाफ शिकायत ग्राई हो। उसके खिलाफ शिकायत माननीय रतनलाल जी वर्मा ने पहले भी की थी। विरोधी दल के नेता ने यहां पर डाउट भी किया, ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन को निरस्त कर देना चाहिए। विरोधी दल के नेता महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 18 महीने पूर्व यह जिम्मेदारी ग्रापके कन्धों पर थी। यह जिम्मेदारी ग्रापने नहीं निभाई। इस जिम्मेदारी को निभाने का कार्य हमारी सरकार संविधान के तहत करेगी।

(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 1 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट--1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राज्य में चल रहे पब्लिक स्कूल्स

32. श्री गुरुशरण छावड़ा (सूरतगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य में कितने पब्लिक स्कूल चल रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन स्कूलों को बंद करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) छः स्कूल चल रहे हैं।

(2) यह प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंध रखता है।

वर्तमान में राजस्थान में निम्नलिखित पब्लिक स्कूल चल रहे हैं :—

(1) सादूल पब्लिक स्कूल बीकानेर। (राजकीय)

(2) विद्याभवन, उदयपुर (प्राइवेट)

(3) वनस्थली विद्यापीठ, निवाई ,,

(4) सैन्ट जैवियर स्कूल, जयपुर ,,

(5) एम.जी.डी. गर्ल्स स्कूल जयपुर ,,

(6) बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी,,

लोकायुक्त के अधीन विचाराधीन मामले

*35. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में लोकायुक्त नियुक्त होने के बाद कितने मामलात उनके सुपुर्द किये गये ?

(2) क्या उन मामलात में लोकायुक्त ने ऐसे मामले करार दिए जिनमें राज्य सरकार को कार्यवाही करने का निर्देश दिया ?

(3) आज कितने मामलात उनके यहां विचाराधीन हैं।

उत्तर

(1) राज्यपाल महोदय अथवा राज्य सरकार की ओर से लोकायुक्त को कोई मामला सुपुर्द नहीं किया गया।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जब कोई मामला राज्यपाल या राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त को सुपुर्द ही नहीं किया गया तो उस प्रकार का कोई मामला उनके यहां विचाराधीन होने का प्रश्न नहीं उठता।

शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में नाजायज शराब बनाने के मामले

36. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में नाजायज रूप से शराब बनाने के कितने मामले इस वर्ष प्रकाश में आए ?

(2) आबकारी विभाग द्वारा सूखा क्षेत्रों में कितने छापे मारे गए तथा कितने व्यक्तियों को आबकारी कानून के अन्तर्गत दंडित किया गया ?

(92)

(श्रीमती नारंगी देवी)

(3) शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में धड़ल्ले से बिकती नाजायज शराब की रोक-थाम हेतु राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष अप्रेल, 78 से जनवरी, 79 तक कुल 6333 आबकारी मुकदमें पंजीकृत किए गए।

(2) इस वर्ष शुष्क क्षेत्रों में कुल 1256 छापे मारे गए तथा 293 व्यक्तियों को कानून के अन्तर्गत न्यायालयों द्वारा दण्डित किया गया।

(3) शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में नाजायज शराब की रोक-थाम हेतु जैसे ही सूचना मिलती है छापे मारे जाते है तथा अब तक कुल 17 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं।

पंचायत समितियों को जीप

37. श्री **शिवनारायण** (थानागाजी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार इसे उचित समझती है कि पंचायत समिति को जीप की हर समय आवश्यकता होती है ? यदि नहीं, तो क्या जीप की सेवायें तहसील एवं पुलिस को समान रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है ?

उत्तर

जी हां, क्योंकि विकास कार्यो हेतु पंचायत समितियों को जीप की प्राय: हर समय ही आवश्यकता बनी रहती है। अत: जीप की सेवायें तहसील एवं पुलिस को समान रूप से उपलब्ध कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होती है।

शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पद

37. श्री **डा. गंगासहाय** (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने जिला शिक्षा अधिकारियों के पद कब से रिक्त पड़े हुए है ? राज्य के सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां न होने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां जिन जिलों में नहीं की गई है उन जिलों की जनता व बच्चों को हानि होती है ?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं) बीकानेर का पद दिनांक 1-12-78 से रिक्त पड़ा है। जिला शिक्षा अधिकारी बून्दी और सिरोही के दो पद दिनांक 1-2-79 से रिक्त पड़े हैं। राज्य के बाकी सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी विधिवत् नियुक्त हैं।

उक्त तीन पदों को अभी तक नही भरे जाने का कारण यह है कि पदोन्नति का विवाद न्यायालय के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट

40. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार को शोभाराम कमेटी ने सहकारिता पर कब रिपोर्ट प्रस्तुत की ? रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) क्या इस रिपोर्ट को राज्य सरकार सदन में रखने का विचार रखती है ?

(3) राज्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट की कौन सी सिफारिशों को मान्यता दी है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त सिफारिशों के आधार पर सहकारिता एक्ट में कोई परिवर्तन करना चाहेगी ?

उत्तर

(1) माह अप्रेल, 76 में राज्य सरकार को शोभाराम कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । अभी यह विभाग के विचाराधीन है।

(2) अभी यह रिपोर्ट विभाग के विचाराधीन है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत स्तर पर ओवरसीयर की आवश्यकता

41. **श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर** (कपासन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) काम के बदले अनाज योजना के तहत कपासन विधान सभा क्षेत्र में कितना और क्या क्या काम हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि सभी पंचायत समिति स्तर पर ओवरसीयर का अभाव महसूस किया जा रहा है और पंचायत की मांग पर समय पर तखमीना तैयार होकर नहीं मिलता और इस कारण काम सफर करता है ?

(3) क्या राज्य सरकार ओवरसीयर्स की कमी को पूरा करने के लिये रिटायर्ड लोगों को अपाइन्टमेंट देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कपासन विधान सभा क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कुल 166 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 24 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पूर्ण हुए कार्यों में तीन स्कूल, पांच कुइयां, दो एनीकट, पांच नाडी, एक नाली एवं आठ रास्ते दुरुस्ती के कार्य सम्मिलित हैं।

(2) जी नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले की 12 पंचायत समितियों के लिये वर्तमान में 10 ओवरसियर कार्यरत हैं। अतः अब तखमीने तैयार किये जाने में विलम्ब होने की संभावना प्रतीत नहीं होती।

(3) जी हां।

तहसील कोटपूतली के पहाडों में तांबे की पुरानी खानें

42. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतला तहसील के पुरषोत्तमपुरा के पास वारां के पहाड़ों में तांबे की पुरानी खानें हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसकी जांच कराई है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके पास ही वलेश्वर क्षेत्र में भी काफी भण्डार मिले हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार

(श्री रामकरण सिंह)
इसकी तत्काल जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां। पुरषोत्तमपुरा के पास ताम्बे की पुरानी खाने हैं ।

राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच नहीं की गई है क्योंकि यह क्षेत्र भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आरक्षित किये गये हैं जिनमें प्राथमिकता के आधार पर सर्वे किया जा रहा है ।

(2) हां। यह सही हैं इसके पास ही बलेश्वर क्षेत्र में भी ताम्बे के भण्डार मिले हैं। इस क्षेत्र में भी भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जांच की जा रही है ।

पिड़ावा (झालावाड़) में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

43. श्री **ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिड़ावा झालावाड़ से 70 किलो मीटर दूर स्थित होने के बावजूद भी वहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ के सत्र न्यायाधीश एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने पिड़ावा में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट व मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करने की सिफारिश की थी ?

(3) पिड़ावा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) उच्च न्यायालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पिड़ावा में अलग से न्यायालय स्थापित करने का औचित्य नहीं है ।

(2) यह सही है कि जिला एवं सैशन न्यायाधीश झालावाड़ ने अपनी टिप्पणी में पिड़ावा तहसील में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने बाबत सिफारिश की थी ।

(3) पिड़ावा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

राज्य में रोस्टर प्रणाली

44. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रोस्टर प्रणाली आरक्षण होते हुए भी पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों के लिए अनावश्यक बाधा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रोस्टर प्रणाली की वजह से कभी अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति तथा नियुक्ति पाने से वंचित रहना पड़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार नियुक्ति तथा पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली को समाप्त करने हेतु आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के चुनाव

45. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिए जायेंगे ?

(2) प्रधान के चुनाव के लिए क्या केवल सरपंच ही मतदान करेंगे तथा वो ही प्रधान के उम्मीदवार हो सकते हैं अथवा बाहरी व्यक्ति भी ?

(3) जिला प्रमुखों के चुनाव का आधार क्या होगा ?

(4) पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के चुनाव पंचायतों के चुनावों के साथ ही एक वर्ष पूर्व क्यों नहीं कराए गए ?

उत्तर

(1) अशोक मेहता कमेटी द्वारा पंचायती राज के सम्बन्ध में की गई सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। उसके निर्णय के पश्चात् चुनाव कराए जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) पंचायतों के चुनाव के समय पंचायत समिति व जिला परिषदों के भावी ढांचे के सम्बन्ध में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। अतः इनके चुनाव साथ नहीं करवाए गए।

(96)

आई. ए. एस. अधिकारियों की पदोन्नति

46. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किन किन आई.ए.एस. अधिकारियों को प्रमोशन किस पद से किस पद पर किया गया और उसका क्या आधार था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उक्त प्रमोशन से राज्य सरकार के बजट पर कितना और अतिरिक्त भार बढ़ा है ?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इन प्रमोशनों से राज्य सरकार के बजट पर अनुमानित 75,000/-- रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार बढ़ा है।

सूची उन आई. ए. एस. अधिकारियों की जिनका राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रमोशन किया गया।

अधिकारी का नाम	प्रमोशन से पूर्व पद व वेतन श्रृंखला	वेतन श्रृंखला जिसमें प्रमोशन किया गया व पद जिस पर पदस्थापित किये गये	प्रमोशन का आधार
1	2	3	4
		सुपर टाइम स्केल	
1. श्री जी. के. भनोत	विकास आयुक्त एवम् प्रमुख शासन सचिव कृषि एवम् सम्बद्ध विभाग। (3000/–)	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर। (3500/–)	पद रिक्त होने से।
2. श्री बी. एन. मल्हन	सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर। (2500–125/2–2750)	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर। (3000/–)	पद रिक्त होने से।
3. श्री टी. वी. रमणन्	(विदेश में प्रशिक्षण पर) (2000–125/2–2250)	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
4. श्री अमरसिंह राठौड़	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर। (2000–125/2–2250)	सदस्य राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
5. श्री वी. एस. वर्मा	निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर। (2000–125/2–2250)	सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
6. श्रीमती कुसुम प्रसाद	शासन विशिष्ट, सचिव, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग। (2000–125/2–2250)	सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।

(98)

1	2	3	4
7. श्री जी. रामचन्द्र	निदेशक, सामुदायिक विकास एवम् पंचायत व पदेन विशिष्ट शासन सचिव। (2000–125/2–2250)	सदस्य राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
8. श्री एच. सी. पाण्डे	भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर। (2000–125/2–2250)	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान भूमि विकास निगम (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
9. श्री अजीतसिंह मेहता	सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर। (2000–125/2–2250)	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
10. श्री डी. आर. मेहता	सचिव, उद्योग एवम् खनिज विभाग। (2000–125I2–2250)	आयुक्त एवम् शासन सचिव, राजकीय उपक्रम, उद्योग एवम् खनिज विभाग। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
11. श्री एल. एन. लड्ढा	शासन विशिष्ट सचिव, वित्त विभाग। (2000–125/2–2750)	कृषि उत्पादन आयुक्त एवम् शासन सचिव। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
12. श्री आर. एस. कुमट	शासन विशिष्ट सचिव, कृषि (सी. ए. डी.), (2000–125/2–2250)	कृषि उत्पादन आयुक्त एवम् शासन सचिव। (2500–125/2–2750)	पद रिक्त होने से।
13. श्री शेरसिंह	आयुक्त एवम् शासन सचिव, सिंचाई, विद्युत् एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग। (2500–125/2–2750)	आयुक्त एवम् प्रमुख शासन सचिव, सिंचाई, विद्युत् एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग। (3000/–)	नया पद।

14. श्री आई. जी. झिंगरन	मैनेजिंग डाइरेक्टर, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, उदयपुर। (2000–125/2–2250)	मैनेजिंग डाइरेक्टर, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, उदयपुर। (2500–125/2–2750)	पद के क्रमोन्नत किए जाने पर
15. श्री असीम चटर्जी	मैनेजिंग डायरेक्टर, जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स, जयपुर। (2000–125/2–2250)	मैनेजिंग डायरेक्टर, जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स। (2500–125/2–2750)	पद के क्रमोन्नत किए जाने पर।
16. श्री सतीश कुमार	शासन विशिष्ट सचिव, विशिष्ट योजनायें। (2000–125/2–2250)	आयुक्त एवं शासन सचिव, अन्त्योदय एवं विशिष्ट योजनायें संगठन। (2500–125/2–2750)	पद के क्रमोन्नत किए जाने पर।
	सलैक्शन स्केल		
17. श्री के. के. सक्सैना	जिलाधीश, अजमेर। (1200–2000)	जिलाधीश, अजमेर। (2000–125/2–2250)	पद रिक्त होने से।
18. श्री बृजेन्द्र सिंह	श्रम आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव (1200–2000)	श्रम आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, श्रम विभाग। (2000–125/2–2250)	पद रिक्त होने से।
19. श्री माया राम	शासन विशिष्ट सचिव, कृषि विभाग। (1200–2000)	शासन विशिष्ट सचिव, कृषि विभाग। (2000–125/2–2250)	पद रिक्त होने से।
20. श्री के. एन. भार्गव	निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय-लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर। (1200–2000)	निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर। (2000–125/2–2250)	पद रिक्त होने से।
21. श्री पी. एन. भण्डारी	जिलाधीश, कोटा। (1200–2000)	जिलाधीश कोटा। (2000–125/2–2250)	पद रिक्त होने से।
22. श्री अनिल कुमार	प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम, जयपुर। (1200–2000)	प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम, जयपुर। (2000–125/2–2250)	पद रिक्त होने से।

1	2	3	4
नोट :—सलेक्शन स्केल में प्रमोशन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से होता है। अतः सलेक्शन स्केल में प्रमोशन उसी पद पर किया जा सकता है।			
	वरिष्ठ वेतन शृंखला		
23. श्री राकेश हूजा	परियोजना अधिकारी, अजमेर। (700–1300)	अतिरिक्त आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, चम्बल परियोजना, कोटा। (1200–2000)	रिक्त पद होने से।
24. श्री अभिमन्यु सिंह	नगर दण्डनायक, उदयपुर। (700–1300)	जिलाधीश, टौंक। (1200–2000)	रिक्त पद होने से।
25. श्रीमती कुशल सिंह	उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक रसद। (700–1300)	अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक रसद। (1200–2000)	रिक्त पद होने से।
26. श्री एम. के. खन्ना	अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर। (700–1300)	अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर। (1200–2000)	रिक्त पद होने से।
27. श्रीमती आर. आर. हल्दिया	उपखण्ड अधिकारी, जयपुर। (700–1300)	उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्री मण्डल सचिवालय। (1200–2000)	रिक्त पद होने से।
28. श्री फतेहसिंह चारण	उप अनुबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। (700–1300)	उप शासन सचिव, कृषि (विशिष्ट योजनायें संगठन) विभाग। (1200–2000)	नया पद।
29. कुमारी अल्का ऋषि	वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त-1, जयपुर। (700–1300)	उप शासन सचिव, मरु विकास (विशिष्ट योजनायें संगठन) (1200–2000)	नया पद।
30. श्री भगवत प्रसाद आर्य	अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला दण्डनायक, धौलपुर। (700–1300)	अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला दण्डनायक, धौलपुर। (1200–2000)	पद के क्रमोन्नत करने से।

परिशिष्ट--2

[तारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची]

सवाई माधोपुर जिले में किये जाने वाले कार्यों की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत	प्रस्तावित वार्षिक सिंचित क्षेत्र	कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित अवधि
1	2	3	4	5	6
(1)	**मध्यम सिंचाई योजना :-**				
1.	पांचना सिंचाई योजना	336–87	13832 एकड़	कार्य प्रारम्भ हो गया है	जून, 1982
(2)	**लघु सिंचाई योजनाएं:-**				
1.	देवपुरा	29–76	2422 एकड़	कार्य प्रगति पर है	मार्च, 1981
2.	बांधवा	26–29	845	,, ,,	मार्च, 1981
3.	भैरूंडा	21–46	687	,, ,,	मार्च, 1981
4.	खण्डीप	6–14	414	,, तखमीना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया है	मार्च, 1982
5.	मण्डावरा	3–25	240	,, ,,	मार्च, 1982
6.	खेरा	3–86	240	,, ,,	मार्च, 1982
7.	सिंघटोली	12–53	830	,, ,,	मार्च, 1982
8.	लाखनपुर	9–00	300	,, कार्यों का सर्वेक्षण करना है	मार्च, 1982
9.	टीटोली	10–50	350	,, ,,	मार्च, 1982
10.	आंनागढ	12–00	400	,, ,,	मार्च, 1982
		134–78	6728		